



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बाणसागर नहर परियोजना तथा चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 - वर्ष 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
बाणसागर नहर परियोजना तथा चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम
आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों
की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 – वर्ष 2023

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय—1 प्रस्तावना		
अध्याय का सार	-	1
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	3
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.5	3
चयनित सिंचाई परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण	1.6	5
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश)	1.6.1	5
लहचुरा डैम परियोजना	1.6.2	7
प्रतिफलों के संकेतक	1.7	8
प्रतिवेदन की संरचना	1.8	8
अभिस्वीकृति	1.9	9
अध्याय—2 परियोजना का नियोजन		
अध्याय का सार	-	11
प्रस्तावना	2.1	11
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कमियां	2.2	12
नियोजन की कमी के कारण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में बार—बार संशोधन होना	2.2.1	12
जल की आवश्यकता का गलत मूल्यांकन	2.2.2	14
पुनर्रचना हेतु नहरों के चयन तदर्थता	2.2.3	15
लहचुरा डैम और पहाड़ी डैम परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कमियाँ	2.3	16
लहचुरा डैम परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बारम्बार संशोधन	2.3.1	16
विस्तृत सर्वेक्षण के बिना पहाड़ी डैम परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।	2.3.2	18
डैमों की अपर्याप्त जल भण्डारण क्षमता	2.3.3	19
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में धसान नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना का कार्य सम्मिलित न होना	2.3.4	21
अध्याय—3 परियोजना का क्रियान्वयन		
अध्याय का सार	-	23
प्रस्तावना	3.1	23

वित्तीय प्रबंधन	3.2	24
वित्तीय प्रबंधन : बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश)	3.2.1	24
आवंटन और व्यय	3.2.1.1	24
निधियों का कम निर्गमन	3.2.1.2	25
सेंटेज चार्जेज का अनियमित विचलन	3.2.1.3	25
वित्तीय प्रबंधन—लहचुरा और पहाड़ी डैम परियोजनाएं	3.2.2	26
आवंटन और व्यय	3.2.2.1	26
भण्डार का अनियमित विचलन एवं व्यय वृद्धि	3.2.2.2	27
देनदारियों का सृजन	3.2.2.3	27
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) में अनुबंध प्रबंधन	3.3	28
शेष कार्यों का निर्धारण	3.3.1	29
धरोहर धनराशि का जब्त न किया जाना	3.3.1.1	29
निविदा की शर्तों का विलम्ब से प्रविष्टि	3.3.2	30
मूल्य समायोजन का अनुचित भुगतान	3.3.2.1	31
मोबलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.3.3	33
लहचुरा डैम परियोजना में अनुबंध प्रबन्धन	3.4	34
कार्य की स्वीकृति से पूर्व निविदा आमन्त्रण	3.4.1	34
अपात्र ठेकेदारों को कार्य प्रदान करना	3.4.2	35
परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का कम लिया जाना	3.4.3	36
सुरक्षित अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.4.4	37
लहचुरा डैम परियोजना से खुदाई में प्राप्त ग्रेनाइट पत्थर की लागत वसूल न किया जाना	3.4.5	37
श्रम उपकर की कटौती ना किया जाना	3.4.6	38
बाणसागर नहर परियोजना और लहचुरा डैम परियोजना के लागत विभिन्नताओं की अनधिकृत स्वीकृति	3.5	39
बाणसागर नहर परियोजना के अन्तर्गत ठेकेदार को अनियमित समयवृद्धि दिया जाना	3.6	42
गुणवत्ता नियंत्रण	3.7	44
नहरों का अनुरक्षण	3.8	45

अध्याय—4 परियोजना के प्रतिफल

अध्याय का सार	-	49
प्रस्तावना	4.1	50
परियोजनाओं की पूर्णता एवं संचालन	4.2	50
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) के अपूर्ण कार्य	4.2.1	50
परियोजना के प्रतिफल	4.3	54
जल की उपलब्धता में वृद्धि	4.4	55
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) में जल की उपलब्धता	4.4.1	55
धसान नहर प्रणाली में जल की उपलब्धता	4.4.2	57
नहरों से खेतों में जल की आपूर्ति	4.4.3	58

नहरों का कम अवधि में संचालन	4.5	59
सिंचाई सघनता में वृद्धि	4.6	61
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) में सिंचाई के लक्ष्यों की प्राप्ति	4.6.1	61
धसान नहर प्रणाली में सिंचाई के लक्ष्यों की प्राप्ति	4.6.2	63
उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि	4.7	64
प्रमाणित बीजों का वितरण	4.7.1	65
किसानों को प्रमाणित बीजों की सीमित / विलंबित आपूर्ति	4.7.1.1	65
अनुशस्ति किस्मों के अलावा अन्य बीजों का वितरण	4.7.1.2	66
मृदा परीक्षण	4.7.2	67
ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित न होना	4.7.2.1	67
अपर्याप्त मृदा परीक्षण	4.7.2.2	67
उत्पादकता	4.8	68
उत्पादन	4.9	70
कमाण्ड क्षेत्र का विकास	4.10	70
जल उपभोक्ता संघ का गठन न किया जाना	4.11	73
परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट-1.1	उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्रवार जिलों का विवरण	77
परिशिष्ट-1.2	लेखापरीक्षा में आच्छादित विभाग एवं कार्यालय	78
परिशिष्ट-2.1	लागत में भिन्नता का विवरण	80
परिशिष्ट-2.2	लहचुरा डैम परियोजना के डीपीआर के सापेक्ष मात्राओं में भिन्नता	85
परिशिष्ट-2.3	लहचुरा डैम परियोजना के अनुसंगी कार्यों का उच्च दरों पर निष्पादन	86
परिशिष्ट-3.1	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत वर्षवार आवंटन व व्यय	87
परिशिष्ट-3.2	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त मात्राएँ/नई कार्य मद्दें जिनको नई बिल ऑफ क्वार्टी में सम्मिलित किया गया	88
परिशिष्ट-3.3	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत निरस्त अनुबन्धों में जमानत राशि जब्त न किया जाना	89
परिशिष्ट-3.4	आर.पी.पी.एल. को सुरक्षित अग्रिम का अनियमित भुगतान	90
परिशिष्ट-3.5	बाणसागर नहर परियोजना में मात्रा में भिन्नता विवरण	92
परिशिष्ट-3.6	लहचुरा डैम परियोजना के अनुसंगी कार्यों की मात्रा में भिन्नता का विवरण	94
परिशिष्ट-3.7	बाणसागर नहर परियोजना में अदवा बैराज के कार्य की मात्रा में भिन्नता विवरण	95
परिशिष्ट-3.8 (अ)	वर्षवार नमूनों के परीक्षण का विवरण	96
परिशिष्ट-3.8 (ब)	बाणसागर नहर परियोजना में गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड द्वारा किये गये क्यूब टेस्ट का विवरण	97
परिशिष्ट-3.9	नहरों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए निधि की आवश्यकता	98
परिशिष्ट-3.10	चयनित नहरों के संचालन एवं रख-रखाव की स्थिति	99
परिशिष्ट-4.1 (अ)	बाणसागर नहर परियोजना की नमूना जांच की गई नहरों में पानी के अपर्याप्त प्रवाह का विवरण (खरीफ एवं रबी)	101
परिशिष्ट-4.1 (ब)	धसान नहर प्रणाली की नमूना जांच की गयी नहरों में अपर्याप्त जलापूर्ति	105

परिशिष्ट-4.2	(I) बाणसागर नहर परियोजना के नमूना जांच की गयी नहरों में टेल फीडिंग की स्थिति (II) धसान नहर परियोजना के चयनित नहरों में टेल फीडिंग की स्थिति	106
परिशिष्ट-4.3	बाणसागर नहर परियोजना में नहर प्रणालीवार लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई सघनता	107
परिशिष्ट-4.4 (अ)	जनपद स्तर पर प्रमाणित बीजों की आवश्यकता एवं आपूर्ति का विवरण	109
परिशिष्ट-4.4 (ब)	चयनित ग्रामों के स्तर पर प्रमाणित बीजों की आवश्यकता एवं आपूर्ति का विवरण	110
परिशिष्ट-4.5 (अ)	वर्ष 2014–21 के मध्य केन्द्रीय बीज भण्डार पर बीजों की उपलब्धता में विलम्ब का विवरण	111
परिशिष्ट-4.5 (ब)	नमूना जांच किये गये विकास खण्डों में बुवाई अवधि के पश्चात बीजों के वितरण में विलम्ब का विवरण	112
परिशिष्ट-4.6	अप्रमाणित किस्म के बीज एवं उनके वितरण का विवरण	113
परिशिष्ट-4.7 (अ)	नमूना जांच किये गये ग्रामों में उत्पादकता का विवरण	116
परिशिष्ट-4.7 (ब)	नमूना जांच किये गये ग्रामों में उत्पादकता का विवरण (ग्रामवार)	117
परिशिष्ट-4.8	बाणसागर नहर परियोजना एवं धसान नहर प्रणाली में चयनित गांवों में उत्पादन का विवरण	122

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 की अवधि को आच्छादित करते हुए बाणसागर नहर परियोजना एवं चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान संज्ञान में आये बिन्दुओं के साथ–साथ ऐसे बिन्दु, जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में आये थे परन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे, तथा वर्ष 2020–21 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी, जहां ऐसा किया जाना आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों अनुरूप सम्पादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। अतः कृषि का संधारणीय विकास, राज्य के समग्र विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य के कुल 240.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 187.75 लाख हेक्टेयर (78 प्रतिशत) कृषि भूमि है, जिसमें से 143.89 लाख हेक्टेयर (77 प्रतिशत) शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। हालांकि, 75,466 किमी नहर नेटवर्क के माध्यम से शुद्ध सिंचित क्षेत्र के केवल 17 प्रतिशत में ही नहरों के माध्यम से सिंचाई प्रदान की जाती है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, राज्य में नहर नेटवर्क के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

अप्रैल 2014 से मार्च 2021 की अवधि को आच्छादित करते हुए बाणसागर नहर परियोजना एवं चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना की सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा, दोनों नहर परियोजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को आकलित करने हेतु सम्पादित की गयी थी। इस प्रतिवेदन का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें प्रणालीगत कमियों में सुधार एवं उन्नति की आवश्यकता है।

बाणसागर डैम से 34,008 मिलियन घन फीट पानी का उपयोग करने के लिए बाणसागर नहर परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नहरों का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाना था कि बाणसागर नहर परियोजना के संचालित होने के पश्चात् प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों में 2.32 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में मौजूदा नौ नहर प्रणालियों की सिंचाई सघनता 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया जा सके। परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा जनवरी 1994 में ₹ 330.19 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। यद्यपि, परियोजना की अग्रेतर प्रगति धीमी रही जिसके कारण परियोजना के पूर्ण होने के निर्धारित समय वर्ष 2004 को चार बार संशोधित करना पड़ा जिसका प्रभाव समय और लागत वृद्धि के रूप में पड़ा तथा परियोजना जुलाई 2018 में संचालित की जा सकी। राज्य सरकार ने 1996–97 से 2020–21 के दौरान बाणसागर नहर परियोजना पर ₹ 3,419.37 करोड़ व्यय किया।

लहचुरा डैम महोबा और हमीरपुर जनपदों में 97,169 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाली धसान नहर प्रणाली को जल प्रदान करता है। लहचुरा डैम अपने स्वयं के जल भंडारण के अतिरिक्त पहाड़ी डैम से भी जल प्राप्त करता है। लहचुरा और पहाड़ी डैम, दोनों की संरचनाएं पुरानी और अप्रचलित हो गई थीं जिसके कारण पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा शटर व्यवस्था मानसून के दौरान परिचालन में समस्या पैदा कर रही थी। चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम परियोजना फरवरी 1979 में ₹ 7.04 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गयी थी और इससे जुड़े पहाड़ी डैम की परियोजना फरवरी 2008 में ₹ 76.68 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गयी थी। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण लहचुरा डैम परियोजना और पहाड़ी डैम परियोजना क्रमशः मार्च 2015 और मार्च 2018 में पूर्ण हुई। राज्य सरकार ने लहचुरा डैम परियोजना पर 1978–79 से 2014–15 की अवधि में ₹ 328.30 करोड़ और पहाड़ी डैम परियोजना पर 2009–10 से 2017–18 की अवधि में ₹ 354.20 करोड़ व्यय किया।

लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि यद्यपि सरकार ने दोनों परियोजनाओं पर बड़ी धनराशि (बाणसागर नहर परियोजना: 1996–97 से 2020–21 के दौरान ₹ 3,419.37 करोड़; लहचुरा और पहाड़ी डैम: 1978–79 से 2017–18 के दौरान ₹ 682.50 करोड़) व्यय किया किन्तु दोनों परियोजनाओं के प्रतिफल जैसे नहर नेटवर्क में जल उपलब्धता में वृद्धि, अतिरिक्त सिंचाई सघनता का सृजन और क्रापिंग पैटर्न में परिवर्तन, लगभग अप्राप्त रहे। प्रतिफलों की प्राप्तियाँ न हो पाने का कारण, मौजूदा नहर प्रणालियों की पुनरर्चना हेतु त्रुटिपूर्ण नियोजन, डैमों की अपर्याप्त जल भण्डारण क्षमता, नहरों में पानी की अपर्याप्त आपूर्ति जिसके परिणामस्वरूप नहरें पूरी फसल अवधि में संचालित नहीं की जा सकी, रहा।

बाणसागर परियोजना तीन राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाणसागर डैम निर्मित किया गया था। तीनों राज्यों के बीच सितम्बर 1973 में किए गए समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश को बाणसागर डैम से 1.0 मिलियन एकड़ फीट (अर्थात् 43,560 मिलियन घन फीट) जल प्राप्त होना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित बाणसागर नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत बाणसागर डैम से 34,008 मिलियन घन फीट जल का उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश में नहरों का निर्माण किया जाना था। हालांकि, जुलाई 2018 में परियोजना का संचालन प्रारम्भ हो जाने के बाद भी बाणसागर नहर परियोजना के अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश से मौजूदा नौ नहर प्रणालियों को 34,008 मिलियन घन फीट अतिरिक्त जल प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 5,782 मिलियन घन फीट (17 प्रतिशत) से 16,476 मिलियन घन फीट (48 प्रतिशत) ही जल की मांग की गयी थी। जल की मांग कम करने के कारणों का पता लेखापरीक्षा में नहीं लगाया जा सका। अग्रेतर, कम मात्रा में की गयी जल की मांग के बराबर भी जल, बाणसागर नहर परियोजना को बाणसागर डैम से प्राप्त नहीं हो रहा था जिसके कारण बाणसागर नहर परियोजना के नहर नेटवर्क को मात्र 1,680 मिलियन घन फीट (पांच प्रतिशत) से 2,921 मिलियन घन फीट (नौ प्रतिशत) जल की आपूर्ति हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, खेतों में कम जल की आपूर्ति की जा सकी तथा नहरें भी पूरी फसल अवधि में संचालित नहीं की जा सकी। फलस्वरूप, बाणसागर नहर परियोजना पर ₹ 3,419.37 करोड़ खर्च करने के बाद भी रबी में 44 से 45 प्रतिशत और खरीफ में 32 से 33 प्रतिशत तक सिंचाई सघनता में कमी रही तथा अतिरिक्त सिंचाई सघनता के सृजन का लक्ष्य अप्राप्त रहा।

इसी तरह, डैमों की अपर्याप्त जल भण्डारण क्षमता के कारण लहचुरा डैम परियोजना से धसान नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति कम हुई थी। पानी की कम आपूर्ति के परिणामस्वरूप नहरें कम अवधि में संचालित की जा सकी थी। खरीफ फसल में नहर से सिंचाई के 14,575 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 455 हेक्टेयर से 2,153 हेक्टेयर (3 से 15 प्रतिशत) तक की ही सिंचाई की गयी थी। यद्यपि, रबी की फसलों में सिंचाई में सुधार हुआ था।

दोनों, चयनित सिंचाई परियोजनाओं यथा बाणसागर नहर परियोजना और लहचुरा डैम परियोजना में नियोजन एवं क्रियान्वयन के स्तर पर कमियां थीं। बाणसागर नहर परियोजना में नहर प्रणालियों में पानी की वर्तमान उपलब्धता, मौजूदा नहर प्रणालियों की क्षमता वृद्धि जैसे विषयों पर या तो ध्यान नहीं दिया गया था अथवा विस्तृत परियोजना प्रतिवर्देन में इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधान अपर्याप्त थे। इसके कारण नहर की सिंचाई सघनता को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। लहचुरा और पहाड़ी डैम परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की परियोजना का स्कोप दोनों डैमों के पुराने ढांचे को बदलने तक सीमित

रखा गया। लहचुरा और पहाड़ी डैमों की अपर्याप्त जल भण्डारण क्षमता के विषय पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं से 97,169 हेक्टेयर के सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में नहर से सिंचाई सुविधा प्रदान नहीं की जा सकेगी।

दोनों चयनित परियोजनाओं में निर्माण कार्यों के स्कोप को दृढ़ नहीं किया गया और वह निर्माण कार्यों के सम्पादन के दौरान परिवर्तित होता रहा। इस कारण से, परियोजनाओं को 14 वर्ष (बाणसागर नहर परियोजना) और छह वर्ष (लहचुरा डैम परियोजना) के विलम्ब से एवं परियोजना लागत में भारी वृद्धि के साथ पूर्ण किया जा सका। अनुबंध प्रबंधन में भी गंभीर खामियां पायी गईं। बाणसागर नहर परियोजना में निविदा आमंत्रण और तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद अनुबंध की शर्तों में श्रम, पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रीकेन्ट तथा सामग्री में लागत वृद्धि के भुगतान का प्रावधान सम्मिलित किया गया। लहचुरा डैम परियोजना में अपात्र ठेकेदारों को कार्य के ठेके दिये गये। कार्यों के सम्पादन में मूल्य समायोजन का अतार्किक भुगतान, ठेकेदारों को ब्याज मुक्त अग्रिमों का अनियमित भुगतान, अनुबंध की मात्रा में भिन्नता की अनाधिकृत स्वीकृति, उचित औचित्य के बिना ठेके में समय विस्तार, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण आदि, संज्ञान में आये। नहरों को आपस में संयोजित करने का कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया। नहरों के रखरखाव में नियमितता नहीं थी।

अन्य घटक, जिनके कन्वर्जेन्स से सिंचाई परियोजनाओं का प्रतिफल प्रभावित होता है, का क्रियान्वयन भी अपर्याप्त था क्योंकि चयनित गाँवों में शासकीय बीज भंडारों से प्रमाणित बीजों की बहुत कम आपूर्ति की गयी थी तथा आपूर्तियां विलम्ब से भी की गयी थी। मृदा परीक्षण भी अपर्याप्त रहा था। नहर प्रणालियों का कमाण्ड क्षेत्र भी विकसित नहीं किया गया था जिससे सृजित सिंचाई सघनता का उपयोग बाधित था।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार को लहचुरा डैम और पहाड़ी डैम की जल भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अध्ययन करना चाहिए ताकि धसान नदी से पर्याप्त जल का भंडारण किया जा सके।

अनुशंसा 2: राज्य सरकार को बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों और धसान नहर प्रणाली के अन्तर्गत नहरों की पुनर्रचना/पुनर्रोद्धार का कार्य कुशलता एवं प्रभावी ढंग से करना चाहिए।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार को दोषपूर्ण सर्वेक्षण करने और परियोजनाओं की आवश्यकताओं का दोषपूर्ण आकलन करने के मामले की जांच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

अनुशंसा 4: सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सम्बन्ध में कठोर एवं प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। भविष्य की परियोजनाओं में कार्य पूर्ण करने में बार-बार होने वाले विलम्ब के मामले को संज्ञान में लेने और इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि ठेकेदारों की कार्य क्षमता, विलम्ब से कार्य करने हेतु दण्ड अभिरोपण तथा अनुबंधों में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अनुशंसा 5: राज्य सरकार को निष्पक्ष और पारदर्शी अनुबंध की शर्त लगाकर तथा निविदाओं को व्यापकता के साथ प्रकाशित करा कर निविदा में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना चाहिए और विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में हो रही त्रुटियों को दूर करना चाहिए।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार बाणसागर नहर परियोजना में श्रम तथा पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकेन्ट के मूल्य समायोजन के लिए प्रतिशत भारांक प्रदान करने के आधार की समीक्षा

कर सकती है तथा वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रतिशत भारांक न लगाकर मनमाने ढंग से इनके भारांक निर्धारित करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है।

अनुशंसा 7: राज्य सरकार को समय-वृद्धि प्रदान करने, लागत भिन्नताओं और अतिरिक्त मदों पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग, शासकीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

अनुशंसा 8: चूंकि नहरों के मध्य परिकल्पित संयोजन सुनिश्चित किये बिना ही बाणसागर नहर परियोजना को पूर्ण कर दिया गया था, इसलिए राज्य सरकार को व्यापक समीक्षा के माध्यम से इस मामले में हुई कमियों का आकलन करना चाहिए, इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए एवं सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

अनुशंसा 9: बाणसागर डैम से जल की निर्धारित आपूर्ति प्राप्त करने तथा इससे जुड़ी नहर प्रणालियों में अग्रेतर जल प्रवाह में आ रही बाधाओं को चिन्हित करने और उसका उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है। सृजित सिंचाई क्षमता के इष्टतम् उपयोग हेतु राज्य सरकार को समयबद्धता एवं समन्वय के साथ आवश्यक कार्यों का आकलन कर उन्हें सम्पादित करना चाहिए।

अनुशंसा 10: राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उचित जांच करनी चाहिए जिनके कारण धसान नहर प्रणाली के 97,169 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं किया जा सका।

अनुशंसा 11: राज्य सरकार को कृषि विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उपलब्ध जल का इष्टतम् उपयोग किया जा सके, फसलों में उपयुक्त क्रापिंग पैटर्न अपनाने और परिणामी उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषकों को कृषि आदानों का समय पर पर्याप्त वितरण किया जा सके। भविष्य की परियोजनाओं हेतु हम अनुशंसा करते हैं कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सभी हितधारक विभागों को सम्मिलित करते हुए एक कनर्वजेन्स प्लान होना चाहिए ताकि कमाण्ड क्षेत्र का विकास समन्वित ढंग से किया जा सके।

अनुशंसा 12: राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जल उपभोक्ता संघ के गठन की कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनभागीदारी से नहर प्रणालियों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जा सके।

अध्याय – 1

प्रस्तावना

v/; k; &1

i Lrkouk

इस अध्याय में उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के साधनों, आच्छादन एवं सिंचाई परियोजनाओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रतिफल के संकेतकों के बारे में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, लेखापरीक्षा आच्छादन और लेखापरीक्षा क्रियाविधियों के बारे में भी इस अध्याय में चर्चा की गयी है।

v/; k; dk | kj


- राज्य के कुल 240.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 187.75 लाख हेक्टेयर (78 प्रतिशत) कृषि भूमि है, जिसमें से 143.89 लाख हेक्टेयर (77 प्रतिशत) सिंचित क्षेत्र है;
- उत्तर प्रदेश में, नहरों के 75,466 किलोमीटर नेटवर्क के माध्यम से 24.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (सिंचित क्षेत्र का 17 प्रतिशत) में नहरों से सिंचाई सुविधा प्रदान की गयी है।

1.1 i Lrkouk

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यह देश की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। इसलिए, समाज के समग्र विकास के लिए कृषि का संधारणीय विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित सिंचाई सुविधा तथा कृषि की अन्य आवश्यकताएं जिसमें कृषि आदानों की ससमय और पर्याप्त उपलब्धता सम्मिलित है, कृषि के त्वरित विकास में सहायक होतीं हैं।


वर्षा जल के अलावा, सिंचाई के लिए जल, सतह और भूमिगत दोनों जल संसाधनों से प्राप्त किया जाता है। राज्य के कुल 240.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 187.75 लाख हेक्टेयर (78 प्रतिशत) कृषि भूमि है, जिसमें से 143.89 लाख हेक्टेयर (77 प्रतिशत) शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई स्रोतों का हिस्सा pkVl 1-1 में दर्शाया गया है।

pkVl 1-1 % jkt; efl pkbz ds | ksr



उत्तर प्रदेश में 75,466 किमी नहर नेटवर्क के माध्यम से नहर सिंचाई प्रदान की जाती है। राज्य के चार आर्थिक अंचलों में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का वितरण pkV/ 1-2 में दर्शाया गया है तथा इन अंचलों में अवस्थित जनपदों का विवरण /f/f'k"V 1-1 में दिया गया है।

pkV/ 1-2% ugj k }kj k fl fpr {ks= dk v{kpfydk forj .k



(स्रोत: सांख्यिकीय डेटा-2018, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश)

1.2 | खुली जल संसाधन विभाग

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, राज्य में नहर नेटवर्क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। विभाग का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव करते हैं तथा विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन, राज्य स्तर पर प्रमुख अभियंता, क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता, मण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियंता एवं खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियंताओं के तकनीकी नियंत्रण में किया जाता है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाओं की योजना एवं संचालन में सम्मिलित रहने वाले अन्य विभागों का विवरण rkfydk 1-1 में दिया गया है।

rkfydk 1-1 % | cf/kr foHkkx , o\ mudh Hkfedk, a

cf/kr foHkkx dk uke	foHkkx dh Hkfedk , o\ mRrjn kf; Ro
कृषि विभाग	सिंचाई परियोजनों में लक्षित क्रापिंग पैटर्न एवं सिंचाई हेतु जल प्रदान करने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कृषि योजना बनाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य
भूगर्भ जल विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग	कृषि हेतु भूगर्भ जल की उपलब्धता की स्थिति एवं नहर सिंचाई परियोजना के साथ भूगर्भ जल का सह-उपयोग
उद्यान विभाग	उद्यान उपजों से सम्बन्धित क्रापिंग पैटर्न
राजस्व विभाग	क्राप कटिंग की पद्धति के द्वारा कृषि उत्पादनों का अनुमान

1.3 यस्की जहक्क मनोः ;

बाणसागर नहर परियोजना तथा चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- सिंचाई परियोजनाओं की योजना अभीष्ट उद्देश्यों के अनुरूप बनाई गई थी;
- परियोजनाओं के कार्यों का निष्पादन मितव्ययिता, कुशलता और प्रभावी ढंग से किया गया; तथा,
- परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त किए गए और उन्हें लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया।

1.4 यस्की जहक्क एकुनम्

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से लिए गये:-

- केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जारी दिशानिर्देश-2010;
- कमाण्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2015;
- भूगर्भ जल के सह-उपयोग के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सुझाए गये सिंचाई प्रदर्शन मूल्यांकन के संकेतक;
- चयनित सिंचाई परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन .;
- उत्तर प्रदेश सिंचाई नियमावली; तथा
- वित्तीय नियमावलियाँ, कार्यों के निष्पादन हेतु अनुबंध प्रबंधन, क्रयों तथा पुनर्वास आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश, इत्यादि।

1.5 यस्की जहक्क दक दक; क्षे वक्ष दक; इलक्क्यह

नहर से सिंचाई की परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन लेखापरीक्षा में किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने उन सिंचाई परियोजनाओं की पूरी जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई जिनके अन्तर्गत इन नहरों का निर्माण/संचालन¹ किया गया था। तथापि विभाग ने अप्रैल 2011 से मार्च 2017 के दौरान पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण की गयी 19 सिंचाई परियोजनाओं का विवरण अगस्त 2019 में प्रदान किया। इन 19 सिंचाई परियोजनाओं में 12 वृहद सिंचाई परियोजनायें थीं जिनका विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

¹ केन्द्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2020 तक उत्तर प्रदेश में 118 वृहद और मध्यम (विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण सहित) सिंचाई परियोजनाएं थीं।

rkfydk 1-2 % vi \$y 2011&12 l s 2016&17 ds nkjku i wkl@vkf'kd : lk l s
i wkl dh x; h ogn fl pkbz i fj ; kstukvka dk fooj . k

०० । ०	i fj ; kstuk dk uke	vreknu dk वर्ष	i fj ; kstuk dh fLFkfr	i fj ; kstuk dh ykxr ₹djkM+e%	vi f{kr ykHK %gtkj gDVs j e%
1.	राजधाट नहर परियोजना	अप्रैल 1981	मार्च 2012 में कमीशन	542.00	138.60
2.	चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना	अप्रैल 2003	मार्च 2015 में कमीशन	328.30	14.58
3.	बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश)	फरवरी 1994	जुलाई 2018 में कमीशन	3420.24	150.13
4.	सरयू नहर परियोजना	जुलाई 1978	प्रगति में ²	10003.12	1404.00
5.	अर्जुन सहायक परियोजना	मार्च 2010	प्रगति में ³	2655.29	44.38
6.	मध्य गंगा नहर परियोजना (फेज-2)	जून 2007	प्रगति में	4234.11	146.00
7.	बदायूं सिंचाई योजना	अक्टूबर 2011	प्रगति में	2100.16	37.45
8.	भौरंट डैम परियोजना	नवम्बर 2007	प्रगति में	612.77	16.00
9.	कनहर सिंचाई योजना	जनवरी 1979	प्रगति में	2239.55	35.00
10.	कचनौदा डैम परियोजना का शेष कार्य	जनवरी 2007	प्रगति में	594.46	10.85
11.	उमरहट नहर द्वितीय चरण	जनवरी 2011	प्रगति में ⁴	149.60	25.66
12.	कोसी नदी पर रामपुर बैराज के निर्माण की परियोजना तथा जिला रामपुर में कोसी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	नवम्बर 2014	प्रगति में	629.80	24.25

परियोजनाओं के नमूने का चयन करने के लिए लेखापरीक्षा ने दो मानदंडों पर ध्यान केन्द्रित किया, अर्थात् वे परियोजनाएं जो जनवरी 2011 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण की गई थीं और कम से कम पिछले दो वर्षों से लाभ प्रदान कर रही थीं। तदनुसार, विस्तृत समीक्षा के लिये तालिका 1.2 में वर्णित 12 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, बाणसागर नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश और चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना (लहचुरा डैम परियोजना) का चयन किया गया। धसान नहर प्रणाली को जल उपलब्ध कराने के लिये निर्मित किया गया लहचुरा डैम, निकट स्थित पहाड़ी डैम और सपरार डैम से जल प्राप्त प्राप्त करता है। इसलिए पहाड़ी डैम, सपरार डैम और धसान नहर प्रणाली से सम्बन्धित अभिलेखों की भी जांच लेखापरीक्षा में की गयी।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2014 से मार्च 2021 की अवधि के अभिलेख तथा इसके आगे एवं पीछे की कड़ियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच, विभाग स्तर पर तथा चयनित सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर की गई। कृषि, भूगर्भ जल, उद्यान, लघु सिंचाई और राजस्व जैसे संबंधित विभागों के अभिलेखों की भी संवीक्षा लेखापरीक्षा

² परियोजना को बाद में दिसंबर 2021 में संचालित किया गया था।

³ परियोजना को बाद में नवम्बर 2021 में संचालित किया गया था।

⁴ परियोजना को बाद में सितंबर 2021 में संचालित किया गया था।

की गई तथा सूचनायें एकत्र की गयी। लेखापरीक्षा में आच्छादित विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण *fjf'k"V&1-2* में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, दोनों चयनित सिंचाई परियोजनाओं में 29 नहरों (119 गांवों को आच्छादित करते हुए) का चयन, प्रतिफलों के विस्तृत विश्लेषण के लिए, बिना प्रतिस्थापन के सरल रैण्डम सैम्प्लिंग विधि का उपयोग करके किया गया चयनित गांवों में विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरे के माध्यम से सेवाओं की प्रदायगी के संबंध में साक्ष्य भी एकत्र किए गए।

13 जनवरी 2020 को राज्य सरकार के साथ आयोजित की गयी एक परिचयात्मक बैठक में लेखापरीक्षा उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई। मसौदा प्रतिवेदन जनवरी 2022 में शासन को भेजा गया। शासन के साथ 30 जुलाई 2022 को आयोजित की गयी समापन बैठक में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा भी की गई। जुलाई 2022 एवं सितम्बर 2022 में मसौदा प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हुए, जिन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया।

1.6 p; fur fl pkbl i fj ; kst ukvk dk | f{klr fooj . k

1.6.1 ck.kl kxj ugg i fj ; kst uk /mRrj i ns' k%

बाणसागर परियोजना तीन राज्यों यथा बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है, जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाणसागर डैम का निर्माण किया गया था। तीन राज्यों के बीच सितंबर 1973 में निष्पादित एक समझौते के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बाणसागर डैम से 1.0 एमएफ⁵ जल का उपयोग करने का हकदार है और बाणसागर डैम की लागत को मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले जल की मात्रा के अनुपात में साझा किया जाना था जिसका अनुपात क्रमशः 2:1:1 अर्थात् 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 25 प्रतिशत था।

बाणसागर नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत बाणसागर डैम⁶ से सोन नदी के 0.78 एमएफ⁷ जल का उपयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश में नहर प्रणालियों का निर्माण किया जाना था। बाणसागर नहर परियोजना के संचालन के पश्चात प्रयागराज और मीरजापुर जिलों के 2.32 लाख हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र⁸ में मौजूदा नौ नहर प्रणालियों⁹ की सिंचाई सघनता 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत करने का उदेश्य था। इन मौजूदा नौ नहर प्रणालियों को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराकर 1.50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सघनता विस्तार किया जाना था।

परियोजना के एक भाग के रूप में, उत्तर प्रदेश के जल के हिस्से (963 एम.सी.एम.) को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक संयुक्त जल वाहिनी एवं संयुक्त पोषक नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लाया जाना था, उसके बाद मीरजापुर जिले में निर्मित

⁵ मिलियन एकड़ फीट

⁶ बाणसागर डैम से उत्तर प्रदेश के आवंटित हिस्से (1.0 एमएफ) में से 0.22 एमएफ जल सोन पंप नहर के माध्यम से उपयोग किया जा रहा था।

⁷ 34,008 मिलियन क्यूबिक फीट (मिलीयन घन फीट) के बराबर

⁸ यह वह क्षेत्र है जो एक योजना से भौतिक रूप से सिंचित किया जा सकता है और खेती के लिए उपयुक्त है।


⁹ बेलन नहर (बेलन नदी से), टोंस पंप नहर (टोंस नदी), यमुना पंप नहर (यमुना नदी), अदवा सुखारा नहर (सुखरा जलाशय), बरौंधा रजवाहा नहर (सिरसी जलाशय), हरई नहर (हरई डैम), निचली खजूरी नहर (खजूरी नदी), गरई नहर (डोंगिया और अहरौरा डैम) और जिरगो नहर (जिरगो डैम)।

अदवा बैराज तक एक समर्पित फीडर नहर द्वारा लाया जाना था। अदवा बैराज से अदवा डैम व मेजा डैम को जल उपलब्ध कराना था। अदवा डैम से अदवा सुखरा नहर प्रणाली में जल की उपलब्धता बढ़ाई जानी थी। इसी प्रकार मेजा डैम से मीरजापुर जिले की पांच मौजूदा नहर प्रणालियों¹⁰ और प्रयागराज जिले की तीन मौजूदा नहर प्रणालियों¹¹ को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना था।

बाणसागर डैम, संयुक्त जलवाहिनी, संयुक्त पोषक नहर और बाणसागर पोषक नहर मध्य प्रदेश में स्थित हैं जबकि शेष संरचनायें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बाण सागर डैम, संयुक्त जल वाहिनी, संयुक्त पोषक नहर का निर्माण किया था और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी निर्माण लागत को साझा¹² किया था तथा इस मद में ₹ 517.56 करोड़ का भुगतान किया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाणसागर परियोजना, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत, बाणसागर पोषक नहर, अदवा बैराज, अदवा मेजा लिंक चैनल, मेजा जिरगो लिंक चैनल और मौजूदा नहरों के पुनर्नियन का कार्य निष्पादित किया था। बाणसागर परियोजना, उत्तर प्रदेश का कार्य 1997 में प्रारम्भ किया गया था और 14 वर्षों के विलम्ब से जुलाई 2018 में ₹ 3,419.37 करोड़ (मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान किये गये ₹ 517.56 करोड़ सहित) के व्यय से संचालित किया गया था। परियोजना का एक आरेख नीचे दिया गया है:-

$$fp = 1 - 1\% \text{ ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk dk vkjs[k}$$



¹⁰ बरोंडी रजवाहा नहर, हर्रई नहर प्रणाली, लोअर खजुरी नहर प्रणाली, गरई नहर प्रणाली और जिरगो नहर प्रणाली।


¹¹ बेलन नहर प्रणाली, टोस पंप नहर प्रणाली और यमुना पंप नहर प्रणाली।

¹² बाणसागर डैम: डैम की लागत का 1/4; संयुक्त जल वाहिनी: संयुक्त जल वाहिनी की लागत का 1/3; और संयुक्त पोषक नहर: संयुक्त पोषक नहर की लागत का 2/3।

1.6.2 ygpjk M^e i fj ; kstuk

वर्ष 1906–10 के दौरान निर्मित की गयी धसान नहर प्रणाली महोबा और हमीरपुर जनपदों के 97,169 हेक्टेयर सी.सी.ए. को आच्छादित करती है। धसान नहर प्रणाली धसान नदी¹³ पर निर्मित चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम से निकली है। लहचुरा डैम, अपने स्वयं के जल भंडारण के अलावा दो अन्य डैम यथा पहाड़ी डैम और सपरार डैम से जल प्राप्त करता है। पहाड़ी डैम, लहचुरा डैम से छह मील उपर धसान नदी पर स्थित है, जबकि सपरार डैम सुखनई नदी पर स्थित है, जो धसान नदी की एक सहायक नदी है। इन परियोजनाओं का एक आरेख $f_0=1-2$ में प्रदर्शित किया गया है:—

$$f_0 = -1-2\% / kI \text{ ku ugj i z kkyh dk vkjks[k}$$



(स्रोत: मुख्य अभियन्ता, बेतवा परियोजना)

लहचुरा और पहाड़ी दोनों डैमों की संरचनाएं पुरानी और अप्रचलित हो गई थी, जिसके कारण जल के प्रवाह को नियंत्रित¹⁴ करने के लिए मौजूदा शटर की व्यवस्था, मानसून के मौसम¹⁵ में परिचालन समर्स्या पैदा कर रही थी। इसलिए, धसान नहर प्रणाली को अधिकतम उपयोग और निश्चित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ₹ 7.04 करोड़ की अनुमानित लागत पर चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण की एक परियोजना वर्ष 1979 में स्वीकृत की थी। आधुनिकीकरण का उक्त कार्य मार्च 2015 में ₹ 328.30 करोड़ के व्यय पर पूर्ण किया गया था। पहाड़ी डैम जो कि लहचुरा डैम के अपस्ट्रीम में निर्मित था, में पुराने ढांचों के बदलाव हेतु डैम के आधुनिकीकरण की एक परियोजना पर राज्य सरकार के द्वारा अलग से स्वीकृति जनवरी 2009 में दी गयी थी। पहाड़ी डैम परियोजना, मार्च 2018 में ₹ 354.20 करोड़ के व्यय पर पूर्ण की गयी थी। उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में डैमों की जल भण्डारण क्षमता नहीं बढ़ाई गई थी, अपितु इनके पुराने ढांचों को ही बदला गया था।

¹³ शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है।

¹⁴ पहाड़ी डैम से लहचुरा डैम में जल छोड़ा जाना था। साथ ही लहचुरा डैम में जमा जल धसान नहर प्रणाली को छोड़ा जाना था।

¹⁵ डैमों में जल मुख्य रूप से मानसून के मौसम में जमा होता था।

1.7 i frQyka ds | drd

मुख्य अभियंता, बाणसागर परियोजना ने सितम्बर 2022 में यह बताया कि सिंचाई परियोजनाओं के लाभों का मूल्यांकन सिंचित क्षेत्र और फसल चक्रों के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। बाणसागर नहर परियोजना और चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा में इन चयनित परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अपेक्षित प्राप्तियों के सापेक्ष निम्न प्रतिफलों का मूल्यांकन किया गया।

i frQyka ds drd ftudk eW; kdu ys[kki j h{kk e fd; k x; k	Pk; fur i fj; kstukvks ds folr`r i fj; kstuk i fronu e I EcflU/kR lkklfr; ka dk fooj .k ftUgs i fj; kstukvks l s i klr fd; k tkuk Fkk
नहर के टेल तक जल की सुनिश्चित और पर्याप्त उपलब्धता	<ul style="list-style-type: none"> बाणसागर नहर परियोजना ने मौजूदा नौ नहर प्रणालियों में 22,495 मिलियन क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल की वृद्धि की परिकल्पना की है, जो रबी में 0.89 लाख हेक्टेयर और खरीफ में 0.61 लाख हेक्टेयर सहित 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई तीव्रता उपलब्ध कराएगा। लहचुरा डैम परियोजना में जल के अनुकूलतम उपयोग और धसान नहर प्रणाली को जल की सुनिश्चित आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना था ताकि खरीफ फसल में 14,575 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सघनता सृजित की जा सके।
क्रापिंग पैटर्न में परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> बाणसागर परियोजना में रबी एवं खरीफ के मौजूदा बोये गये क्षेत्र जो क्रमशः 44 प्रतिशत और 41 प्रतिशत था, के सापेक्ष इसे रबी में 83 प्रतिशत और खरीफ में 67 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। इसके अलावा बाणसागर परियोजना के पूर्ण होने के बाद तिलहन और मटर की खेती के क्षेत्र में परिवर्तन किये जाने के साथ साथ 17,150 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी की अतिरिक्त फसल को बोया जाना था। लहचुरा डैम परियोजना में 0.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की परिकल्पना की गयी थी जो पहले नहीं की जाती थी।
सिंचाई परियोजनाओं के संचालित होने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि	<ul style="list-style-type: none"> चयनित सिंचाई परियोजनाओं का संचालन होने के पश्चात रबी और खरीफ की विभिन्न फसलों में उत्पादकता में सुधार और अनाज के अतिरिक्त उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया था।

लेखापरीक्षा में हमने अभिलेखों की संवीक्षा यह आकलित करने के लिए किया कि उपरोक्त अपेक्षित प्राप्तियां, परियोजनाओं के संचालित हो जाने के पश्चात किस सीमा तक प्राप्त की जा सकी। यद्यपि, चूंकि उपरोक्त सभी संकेतक/प्राप्तियों को प्राप्त किया जाना कई अन्य अवयवों जैसे बीज, कृषि आदानों, मृदा स्वास्थ्य और क्रेडिट पर निर्भर करता है, इसलिए लेखापरीक्षा में निष्कर्ष निकालने हेतु, नहरों में पर्याप्त जल की सुनिश्चित आपूर्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया तथा साथ ही साथ अन्य घटकों को भी संज्ञान में लिया गया। इन बिन्दुओं पर अध्याय चार में चर्चा की गयी है।

1.8 çfronu dh | jpu

यह प्रतिवेदन निम्नलिखित चार अध्यायों में प्रस्तुत की गयी है:

v/; k; &1% प्रस्तावना, परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण, लेखापरीक्षा आच्छादन और दृष्टिकोण तथा प्रतिफलों के संकेतकों से सम्बन्धित है।

v/; k; &2% परियोजना नियोजन, आवश्यकताओं का आकलन एवं इसमें रही कमियों जैसा कि परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में बताया गया था, से सम्बन्धित है।

v/; kk; &3% परियोजना कार्यान्वयन, निधि की उपलब्धता और अनुबंध प्रबंधन से संबंधित है।

v/; k; &4% परियोजना प्रतिफलों, चयनित परियोजनाओं को पूर्ण करके इन्हें संचालित किये जाने और इन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में वांछित लाभों के सापेक्ष प्रतिफलों की प्राप्तियों से संबंधित है।

1.9 vñkkLohdfr

बाणसागर नहर परियोजना और चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा किये जाने में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को दिये गये सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।

अध्याय – 2

परियोजना का नियोजन

vè; k; &2

i fj ; kst uk dk fu; kst u

इस अध्याय में लक्षित लाभों को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की संकल्पना और निर्माण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है।

ys[kki jh{kk mís'; 1: f/ pkbl परियोजनाओं की योजना अभीश्ट उद्देश्य; k/ ds vuq i cukbl xb/ Fkh/

vè; k; dk | kj

- लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना के नियोजन में कमियां रहीं थीं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन और कार्य प्रारम्भ कर देने के उपरान्त भी ड्राइंग, डिजाइन और कार्यों की मात्रा को अन्तिम रूप देने में अप्रत्याशित अधिक समय लिया।
- परियोजनाओं के कार्य के स्कोप में कई बार परिवर्तन किया गया था जिसके फलस्वरूप न केवल परियोजना की लागत बदलती रही बल्कि परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन भी नहीं किया जा सका।
- बाणसागर नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश, में मौजूदा नौ नहर प्रणालियों में अतिरिक्त जल की आवश्यकता का सही आकलन नहीं किया गया था और नहर प्रणालियों की पुनर्रचना कार्य हेतु परियोजना प्रतिवेदन में सीमित संख्या में ही नहरों का समावेश किया गया। इस सम्बन्ध में नहरों के चयन में तदर्थता भी बरती गयी थी।
- धसान नहर प्रणाली में, लहचुरा और पहाड़ी डैम के जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर विचार ही नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप धसान नहर प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डैम के पास पर्याप्त जल ही उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, धसान नहर प्रणाली की पुनर्थापना कार्य का प्रावधान नहीं किया गया था जबकि तथ्य यह था कि धसान नहर प्रणाली अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी।

2-1 cLrkouk

एक सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन की अवधारणा से पहले विस्तृत और सुविचारित नियोजन का बहुत महत्व है। नियोजन की कमी से सिंचाई परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा आ सकती है और परिणामस्वरूप, भारी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च करने के बाद भी अपेक्षित लाभ उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। सिंचाई परियोजना के नियोजन में, परियोजना निर्माण की तकनीकी व्यवहार्यता, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव, स्रोत पर जल की उपलब्धता और इसके अन्य उपयोग, परियोजना घटकों का निर्धारण और लागत विश्लेषण, वित्तीय आवश्यकता और वित्तीय स्रोतों की पहचान आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड—VI के अनुच्छेद 318 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए विस्तृत प्राककलन तैयार किए जाने चाहिए, तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विस्तृत प्राककलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। विस्तृत प्राककलन पर तकनीकी स्वीकृति यह आश्वासन देता है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं और प्राककलन सटीक गणना और पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है।

केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के बाद भारत सरकार द्वारा जारी सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा लागू भारतीय मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।

परियोजना बनाने में रही कमियां लेखापरीक्षा में प्रकाश में आयीं जिन पर अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

2-2 ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk %mÙkj çn' k dh foLrr i fj ; kstuk ifronu ei dfe; ka

2-2-1 fu; kstu dh deh ds dkj.k foLrr i fj ; kstuk ifronu ei ckj &ckj I ñkkéku gkuk

बाणसागर नहर परियोजना का सर्वेक्षण कार्य 1977–78 में शुरू किया गया था और इसे ₹ 330.19 करोड़ की अनुमानित लागत पर जनवरी 1994 में केंद्रीय जल आयोग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। यद्यपि, परियोजना की अग्रेतर प्रगति धीमी रही और परियोजना का निर्माण कार्य 1997–98 में ही प्रारम्भ किया जा सका। 1997–98 के बाद भी, निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए सम्पादित नहीं किया गया, जिसके कारण परियोजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि को चार बार संशोधित किया गया, जिसका परिणामी प्रभाव समय और लागत में वृद्धि के रूप में rkfydk 2-1 में वर्णित है।

rkfydk 2-1 % i fj ; kstuk ykxr ei I ñkkéku

%djkM+ #i ; s e%

Lohkfr o"kl	Lohkfr o"kl	I ñkkékr vuþfur ykxr	ei ykxr l s i fj ; kstuk ykxr ei çfr'kr of)	i jk gkus dh yf(kr frffk	i fj ; kstuk ds i jk gkus dk Lrj %çfr'kr ei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1994 (मूल)	330.19	—	—	2004	—
2003 (प्रथम पुनरीक्षण)	330.19	955.06	189	2006	34
2007 (द्वितीय पुनरीक्षण)	955.06	2058.01	523	2010	43
2010 (तृतीय पुनरीक्षण)	2058.01	3149.90	854	2013	75
2017 (चतुर्थ पुनरीक्षण)	3149.90	3420.24	936	2018	90

(स्रोत: मुख्य अभियन्ता, बाणसागर नहर परियोजना)

परियोजना का संचालन जुलाई 2018 में ₹ 3,419.37 करोड़ के व्यय से किया गया था, जिसमें 14 वर्ष का विलम्ब और 936 प्रतिशत की लागत वृद्धि रही। परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के भिन्नता विवरण में परियोजना पूर्ण होने के कारणों के

सम्बन्ध जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार विलम्ब का कारण परियोजना के स्कोप में बार-बार परिवर्तन होते रहना और परियोजना कार्य सम्पादन की अवधि¹ में मुख्य अभियंता द्वारा मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष शासन से कम धन अवमुक्त कराना था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह भी प्रकाश में आया कि 1994 में परियोजना बनाते समय और बाद के संशोधनों के दौरान भी मुख्य अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने कार्यों की विभिन्न मदों की आवश्यकता का ठीक से आकलन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, न केवल इन कार्यों की मात्रा में लगातार संशोधन किया गया था, बल्कि परियोजना के निष्पादन की पूरी कार्य अवधि में नई मदों को जोड़ा गया था। इस संबंध में भिन्नता विवरण की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभिन्न संरचनाओं की मात्रा जैसे रेगुलेटर, क्रॉस ड्रेनेज, नहर पुल, स्केप, सर्विस रोड को कार्य के निष्पादन की पूरी अवधि (1994–2019) के दौरान कई गुना (20 प्रतिशत से 581 प्रतिशत) बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, संरचनाओं के डिजाइन में परिवर्तन ने भी परियोजना की लागत में संशोधन किया²। सभी परिवर्तनों के संबंध में डिजाइन में परिवर्तन का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। हालांकि, उपलब्ध अभिलेखों से यह देखा गया कि बाणसागर फीडर नहर में, 2008 में सीमेंट कंक्रीट (सी०सी०) लाइनिंग से डिजाइन को बहुत महंगे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आर०सी०सी०) लाइनिंग में बदल दिया गया था क्योंकि विभाग द्वारा आर०सी०सी० लाइनिंग की आवश्यकता इस आधार पर निर्धारित की गयी कि नहरों का सरेखण स्लिप जोन में अवस्थित था। इसके अलावा, समय बीतने से संरचनाओं की लागत में वृद्धि ने भी परियोजना की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। लागत भिन्नताओं का विवरण rkfydk 2-2 में उल्लिखित किया गया है और /fj'f'k"V&2-1 में विस्तृत रूप में इसे दिखाया गया है।

rkfydk 2-2 % foLrr i fj; kstuk i froru ei fhlurkvk dk fooj . k

₹ dj km+ e

vofek	dly fhlurk ykr	fhlurk ds 0; ki d dkj . k			
		vi ; klr çkoëku	fM t kblu ei i fj orlu	vfrfj ä vko'; drk	em; of)
1994 से 2003	355.46	122.80	26.25	शून्य	206.41
2003 से 2007	969.08	209.81	330.80	154.86	273.61
2007 से 2010	913.73	140.08	311.35	175.57	286.73
2010 से 2017	507.85	82.87	252.36	शून्य	172.62
; kx		555-56	920-76	330-43	939-37

(स्रोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि परियोजना की अंतिम लागत संशोधन (2017) में, छह वस्तुओं की लागत को परियोजना के दायरे से आंशिक रूप से बाहर रखा गया था, नामतः, मिट्टी का कार्य (₹ 42.73 करोड़), सर्विस रोड (₹ 42.00 करोड़), संचार (₹ 9.83 करोड़), पर्यावरण और पारिस्थितिकी (₹ 10.26 करोड़), वृक्षारोपण (₹ 1.92 करोड़) और विविध मदें (₹ 3.73 करोड़)। मिट्टी के कार्य के मामले में, अनुमानित लागत ₹ 595.23 करोड़ से घटाकर ₹ 552.50 करोड़ कर दी गई थी, जिसके कारण मिट्टी के कार्य का निष्पादन 442.085 लाख घन मीटर की मूल अनुमानित मात्रा के मुकाबले 386.678 लाख घन मीटर (87 प्रतिशत) तक सीमित था। नहर तट

¹ परियोजना के चालू होने के बाद बाणसागर नहर परियोजना का कार्य मार्च 2019 तक जारी रहा।

² अपर्याप्त वित्त पोषण से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन पर प्रस्तर 3.2.1.2 में चर्चा की गई है।

पर सर्विस रोड के मामले में, निष्पादित लंबाई (26.706 किमी) अनुमानित लंबाई (180.290 किमी) की 15 प्रतिशत थी। अन्य चार मदों के मामले में, जैसे, वृक्षारोपण, संचार, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और विविध वस्तुएं ₹ 25.75 करोड़ की कम लागत की तुलना में कार्य में कमी की मात्रा के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कोई विवरण नहीं था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने की मूल तिथि से 23 वर्षों व्यतीत हो जाने के बाद विभिन्न कार्य मदों को परियोजना के स्कोप से बाहर कर दिये जाना विभाग के तदर्थ दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। परियोजना स्कोप से ऐसे कार्यों को बाहर कर दिये जाने के फलस्वरूप जुलाई 2018 में परियोजना के संचालित हो जाने के बावजूद कई कार्य अधूरे रह गये थे जिसके कारण परियोजना के अपेक्षित प्रतिफल प्रभावित रहे, जिनपर अनुच्छेद 4.2.1 में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना में कार्यों के ड्राइंग, डिजाइन, स्कोप और मात्रा को 2017 तक दृढ़ नहीं किया जा सका और इन्हें परियोजना कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान बदला जाता रहा। परिणामस्वरूप, न केवल परियोजना की लागत बदलती रही बल्कि परियोजना पूर्ण करने की समय सीमा का भी पालन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि कैमूर पहाड़ी और निचली विध्य रेंज के दक्षिणी ढलान के क्षेत्र में बाणसागर नहर परियोजना का निर्माण किया गया था। चट्टानी स्तर होने के कारण, समय—समय पर साइट की आवश्यकता बदल गई। सरकार ने आगे कहा कि केंद्रीय जल आयोग ने भी समय—समय पर निर्देश दिए थे जिसके लिए कई संरचनाओं में ड्राइंग और डिजाइन में बदलाव की आवश्यकता थी।

तथ्य यथावत् रहा कि वास्तव में विभाग को बाणसागर नहर परियोजना शुरू करने से पहले क्षेत्र की भौगोलिक और भूवैज्ञानिक स्थिति ज्ञात थी। बाणसागर नहर परियोजना शुरू करने से पहले, व्यापक सर्वेक्षण, जांच और अध्ययन किए जाने चाहिए थे। हालांकि, परियोजना का कार्य पर्याप्त और सटीक सर्वेक्षण के बिना प्रारम्भ किया गया था, जो परियोजना प्रतिवेदन में बार-बार संशोधन किये जाने से स्पष्ट है। जबकि विभाग ने परियोजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किये जाने एवं इसके आधार पर निर्णय लेने में 17 वर्ष का समय लिया था। परिणामस्वरूप, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, परियोजना का स्कोप बदलता रहा, परियोजना पूर्ण होने में 14 साल का विलम्ब हुआ और लागत कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा, जनता 14 वर्षों तक परियोजना के लाभों से वंचित रही और लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसलिए, राज्य सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए तथा अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण करने हेतु दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए और उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए जिनके कारण 23 वर्षों की सम्पूर्ण कार्य सम्पादन अवधि के दौरान परियोजना का स्कोप बदलता रहा।

2-2-2 ty dh vko'; drk dk xyr ew; kdu

बाणसागर नहर परियोजना में प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों में मौजूदा नौ नहर प्रणालियों में अतिरिक्त जल के संवर्धन से 1,50,132 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सघनता बढ़ाने की परिकल्पना की गयी थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विभाग ने इन नौ नहर प्रणालियों में मौजूदा जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई सघनता को लक्षित स्तर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जल का विश्लेषण किया था।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और खण्डों के अभिलेखों³ से पाया कि अतिरिक्त जल की आवश्यकता के लिए विभाग का आकलन सही नहीं था। नौ नहर प्रणालियों में से, दो नहर प्रणालियों⁴, में जल की उपलब्धता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किये आकलन की तुलना में कम (37 से 62 प्रतिशत) थी। अन्य सात नहर प्रणालियों के संबंध में, संबंधित खड़ो ने बाणसागर नहर परियोजना से पूर्व की अवधि में इन नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता के अभिलेख प्रदान नहीं किये।

दो नहर प्रणालियों में जल की मौजूदा उपलब्धता के गलत आकलन के परिणामस्वरूप केवल 2087 मिलियन घन फीट जल⁵ 4,434 मिलियन घन फीट जल⁶ की आवश्यकता के मुकाबले किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग इन दो नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्रों में 30 प्रतिशत की कमी के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित 38,670 हेक्टेयर⁷ की तुलना में 26,935 हेक्टेयर की ही सिंचाई करने में सक्षम होगा।

राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में कहा कि विभिन्न नहर प्रणालियों में आवश्यक जल की मात्रा की गणना क्रापिंग पैटर्न, मौसम, उपलब्ध जल संसाधन और मुख्य अभियंता समिति में तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लोवर खजूरी और गरई नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता के गलत आंकड़ों पर तैयार किया गया था।

2-2-3 | પુનર્વિરોધ પ્રાપ્તિકાળ પ્રાપ્તિકાળ

बाणसागर नहर परियोजना ने फसल जल की आवश्यकता के लिए बाणसागर डैम से मौजूदा नौ नहर प्रणालियों के लिए अतिरिक्त 637 एम सी एम जल को बढ़ाने की परिकल्पना की थी। इस प्रकार, विभाग को मौजूदा नौ नहर प्रणालियों की जल वहन क्षमता का आकलन करने और तदनुसार नहरों की पुनर्रचना करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने पुनर्रचना के लिए मौजूदा नौ नहर प्रणालियों में कुल 413 नहरों (लंबाई 1,851 किमी) में से केवल 52 नहरों (लंबाई 487 किमी) का प्रस्ताव किया था। 52 नहरों में से, 44 नहरों (लंबाई 468 किमी) को ₹ 86.65 करोड़ की लागत की पुनर्रचना की गयी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा को मात्र 52 नहरों (26 प्रतिशत नहर लंबाई) को पुनर्रचना हेतु लेने और शेष नहरों को पुनर्रचना के कार्य के स्कोप से बाहर रखने हेतु किये गये मूल्यांकन का प्रमाण, अभिलेखों में नहीं मिला।

चूंकि कमाण्ड क्षेत्र को आच्छादित करने वाली 369 नहरों (लंबाई 1,383 किमी) की क्षमता 1.59 लाख हेक्टेयर (69 प्रतिशत) को इन नहरों की पुनर्रचना के माध्यम से नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए इसका कोई आश्वासन नहीं था कि 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सघनता में लक्षित 150 प्रतिशत तक वृद्धि प्राप्त कर ली जाएगी।

³ जल के प्रवाह का संकेत देने वाला गेज रजिस्टर

⁴ लोवर खजूरी (1071 मिलियन घन फीट में से 406; 62 प्रतिशत) और गरई नहर प्रणाली (4,559 मिलियन घन फीट में से 287; 37 प्रतिशत)

⁵ लोअर खजूरी 416 मिलियन घन फीट और गरई नहर प्रणाली 1,671 मिलियन घन फीट।

⁶ लोवर खजूरी जल की अतिरिक्त आवश्यकता 1,081 मिलियन घन फीट थी, जिसमें मौजूदा 665 मिलियन घन फीट की कमी भी शामिल थी; गरई नहर प्रणाली जल की अतिरिक्त आवश्यकता 1,682 मिलियन घन फीट की कमी सहित 3,353 मिलियन घन फीट थी।

⁷ 38,670 हेक्टेयर के लिए जल 7,717 मिलियन घन फीट (गरई + 1,487 मिलियन घन फीट के लिए 6,230 मिलियन घन फीट) की कुल आवश्यकता थी।

मुख्य अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने कहा (जुलाई 2022) कि क्षेत्र सांख्यिकी तैयार करके 52 नहरों के संबंध में पुनर्रचना के कार्य की आवश्यकता का आकलन किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने इन नहरों के संबंध में पुनर्रचना कार्य नहीं करने का कारण नहीं बताया। इस प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मौजूदा नहरों की पुनर्रचना के संदर्भ में तदर्थ तरीके से तैयार की गई थी।

2-3 ygpjk M& vkj i gkMh M& i fj ; kstuk ds foLrr i fj ; kstuk ifronu e& dfe; k

2-3-1 ygpjk M& i fj ; kstuk ds foLrr i fj ; kstuk ifronu e& ckj Eckj | & kks/ku

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के झांसी⁸ जिले में लहचुरा डैम के आधुनिकीकरण की परियोजना फरवरी 1979 में ₹ 7.04 करोड़ की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की थी। हालांकि, सितंबर 1983 तक परियोजना पर केवल ₹ 1.89 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसके कारण परियोजना की प्रगति धीमी रही। सितंबर 1983 में, बुंदेलखण्ड क्षेत्र में भारी बाढ़ आई और लहचुरा डैम में उच्चतम बाढ़ का स्तर 17,995 क्यूमेक्स में दर्ज किया गया। चूंकि लहचुरा डैम के हेड रेगुलेटर को केवल 16,000 क्यूमेक्स के जल के डिस्चार्ज हेतु डिजाइन किया गया था, इसलिए लहचुरा डैम की संरचनाओं के सुरक्षित डिजाइन के लिए नदी के हाइड्रोलॉजी को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता हुई। 1983 से फरवरी 2001 तक डैम के डिजाइन को बदलने की प्रक्रिया मुख्य अभियंता (परियोजना बेतवा), डिजाइन निदेशालय, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश और केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन रही। फरवरी 2001 में केंद्रीय जल आयोग ने लहचुरा डैम के हाइड्रोलॉजी स्वीकृत की और संशोधित हाइड्रोलॉजी के आधार पर मार्च 2003 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय जल आयोग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अनुमानित लागत को ₹ 94.18 करोड़ पर संशोधित करके परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाया गया। मूल्य वृद्धि हो जाने के कारण वर्ष 2005 में परियोजना की लागत को फिर से संशोधित करके ₹ 99.66 करोड़ कर दिया गया और अनुबंधों को निष्पादित करने की प्रक्रिया दिसम्बर 2005 में प्रारम्भ की गयी। परियोजना लागत में संशोधन का विवरण rkfydk 2-2 में दिया गया है।

rkfydk 2-2 % ygpjk M& ds vkl/fudh/dj . k dh i fj ; kstuk ykxr e& | & kks/ku
ndj km+e&

स्वीकृति का वर्ष	i & l & kkf/kr vu&kfur ykxr	l & kkf/kr vu&kfur ykxr	e& ykxr l s i fj ; kstuk ykxr e& i fr'kr of)	i & kl fd; s जाने का वर्ष
1	2	3	4	5
1979 (मूल)	7.04	लागू नहीं	लागू नहीं	उपलब्ध नहीं
2003 (प्रथम संशोधन)	7.04	94.18	1238	उपलब्ध नहीं
2005 (द्वितीय संशोधन)	94.18	99.66	1316	उपलब्ध नहीं
2008 (तृतीय संशोधन)	99.66	299.36	4152	2010
2012 (चतुर्थ संशोधन)	299.36	328.30	4563	2015

⁸अब महोबा जिले में

यह परियोजना ₹ 328.30 करोड़ (229 प्रतिशत⁹) के व्यय पर मार्च 2015 में छह साल¹⁰ से अधिक विलम्ब के साथ पूर्ण की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि परियोजना में 2003 से 2015 के दौरान चार संशोधन किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा परियोजना के संशोधनों के संबंध में अभिलेखों की मांग की गयी, परन्तु 2008 और 2012 में हुए संशोधनों से संबंधित अभिलेख ही लेखापरीक्षा¹¹ को उपलब्ध कराए गए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2008–09 के दौरान परियोजना में ₹ 17.89 करोड़ की लागत की नई कार्य मद्दें जोड़ी गई। संशोधनों के दौरान परियोजना के डाइंग में भी बदलाव किया जाता रहा जिसके कारण परियोजना की लागत में 2008 में ₹ 57.79 करोड़ और 2012 में ₹ 19.75 करोड़ की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2012 में अंतिम लागत संशोधन के बाद भी, कार्य के स्कोप को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि ₹ 32.38 करोड़ की लागत वाले कार्यों की मद्दों की मात्रा में वृद्धि की गयी ॥/f/f'k"V&2-2॥।

इसके अतिरिक्त 2008–09 में लागत के संशोधन में मुख्य अभियन्ता, परियोजना बेतवा (मुख्य अभियन्ता) ने कहा कि मूल्य वृद्धि विशेष रूप से निर्माण सामग्री और श्रम मद में, अधिक थी जिसके कारण एवं कुछ अन्य कारकों के कारण परियोजना लागत में संशोधन करने के आवश्यकता थी। हालांकि, ₹ 17.89 करोड़ की लागत वाली नई मदों को जोड़ने और डिजाइन में परिवर्तन (₹ 57.79 करोड़) के कारण हुई लागत वृद्धि के समर्थन में कोई औचित्य नहीं बताया गया। यद्यपि, 2012 में लागत संशोधन के समय मुख्य अभियन्ता ने स्वीकार किया कि निर्माण कार्यों की डिजाइन की अनुपलब्धता के कारण परियोजना की लागत को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका फलस्वरूप संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। यह परियोजना तैयार करने में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता का संकेतक था जिसके कारण परियोजना की लागत में कई गुना¹² की वृद्धि हुई।

उत्तर में राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2022) कि बड़ी नदियों पर बनने वाली डैम परियोजनाओं को तैयार करने से पहले, सामान्य डिजाइन के आधार पर विभिन्न वस्तुओं और कार्यों की मात्रा का निर्धारण किया गया था। सरकार ने आगे बताया कि भूमि के अनुसार नींव की खुदाई के समय नदी तल का चट्टान स्तर मिलता है, नींव की गहराई, डिजाइन और ड्राइंग के संबंध में अनुमानों को संशोधित करते हुए कार्य किया गया था। सरकार ने यह भी कहा कि दिसंबर 2007 और फरवरी 2009 में, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुडकी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डिजाइन में परिवर्तन किए गए थे और तदनुसार कार्य की नई मदों को शामिल किया गया था।

तथ्य यह रहा कि विभाग को सितंबर 1983 और फरवरी 2001 के बीच लहचुरा डैम के बाढ़ स्तर को डिजाइन करने में 17 साल से अधिक का समय लगा। इसके अलावा, संशोधित हाइड्रोलाजी के आधार पर 2003 में परियोजना को संशोधित करने के बाद भी

⁹ 2005 में संशोधित परियोजना की लागत (₹ 99.66 करोड़) की तुलना में, जिसके बाद विभाग ने कार्यों को निष्पादित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया।

¹⁰ प्रारम्भ में वर्ष 2005 में, डेकेदार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार 36 महीने में कार्य पूर्ण करना था, इसलिए 2008 से देरी की गणना की गई।

¹¹ 2003 और 2005 में किए गए संशोधनों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

¹² ₹ 7.04 करोड़ की मूल परियोजना लागत (1979) के संबंध में लागत में वृद्धि।

परियोजना के स्कोप को दृढ़ नहीं किया जा सका और यह 2012 में अंतिम लागत संशोधन के समय तक बदलता रहा, जिसके कारण अधिक मात्रा में लागत वृद्धि के साथ साथ परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब भी हुआ।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने लहचुरा डैम के आधुनिकीकरण से संबंधित कई कार्यों की मदों को निष्पादित करने के लिए ₹ 19.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक और परियोजना (लहचुरा डैम के अनुलग्नक कार्यों का निर्माण) को मंजूरी दी (जुलाई 2016) जो मूल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल नहीं थे। परियोजना कार्यों के विलंबित निष्पादन का भी प्रतिकूल प्रभाव लागत पर पड़ा जिससे कम से कम ₹ 1.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि 2012 की तुलना में 2016 में कार्यों¹³ की समान मद की लागत में वृद्धि हुई थी ॥/f/f'k"V&2-3॥। इस संबंध में राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में कहा कि डैम के डाउनस्ट्रीम में सुरक्षा कार्य, बाढ़ द्वारा के कम्प्यूटरीकरण (एससीएडीए प्रणाली), दाहिने गाइड बॉध के निर्माण और लहचुरा डैम के पास पार्कों के विकास जैसे कार्यों को मूल अनुमान में शामिल नहीं किया जा सका था। लहचुरा डैम के शेष कार्य को पूरा करने के लिए एक और कार्य (लहचुरा डैम के अनुलग्नक कार्यों का निर्माण) लेने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि लहचुरा डैम परियोजना के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत प्रारम्भ में आवश्यकताओं का व्यापक आकलन नहीं किया गया था। लहचुरा डैम परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले अपर्याप्त सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

2-3-2 foLrrr | o[k.k ds fcuk i gkMh M& i fj ; kstuk dh foLrr i fj ; kstuk i fronu r§ kj djukA

जैसा कि पैराग्राफ 1.5 में चर्चा की गई है, लहचुरा डैम को पहाड़ी डैम से जल मिल रहा था जो धसान नदी पर लहचुरा डैम के ऊपर की ओर स्थित था। पहाड़ी डैम की जल भण्डारण क्षमता 47.80 एमसीएम है। धसान नदी का जल पहाड़ी डैम में नदी के लहचुरा डैम तक पहुंचने के पूर्व ही इकठा किया जाता था।

राज्य सरकार ने फरवरी 2008 में ₹ 76.68 करोड़ की अनुमानित लागत से पहाड़ी डैम की एक परियोजना की स्वीकृति प्रदान की। जैसा कि लहचुरा डैम परियोजना में किया गया था, पहाड़ी डैम परियोजना में, डैम के गेटों को संचालित करने के लिए पुरानी शटर व्यवस्था को यांत्रिक गेटों से बदल दिया गया था ताकि डैम से जल का प्रवाह कुशलतापूर्वक किया जा सके। पहाड़ी डैम परियोजना से अनुमानित लाभ वही थे जो लहचुरा डैम परियोजना से अपेक्षित था। इस परियोजना में भी डैम की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मंडल, महोबा ने फरवरी 2009 और अक्टूबर 2014 में मेसर्स घनाराम इंफ्राइंजीनियर्स¹⁴ के साथ क्रमशः स्पिल-वे का कार्य और डैम के स्पिल-वे में गेटों की स्थापना करने हेतु दो अनुबन्ध गठित किये।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि पहाड़ी डैम परियोजना को 2007–08 में मूल लागत ₹ 76.68 करोड़ से 2011–12 में ₹ 354.20 करोड़ की लागत पर संशोधित किया गया था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि लागत में वृद्धि (₹ 277.52 करोड़) मूल

¹³ खुदाई, ड्रिलिंग होल, सीमेंट कंक्रीट के कार्य और बैग भरने में मिट्टी का कार्य प्रमुख थे जिसमें लागत का अंतर था।

¹⁴ पहले यह मेसर्स घनाराम (इंजीनियर और ठेकेदार) था।

परियोजना (₹ 100.53 करोड़), अपर्याप्त जांच (₹ 22.71 करोड़), डिजाइन में परिवर्तन (₹ 67.16 करोड़) और मूल्य वृद्धि (₹ 68.68 करोड़) में अपर्याप्त/कोई प्रावधान नहीं होने के कारण थी। परियोजना के विस्तृत विश्लेषण में उपर्युक्त परिवर्तनों का विस्तृत विवरण नहीं था और मुख्य अभियन्ता, परियोजना बेतवा ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि इस अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि अधिक थी, विशेष रूप से निर्माण सामग्री और श्रम के लिए, मूल परियोजना में कुछ मदों में अपर्याप्त प्रावधान और अपरिहार्य वस्तुओं को परियोजना निष्पादन के समय निष्पादित किया जाना आवश्यक था। हालांकि, मुख्य अभियन्ता ने उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया जिसके तहत नए कार्य मदों की आवश्यकता पहले निर्धारित नहीं की जा सकी और परियोजना के डिजाइन में बदलाव हुआ था। इसके कारण परियोजना लागत को तीन साल की अल्प अवधि के भीतर ही 362 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि परियोजना का कार्य अस्थायी डिजाइन के आधार पर शुरू किया गया था, जिसे बाद में फरवरी 2009 में विस्तृत सर्वेक्षणों के आधार पर संशोधित किया गया था। पहाड़ी डैम परियोजना में लागत वृद्धि के संबंध में सरकार ने कहा कि मूल परियोजना 2006 की दर अनुसूची पर आधारित थी और निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सामग्री और श्रम दरों की लागत में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत भी बढ़ गई थी।

तथ्य यह है कि वर्ष 2008 में पहाड़ी डैम परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के डिजाइन को अंतिम रूप दिए बिना ही तैयार की गई थी। राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि परियोजना की ड्राइंग को फरवरी 2009 में अंतिम रूप दिया गया था। यद्यपि, यह कहना सही नहीं था क्योंकि खण्डों के अभिलेखों के अनुसार नवंबर 2012 तक ड्रॉइंग ठेकेदारों को सौंपी जाती रही थी। इस प्रकार, अपर्याप्त सर्वेक्षण, जांच और अध्ययन के कारण, मूल परियोजना बनाते समय परियोजना का स्कोप सटीक ढंग से निर्धारित नहीं किया गया था जिसके कारण वर्ष 2012 में अगले लागत संशोधन में परियोजना के स्कोप में बड़े पैमाने पर (362 प्रतिशत) परिवर्तन किया गया।

2-3-3 Mekh dih vi; kMr ty Hk. Mkj.k {kerk

लहचुरा डैम के जल संग्रहण से धसान नहर प्रणाली को जल की आपूर्ति की जानी थी। रबी के मौसम में सूखे के दौरान धसान नहर प्रणाली में जल छोड़ने के लिए मानसून के दौरान लहचुरा डैम में धसान नदी के जल को एकत्र किया जाता था। इसके अतिरिक्त लहचुरा डैम में जल का भंडारण पहाड़ी और सपरार डैमों के जल से भी किया जाता था। पहाड़ी और सपरार डैमों को मानसून के दौरान क्रमशः धसान और सुखनई नदी से जल मिलता है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि लहचुरा डैम परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में यह अनुमान लगाया गया था कि धसान नहर प्रणाली में 8.7 हजार मिलीयन घन फीट (टीएमसी)¹⁵ जल की आवश्यकता 34,955 हेक्टेयर¹⁶ क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के लिए होगी। हालांकि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि लहचुरा डैम में अधिकतम 0.37 टीएमसी जल ही संग्रहीत किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी डैम से 1.61 टीएमसी जल और सपरार डैम से 1.25

¹⁵ रबी: 5.8 टीएमसी, खरीफ: 0.50 टीएमसी, टैंकों को भरना: 1.20 टीएमसी और जल हानि: 1.20 टीएमसी

¹⁶ जो 2008–09 के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में घटकर 31910 हेक्टेयर हो गया था।

टीएमसी जल लहचुरा डैम में भण्डारण हेतु उपलब्ध होगा। इस प्रकार, लहचुरा डैम में 8.7 टीएमसी की कुल आवश्यकता की तुलना में अधिकतम 3.23 टीएमसी जल ही उपलब्ध कराया जा सकता था तथा इस प्रकार 5.47 टीएमसी (63 प्रतिशत) जल की कमी बनी रहेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लहचुरा डैम पर जल की कमी का तथ्य विभाग के संज्ञान में था क्योंकि इसका उल्लेख विभाग द्वारा ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किया गया था। अतः धसान नदी से अधिक जल को रोकने और भंडारण करने के लिए डैमों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक था। हालांकि, लहचुरा और पहाड़ी डैमों की परियोजना में, डैमों की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के कार्य पर विचार ही नहीं किया गया था। धसान नदी से अधिक जल लेने के विकल्प पर कोई व्यवहार्यता अध्ययन भी इस सम्बन्ध नहीं किया गया था।

विशेष रूप से 38.25 टीएमसी¹⁷ जल मानसून के दौरान लहचुरा और पहाड़ी डैमों की भंडारण क्षमता तक जल का भंडारण करने के बाद भी धसान नदी के डाउनस्ट्रीम में जा रहा था। विभाग ने केवल दोनों डैमों के पुराने ढांचों को बदलने का कार्य कराया और डैमों की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि के संबंध में धसान नहर प्रणाली की किटीकल आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, लहचुरा और पहाड़ी डैमों के आधुनिकीकरण पर ₹ 682.50 करोड़ के व्यय करने के बाद भी धसान नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को बढ़ाया नहीं जा सका।

इस प्रकार, डैमों में जल की कमी थी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यहां तक कि धसान नहर प्रणाली के कुल 97,169 हेक्टेयर सीसीए में से 31,910 हेक्टेयर सीसीए के सम्बन्ध में ही योजना बनायी गयी थी। 97,169 हेक्टेयर के पूरे कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 24.18 टीएमसी जल की आवश्यकता होगी, जो परियोजना नियोजन के स्कोप में ही नहीं था। प्रतिवेदन में अग्रेतर देखा जा सकता है कि उपरोक्तानुसार नियोजित सिंचाई सुविधा को भी किसानों तक नहीं पहुंचाया जा सका जैसा कि पैराग्राफ 4.2.2 में उल्लेख किया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि लहचुरा डैम और पहाड़ी डैम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उनका जलमग्न क्षेत्र आंशिक रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है जिसके कारण इन डैमों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना संभव नहीं था। राज्य सरकार द्वारा यह भी कहा गया था कि लहचुरा डैम पर 5.47 टीएमसी जल की कमी नवंबर से फरवरी के महीनों में नदी से प्राप्त जल से पूरी हो जाती है।

सरकार का तर्क स्वीकार्य नहीं था कि मध्य प्रदेश तक जलमग्न क्षेत्र के फैलने के कारण इन डैमों की जल भंडारण क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकी। यह उल्लेखनीय है कि देश में कई अंतर-राज्य सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, इसलिए सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया को अपनाकर डैमों की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का कार्य किया जा सकता था। वास्तव में परियोजना अधिकारियों ने लहचुरा और पहाड़ी डैमों के लिए परियोजना की अवधारणा करते समय डैमों की क्षमता बढ़ाने के पहलू पर योजना ही नहीं बनाई थी। इसके अलावा, सरकार का यह उत्तर भी

¹⁷ 2020–21 में अर्जुन फीडर नहर में 111 एम सी एम जल को डायर्ट करने के बाद लहचुरा डैम से एक और प्रणाली ऑफटेकिंग।

सही नहीं है कि 5.47 टीएमसी जल की कमी पूरी कर ली जा रही थी क्योंकि रबी मौसम के दौरान 31,910 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5.26 टीएमसी जल की आवश्यकता की तुलना में, 2014–15 से 2020–21¹⁸ के दौरान वास्तविक रिलीज केवल 28 से 73 प्रतिशत की सीमा में थी।

2-3-4 foLrr i fj ; kst uk i fronu ei ekl ku ugj c. kkyh dh i pLFkki uk dk dk; l | fEfyr u gkuk

डैमों से खेतों तक आवश्यक मात्रा में जल ले जाने के लिए नहर प्रणाली में आवश्यक जल वहन क्षमता होनी चाहिए। हालांकि, विभाग ने मूल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में नहरों की पुर्नस्थापना के कार्य को समिलित नहीं किया था और इस कार्य के सम्पादन का कार्य वर्ष 2021 में एक अलग परियोजना में समिलित किया गया था। धसान नहर प्रणाली के पुनर्स्थापना हेतु बाद में बनायी गयी उपरोक्त परियोजना में यह उल्लेख किया गया था कि धसान नहर प्रणाली की संरचनाएं 100 वर्ष से अधिक पुरानी हो गयी थीं और अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में थीं जिसके कारण सिंचाई व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हो रही थी। मुख्य अभियंता ने नहरों के शीर्ष पर रेगुलेटर गेट¹⁹ (110 की संख्या में) नहरों के आन्तरिक सेक्सन में फॉल्स (310 संख्या) और नहर पुलों (277 संख्या) जैसी संरचनाओं की मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता का अनुमान लगाया था और इन कार्यों हेतु ₹ 27.50 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया था। विभाग ने मार्च 2021 में इस हेतु ₹ 5.82 करोड़ आवंटित भी किए थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020–21 में समय की कमी के कारण कार्य नहीं किए जा सके। नहर प्रणालियां जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बनी रही और अपेक्षित क्षमता तक जल संवहन में असमर्थ रही। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान नहर संरचनाओं की खराब स्थिति देखी गई (अगस्त 2021) जिसे निम्नलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।



धसान नहर प्रणाली के मसूदपुरा अल्पिका के शीर्ष पर रेगुलेटर गेट स्थापित नहीं था।



धसान नहर प्रणाली के इस्लामपुर शाखा के शीर्ष पर अस्थायी गेट (लकड़ी के तख्तों द्वारा नियन्त्रित जल प्रवाह)

इस प्रकार यह स्पष्ट था कि धसान नहर प्रणाली की पुर्नस्थापना का कार्य नहर के कमाण्ड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी अतः लहचुरा और पहाड़ी डैमों की परियोजना की अवधारणा करते समय इसे परियोजना में समिलित किया जाना चाहिए

¹⁸ 2019–20 छोड़कर

¹⁹ नहरों में जल प्रवाह रेगुलेट करने हेतु

था। डैमों के आधुनिकीकरण कार्य में नहर नेटवर्क के विकास/सुधार पर विचार न किया जाना अनुचित नियोजन का संकेतक था।

राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में उत्तर दिया कि धसान नहर प्रणाली की पुनर्रचना, कुलाबों के पुनर्निर्माण और अन्य कार्यों को मार्च 2026 तक पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम फेज तीन के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था।

तथ्य यह रहा कि लहचुरा और पहाड़ी डैमों की परियोजनाओं में धसान नहर प्रणाली के पुर्नस्थापना का कार्य सम्मिलित करने पर विचार नहीं किया गया जबकि विभाग द्वारा बाद में किये गये सर्वे में इन कार्यों का सम्पादन आवश्यक पाया गया और इस हेतु नवीनीकरण का एक और परियोजना भी ली गयी थी।

सारांश में, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण परियोजनाओं के स्कोप में कई संशोधन हुए। बाणसागर नहर परियोजना की नहर प्रणालियों में जल की वर्तमान उपलब्धता का सही आकलन नहीं किया गया था, जो परियोजना की परिकल्पित सिंचाई सघनता को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। लहचुरा डैम परियोजना में परियोजना अधिकारियों ने नदी से पर्याप्त जल को रोकने और भण्डारण करने के लिए लहचुरा डैम की भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया। उपलब्ध जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए धसान नहर को नवीनीकरण हेतु नहीं लिया गया था।

VUd kd k 1% राज्य सरकार को लहचुरा डैम और पहाड़ी डैम की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अध्ययन करना चाहिए ताकि धसान नदी से पर्याप्त जल का भंडारण किया जा सके।

VUd kd k 2% राज्य सरकार को बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों और धसान नहर प्रणाली के अन्तर्गत नहरों की पुनर्रचना/पुनरोद्धार का कार्य कुशलता एवं प्रभावी ढंग से करना चाहिए।

VUd kd k 3% राज्य सरकार को दोषपूर्ण सर्वेक्षण करने और परियोजनाओं की आवश्यकताओं का दोषपूर्ण आकलन करने के मामले की जांच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

VUd kd k 4% सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सम्बन्ध में कठोर एवं प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। भविष्य की परियोजनाओं में कार्य पूर्ण करने में बार बार होने वाले विलम्ब के मामले को संज्ञान में लेने और इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि ठेकेदारों की कार्यक्षमता, विलम्ब से कार्य करने हेतु दण्ड अभिरोपण तथा अनुबंधों में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय – 3

परियोजना का क्रियान्वयन

vè; k; -3

i fj ; kstuk dk fØ; kUo; u

इस अध्याय में वित्तीय प्रबंधन, कार्यों के निष्पादन के लिए अनुबंध प्रबंधन और चयनित सिंचाई परियोजनाओं के संचालित किये जाने सम्बन्धी चर्चा की गयी है।

ys[kkijh{k mís'; 2% i fj ; kstukvk ds dk; k dk fu"iknu ferØ; f; rk d[kyrl vkj i Hkkoh <x / s fd; k x; kA

vè; k; dk | kj%

- वार्षिक मांग के सापेक्ष निधि की कमी ने बाणसागर नहर परियोजना के कार्यों की प्रगति को प्रभावित किया था। व्यय प्रबंधन उचित नहीं था क्योंकि वित्तीय देयता ₹ 141.64 करोड़ (बाणसागर परियोजना ₹ 126.30 करोड़ एवं पहाड़ी बांध परियोजना ₹ 15.34 करोड़) परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत भी निधि की कमी के कारण लंबित थी।
- यद्यपि, बाणसागर नहर परियोजना की नई बिल ऑफ क्वांटिटी की मात्राओं को तैयार करते समय पुराने निरस्त अनुबंधों की मात्राओं में वृद्धि की गयी थी।
- निविदा पारदर्शी नहीं थी क्योंकि तकनीकी मूल्यांकन के उपरांत निविदा प्रपत्रों में मूल्य समायोजन के प्रावधान को सम्मिलित कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ निविदादाताओं को लाभान्वित किया गया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्य में मूल्य समायोजन के घटकों यथा श्रम, पेट्रोल एवं आयल ल्युब्रिकेन्ट के अंश को उचित अनुपात सुनिश्चित किये बिना ही तदर्थ आधार पर निर्धारित किया गया था।
- लहचुरा एवं पहाड़ी बांध परियोजनाओं हेतु अनुबंधों का गठन अपात्र निविदादाताओं के पक्ष में किया गया था।
- मुख्य अभियंताओं द्वारा उनके अंतर्गत निहित वित्तीय शक्तियों से परे अधिक मात्रा में विभिन्नताओं को अनुमोदित किया गया था।
- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य अभियन्ता द्वारा 94 कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रकरणवार बिना औचित्य का परीक्षण किये ही ठेकेदार को 52 माह की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी।
- अपर्याप्त निधि के कारण नहर प्रणाली की संरचनाओं का समुचित अनुरक्षण नहीं किया गया था।

3-1 i Lrkouk

परियोजना तैयार करने एवं अनुमोदन के उपरांत परियोजना के क्रियान्वयन को आरम्भ करने के लिए निधि का आवंटन एवं उपलब्धता, वांछित भू-अध्याप्ति, अनुबंधों का गठन आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परियोजना के कार्यों के निष्पादन का गहन अनुश्रवण किया जाना चाहिए, जिससे निर्धारित लागत और समयान्तर्गत परियोजना को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जा सके तथा परियोजना के वांछित लाभों को समय से प्रदान किया जा सके।

3-2 foÜkh; çcäku

चयनित परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

3-2-1 foÜkh; çcäku %ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk %mÜkj çn's kh

3-2-1-1 vkoV/u vkg Ø;

परियोजना हेतु वर्ष 1996–21 की अवधि में राज्य बजट से धन प्राप्त हुआ था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997–98 से 2004–05 के दौरान ऋण के रूप में वित्तीय सहायता और वर्ष 2004–19 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत सहायता अनुदान भी प्रदान किया गया था। वार्षिक राज्य बजट में बजटीय प्रावधान करके परियोजना के लिए ऋण सहित केंद्रीय सहायता निर्गत की गई थी। वर्ष 1996–21 के दौरान आवंटन और व्यय का वर्ष–वार विवरण /ff'k"V&3-1 में दर्शाया गया है तथा संक्षिप्त विवरण rkfydk 3-1 में दिया गया है।

rkfydk 3-1%fufek; k dh o"kl&okj fLFkfr

₹ dj kM+e%

o"kl	d@h; __.k gk; rk@d@h; gk; rk			jkT; kd k	d@y ; kx	Ø ;
	__.k	vupku	; kx			
1/1	1/2	1/3	1/4 1/2 1/3	1/5	1/6 1/2 1/4 1/5	1/7
1996–1997 से 2013–14	219.80	544.81	764.61	1715.13	2479.74	2479.74
2014–2015	0.00	47.92	47.92	117.27	165.19	165.19
2015–2016	0.00	55.04	55.04	54.96	110.00	110.00
2016–2017	0.00	64.64	64.64	132.36	197.00	197.00
2017–2018	0.00	63.36	63.36	133.62	196.98	196.98
2018–2019	0.00	15.51	15.51	166.49	182.00	180.76
2019–2020	0.00	0.00	0.00	50.50	50.50	50.50
2020–2021	0.00	0.00	0.00	39.20	39.20	39.20
; kx	219.80	791.28	1011.08	2409.53	3420.61	3419.37

(स्रोत: मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना, प्रयागराज)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत ₹ 3419.37 करोड़ के व्यय में मध्य प्रदेश सरकार के अंश ₹ 517.56 करोड़ के भुगतान को सम्प्रित करते हुए तीन संरचनाओं यथा बाणसागर बांध (₹ 459.66 करोड़), संयुक्त जल वाहिनी (₹ 40.04 करोड़) और संयुक्त पोषक नहर (₹ 17.86 करोड़) का निर्माण किया गया था। तालिका 3.1 में दर्शाए गए विवरण के अनुसार परियोजना पर किए गए व्यय के अतिरिक्त, कार्यों से संबंधित लंबित भुगतान (₹ 12.15 करोड़) और भूमि क्रय (₹ 0.46 करोड़) के कारण ₹ 12.61 करोड़ की वित्तीय देयता मार्च 2021 तक तीन खण्डों में लंबित थी। अग्रेतर, पुनर्वास कार्य हेतु वन विभाग को प्रदान की गई धनराशि ₹ 45 करोड़ की वसूली (मार्च 2021) किया जाना अवशेष था, क्योंकि गांवों के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं थी।

शासन द्वारा उत्तर में अवगत कराया (जुलाई 2022) गया कि भूमि क्रय हेतु ₹ 46.38 लाख तथा कार्यों के लिए ₹ 3.33 करोड़ की देयता भुगतान हेतु लंबित है जिसे बजट प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा। शासन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि वन विभाग से ₹ 45 करोड़ प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि जुलाई 2018 में परियोजना के प्रारम्भ होने के बाद भी बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय देयता लम्बित रही (जुलाई 2022)।

3-2-1-2 fufék; kō dk de fuxkēu

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाणसागर परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के कार्य के लिए निधि जारी करना अनियमित रहा क्योंकि राज्य सरकार ने मुख्य अभियन्ता, बाणसागर द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में वार्षिक मांगों के सापेक्ष मात्र 40 से 73 प्रतिशत निधि अवमुक्त की थी। विस्तृत विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

rkfydk 3-2% ck.kl kxj i fj ; kstuk grq ekox ds l ki sk voeä fufek

₹ dj km+ek

o"kl	fufék dh vko'; drk	ekl; vfk; Urkj ck.kl kxj i fj ; kstuk }kj k fufék dh ekox Xfuékkfj r vko'; drk ds l ki sk çfr'kr ekl	j kT; l j dkj }kj k tkjh fufék Xekox dh xbz fufék ds l ki sk çfr'kr ekl
2014–2015	363.09	234.59 (65)	165.19 (70)
2015–2016	197.90	277.90 (140)	110.00 (40)
2016–2017	300.00	322.00 (107)	197.00 (61)
2017–2018	290.59	270.59 (93)	196.98 (73)
2018–2019	271.33	265.54 (98)	180.76 (68)
2019–2020	90.57	79.20 (87)	50.50 (64)
2020–2021	47.93	39.20 (82)	39.20 (100)

(स्रोत: मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना, प्रयागराज)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना द्वारा निधि की आवश्यकता और लक्षित भौतिक प्रगति को दर्शाते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार किया गया था। यद्यपि, परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अनुमानित आवश्यकता से कम रही जिसका कार्य की भौतिक प्रगति पर परिणामी प्रभाव पड़ा जैसा कि rkfydk 3-2 में वर्णित है। वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत, परियोजना के विभिन्न घटकों के भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति वर्ष 2014–21 के दौरान 27 से 89 प्रतिशत थी। पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के विभिन्नता व्यय विवरण के अनुसार, मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना द्वारा निधियों के कम अवमुक्त किये जाने के परिणामस्वरूप कार्य की प्रगति धीमी रहना एक प्रमुख कारण था।

3-2-1-3 / 1st pktit dk vfu; fer fopyu

राज्य सरकार के वर्ष 2011, 2014 एवं 2017 के आदेशों के अनुसार राजस्व शीर्ष में जमा किये जाने हेतु कार्यों के प्राक्कलनों में 6.875 प्रतिशत की दर से सेंटेज चार्जज का प्रावधान किया जाना था।

विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, परियोजना की संशोधित लागत ₹ 3420.24 करोड़ में सेंटेज चार्जज ₹ 177.72 करोड़¹ का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल ₹ 45.61 करोड़ की धनराशि सेंटेज चार्जज के रूप में राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा की गयी थी (मार्च 2021) जबकि शेष सेंटेज चार्जज (₹ 132.11 करोड़) की धनराशि को परियोजना के कार्यों पर अनियमित रूप से व्यावर्तन कर व्यय किया गया था।

¹ ₹ 2585.08 करोड़ की कार्य लागत पर 6.875 प्रतिशत की दर से।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि वर्ष 2014–15 से 2021–22 की अवधि में कार्यों पर कुल ₹ 886.33 करोड़ व्यय किए गए थे। तदनुसार, कुल देय सेंटेज चार्जेज की धनराशि ₹ 57.02 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष वर्ष 2021–22 तक ₹ 55.21 करोड़ की कटौती की गई थी तथा शेष राशि का भुगतान बजट आवंटन प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही परियोजना पर सेंटेज चार्जेज के लिए ₹ 177.72 करोड़ जारी कर दिए थे, जिसमें से मात्र धनराशि ₹ 55.21 करोड़ राजस्व शीर्ष में जमा की गई थी (मार्च 2022)।

अतः परियोजना पर अन्य व्यय यथा मूल्य वृद्धि, भूमि लागत का भुगतान, आदि के लिए ₹ 122.51 करोड़ का अनियमित व्ययावर्तन किया गया था।

3-2-2 foÜkh; çcèku & ygpjk vkj i gkMh M& i fj ; kstuk, a

3-2-2-1 vkoñ/u vkj 0; ;

लहचुरा डैम परियोजना हेतु राज्य बजट से धन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, परियोजना को वर्ष 2005–2011 के दौरान भारत सरकार से एआईबीपी के अंतर्गत ₹ 72.48 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और वर्ष 2009–10 से 2014–15 के दौरान नाबार्ड से ₹ 157.28 करोड़ की ऋण सहायता प्राप्त हुई थी। वर्ष–वार विवरण rkfydk 3-3 में दिया गया है।

rkfydk 3-3% ygpjk ckèk i fj ; kstuk gsrñeku dk vkoñ/u , oñ 0; ;

₹ dj km+ek

o"kl	dñeh; __.k l gk; rk@dñeh; l gk; rk			j kT; kd k	dly ; kx	0; ;
	__.k	vupku	dly			
1/1½	1/2½	1/3½	1/4½/4½\$1/3½	1/5½	1/6½/4½\$1/5½	1/7½
2010 तक	46.66	47.23	93.89	87.27	181.16	181.16
2010–11	40.50	25.25	65.75	2.13	67.89	67.89
2011–12	22.48	0.00	22.48	1.18	23.66	23.66
2012–13	12.61	0.00	12.61	0.66	13.27	13.27
2013–14	9.50	0.00	9.50	0.50	10.00	10.00
2014–15	25.53	0.00	25.53	6.79	32.32	32.32
; kx	157.28	72.48	229.76	98.53	328.30	328.30

(स्रोत : मोदहा बांध निर्माण खण्ड-1, महाबा)

इसके अतिरिक्त, पहाड़ी बांध परियोजना हेतु वर्ष 2009–10² से 2017–18 के दौरान राज्य बजट (₹ 131.88 करोड़) से धन और नाबार्ड से ऋण (₹ 222.32 करोड़) प्रदान किया गया था। आवंटन और व्यय की वर्षवार संचयी स्थिति rkfydk 3-4 में दर्शायी गयी है।

² परियोजना वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ हुई थी।

rkfydk 3-4% i gkMh Mle i fj ; ktuk gqfufek; kq dk vkoju , oq Ø; ;

R dj kM+ ekl

O"kl	vkoju	Ø; ;
2009–10	20.00	20.00
2010–11	31.28	31.28
2011–12	25.40	25.40
2012–13	20.28	20.28
2013–14	0.00	0.00
2014–15	134.75	134.75
2015–16	80.00	80.00
2016–17	20.00	20.00
2017–18	22.49	22.49
; kx	354-20	354-20

(स्रोत: सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा)

लेखापरीक्षा द्वारा व्यय प्रबंधन में अवलोकित अनियमितताओं पर निम्नवत चर्चा की गई है:

3-2-2-2 Hk. Mkj dk vfuj fer fopyu , oq Ø; ; of)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खण्ड मऊरानीपुर द्वारा पहाड़ी डैम परियोजना के बजट आबंटन से वर्ष 2014–16 की अवधि में पहाड़ी डैम परियोजना के अतिरिक्त अन्य परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना के दो खण्डों, (सिंचाई निर्माण खण्ड 3, ललितपुर और मौदहा बांध निर्माण खण्ड प्रथम महोबा) को परियोजना के उपयोग के लिए कुल ₹ 16.28 करोड़ की स्टॉक सामग्री (सीमेंट और इस्पात आदि) हस्तांतरित किया गया। यद्यपि, संबंधित खण्डों ने अक्टूबर 2021 तक न तो स्टॉक सामग्री वापस की और न ही स्टॉक सामग्री के मूल्य का भुगतान किया गया था।

अग्रेतर, अधिशासी अभियन्ता द्वारा सीमेंट की आपूर्ति के लिए अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2017 के दौरान परियोजना भंडार, कानपुर को ₹ 2.07 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था। यद्यपि, अधिशासी अभियंता द्वारा परियोजना भंडार को इस संबंध में पत्राचार किये जाने के बाद भी अक्टूबर 2021 तक सीमेंट की आपूर्ति प्राप्त नहीं करायी गयी थी।

इस प्रकार, पहाड़ी डैम परियोजना के आधुनिकीकरण पर ₹ 18.35 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि स्टॉक सामग्री के वापसी/भुगतान के संबंध में संबंधित खण्डों के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

3-2-2-3 nunkfj; kq dk / tu

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पहाड़ी डैम परियोजना के लिए दो अनुबंधों³ में ₹ 10.35 करोड़ का भुगतान निधियों की कमी के कारण अक्टूबर 2021 तक लंबित था। अग्रेतर,

³ पहाड़ी डैम के स्प्लिवे का निर्माण अनुबंध संख्या 01/एसई/2009–10 एवं पहाड़ी बांध के स्प्लिवे के गेटों का निर्माण अनुबंध संख्या 01/एसई/2014–15।

शासकीय खाते में जमा की जाने वाली सेंटेज चार्जेज की धनराशि ₹ 4.99 करोड़ को अनियमित रूप से परियोजना पर व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.99 करोड़ की वित्तीय देयता का सृजन हुआ था।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि ₹ 15.34 करोड़ की लंबित देनदारियों का भुगतान बजट की उपलब्धता के उपरांत कर दिया जाएगा।

dk; k^h dk fu"i knu

3-3 ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk /mÙkj çns' k^h e^h vuc^h çc^hku

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बाणसागर परियोजना के अधीन निर्माण कार्य हेतु बाणसागर पोषक नहर, अदवा बैराज, अदवा मेजा लिंक चैनल, मेजा जिरगो लिंक चैनल एवं पूर्व स्थापित नहरों के पुनरोद्धार का कार्य किया गया था जिसकी चर्चा अध्याय-1 में की गयी है। बाणसागर परियोजना के मुख्य घटक निम्नवत थे :

rkfyd^h 3-5 ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk /mÙkj çns' k^h ds çe^hk ?kVd

Øå I å	I j puk dk uke	I j puk ds ckjs e ^h I f{klr
1	बाणसागर पोषक नहर (मध्य प्रदेश में)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 35.90 किमी० लम्बे आद नाला के माध्यम से अदवा बैराज को जल वहन हेतु 46.46 क्यूमेक क्षमता वाले 71.494 किमी० लम्बी लाइन्ड पोषक नहर का निर्माण कराया गया था जैसाकि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है।
2	अदवा बैराज (उत्तर प्रदेश में)	अदवा बैराज का निर्माण अदवा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के लगभग 5.00 किमी० डाउनस्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में 46.46 क्यूमेक जल अदवा बैराज से डायवर्ट कर मेजा डैम में पहुंचाने हेतु किया गया था।
3	अदवा मेजा लिंक चैनल (उत्तर प्रदेश में)	अदवा बैराज से पूर्व स्थित मेजा जलाशय में जल स्थानांतरित करने के लिए 46.46 क्यूमेक क्षमता वाले 25.6 किमी० लम्बे लिंक चैनल का निर्माण किया गया है।
4	मेजा-जिरगो लिंक चैनल (उत्तर प्रदेश में)	मेजा जलाशय से पूर्व में स्थित जिरगो जलाशय में 16.43 क्यूमेक जल स्थानान्तरण हेतु 74.13 किमी० लम्बे मेजा-जिरगो लिंक चैनल का निर्माण किया जाना था। मेजा-जिरगो लिंक चैनल से जिरगो जलाशय में जल पहुंचने से पूर्व बरौंधा रजवाहा, हरई नहर प्रणाली एवं लोअर खजुरी नहर प्रणाली को जल उपलब्ध कराया जाना था।
5	मेजा-कोटा पोषक नहर (उत्तर प्रदेश में)	9.21 क्यूमेक क्षमता वाली 3.577 किमी० लम्बी मेजा-जिरगो लिंक चैनल का निर्माण कर पूर्व में स्थित कोटा रजवाहा, उपरौंध रजवाहा, बेलवनिया अलिपका नहर आदि में जल पहुंचाया जाना था।
6	पुरानी नहरों का पुनरोद्धार (उत्तर प्रदेश में)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त जल वहन हेतु पूर्व में स्थित मुख्य नहर/शाखा नहर/रजवाहों एवं अलिपकाओं नहर प्रणालियों के पुनरोद्धार का कार्य किया जाना था।

बाणसागर परियोजना के कार्य वर्ष 1997–98 में ₹ 330.19 करोड़ की लागत से आरम्भ कर वर्ष 2004 तक समाप्त किये जाने थे। तदोपरांत, ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण, विभाग ने पहले से चल रहे अनुबंधों⁴ को निरस्त कर और परियोजना कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से उच्च मूल्य के एक अनुबंध के माध्यम से शेष

⁴ पुराने अनुबंधों का विवरण जिनको रद्द नहीं किया गया था और जो जनवरी 2013 के बाद भी चले आ रहे थे जिनका विवरण अधीक्षण अभियंता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्य को निष्पादित करने का निर्णय (जुलाई 2012) लिया था। तदोपरान्त, 45 चल रहे अनुबंधों को निरस्त कर दिया गया और कार्यों की शेष मात्राओं की गणना की गई थी। शेष कार्यों को 94 बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में बांटा गया था। इन 94 बीओक्यू के शेष कार्यों के निष्पादन के लिए सितंबर 2012 में निविदा आमंत्रित की गयी। मैसर्स रिट्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) के साथ जनवरी 2013 में ₹ 402.52 करोड़ की लागत का अनुबन्ध गठित किया गया तथा कार्य जनवरी 2015 तक पूर्ण किये जाने थे।

3-3-1 'k'k dk; k dk fuèkkJ .k

बाणसागर परियोजना के अवशेष कार्यों एवं अन्य कार्यों को 94 बीओक्यू में विभाजित कर कुल प्राक्कलित लागत ₹ 403.46 करोड़ (अनुबंधित लागत ₹ 402.52 करोड़) का निर्धारण विभाग द्वारा किया गया था जिसकी चर्चा उपरोक्त प्रस्तर में की गयी है। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 94 बीओक्यू में 45 निरस्त किये गये अनुबंधों को अवशेष कार्यों एवं अन्य कार्यों जिन्हें पूर्व में नहीं संपादित कराया गया था, को सम्मिलित किया गया था। अग्रेतर, पाया गया कि नई बीओक्यू में निरस्त अनुबंधों की अवशेष मात्रा परिवर्तित कर शामिल किया गया था और अधिकतर कार्य मदों की मात्राओं में निरस्त अनुबंधों की अवशेष मात्राओं के सापेक्ष बहुत अधिक मात्रा गणना में शामिल की गयी थी। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी और पाया गया कि 10 चयनित अनुबंधों में से 7 अनुबंधों में अवशेष कार्यों के 2 से 10 कार्य मदों को नई बीओक्यू में शामिल किया गया था जिसकी मात्राओं में 11 से 838 प्रतिशत (लागत ₹ 5.28 करोड़) की वृद्धि की गयी थी। एक बीओक्यू⁵ में पथर की खुदाई की मात्रा 57 गुना तक बढ़ा दी गयी थी जिसका विवरण /f/f'k"V&3-2 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में जाँच किये गए अभिलेखों से यह ज्ञात नहीं हो सका था कि नई बीओक्यू में निरस्त अनुबंधों की अवशेष कार्यों की मात्राओं में किन कारणों एवं परिस्थितियों में वृद्धि की गयी थी। इस प्रकार, कार्य मदों की मात्राओं में असामान्य परिवर्तनों को लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि 45 पुराने अनुबंधों को निरस्त करने के बाद, अदवा मेजा लिंक नहर के नए काम और बाद में साइट की आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत कुछ अन्य कार्य तथा 45 अनुबंधों के शेष कार्यों को शामिल करके 94 बीओक्यू तैयार किए गए थे।

शासन द्वारा यद्यपि नए बीओक्यू में, पुराने निरस्त अनुबंधों की शेष मात्रा बढ़ाने का कारण नहीं बताया गया। तथ्य यह रहा कि विभाग द्वारा तैयार की गई शेष मात्रा को नए अनुबंध में बिना किसी औचित्य के बढ़ाया गया था, जोकि ठेकेदारों को अधिक भुगतान के जोखिम से भरा हुआ था।

3-3-1-1 /kjkgj /kujkf'k dk tlr u fd; k tkuk

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरस्त किए गए 45 अनुबंधों में से, 11 अनुबंधों में, जिन्हें अनुबंधों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य न करने के

⁵ बीओक्यू संख्या 59018 /एमजे/ 11 /डीआरएक्स।

आधार पर निरस्त कर दिया गया था, मार्च 2021 तक धरोहर धनराशि को जब्त नहीं किया गया था जैसा कि अनुबंध के नियमों और शर्तों में शामिल था। इस प्रकार, ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया था (*i f'f'k"V&3-3*)।

उत्तर में, शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि 11 अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है और तदनुसार ठेकेदारों की जमानत जमा को जब्त करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

3-3-2 fufonk dh 'krkli dk foyEc | s çof"V

वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 6 के प्रस्तर 360 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी निविदा को अनिवार्य रूप से खुले और सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए। सरकारी गजट अथवा समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाएं ताकि, सभी संभावित निविदादाता, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य का संज्ञान ले सकें और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें तथा कार्य को प्रतिस्पर्धी एवं लागत को मितव्ययी बनाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना, मण्डल-2 मीरजापुर ने टेण्डर नोटिस के माध्यम से बाणसागर नहर परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन के लिए पूर्व अर्हता निविदा (सितम्बर 2012) आमंत्रित किया था। संभावित निविदादाताओं से निविदाएं 24 सितम्बर, 2012 तक प्राप्त की जानी थी और इन्हें 25 सितम्बर, 2012⁶ को खोला जाना था।

इस संबंध में अभिलेखों की अग्रेतर जांच में पाया गया कि निविदा समिति द्वारा चार निविदादाताओं को वित्तीय निविदा में भाग लेने के लिए पूर्व अर्हता निविदा मूल्यांकन में पात्र पाया। निविदा समिति ने वित्तीय निविदा में भाग लेने के लिए दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को चार सफल निविदादाता को प्रस्ताव अग्रेषित कर उन्हें 26 अक्टूबर, 2012 तक वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने हेतु कहा जिसे बाद में बढ़ाकर 05 नवम्बर 2012 तक कर दिया गया। प्रत्युत्तर में, चार निविदादाता ने वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जिनका मूल्यांकन 05 नवम्बर, 2012 को निविदा समिति द्वारा किया गया था। निविदा समिति ने आर.पी.पी.एल को न्यूनतम निविदादाता पाया और आर.पी.पी.एल के साथ जनवरी 2013 में अनुबंध का गठन किया गया।

इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में, राज्य सरकार ने (18 अक्टूबर 2012) इस्पात, श्रम, पेट्रोल और ल्युब्रिकेन्ट (पीओएल) तथा सीमेंट जैसे मर्दों की लागत को बाजार मूल्य सूचकांक के आधार पर समायोजित करने के लिए सिंचाई कार्यों के अनुबंधों के लिए प्राइस एस्केलेसन क्लॉज़ को शामिल करने का निर्णय लिया। तदनुसार, अधीक्षण अभियंता ने (20 अक्टूबर, 2012) अनुबंध में इस क्लॉज़ को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और चार निविदादाता को ई-मेल द्वारा निविदा की विशेष शर्त में परिशिष्ट को शामिल करने का प्रस्ताव जारी किया। साथ ही अग्रीगेट्स की दरों में मूल्य समायोजन हेतु एक नए पैराग्राफ को भी शुद्धिपत्र के रूप में ई-मेल कर सूचित किया गया। अनुबंध की शर्तों में किये गए इन परिवर्तनों ने मूल रूप से निविदा को बदल दिया था क्योंकि यह परियोजना के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदारों के लिए

⁶ निविदा के डालने एवं खोलने की संशोधित तिथियाँ क्रमशः 27 सितम्बर और 28 सितम्बर 2012 थीं।

अधिक लाभकारी थी। अतः अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा को पारदर्शी बनाने के लिए नई निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी तथापि अधीक्षण अभियंता ने पूर्व अर्हता निविदा में अर्ह पाये गये। चार निविदादाता को अधिसूचित करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार निविदा की विशेष शर्त निविदा प्रक्रिया के मध्य में आरंभ की गई थी जिसने प्रतियोगिता को केवल चार निविदादाताओं तक ही सीमित रखा जिन्हें तकनीकी निविदा मूल्यांकन के बाद चयनित किया गया था। यदि निविदा आमंत्रण के समय प्राइस एडजस्टमेंट की शर्त लागू की जाती तो अन्य संभावित निविदादाता भी निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते थे।

इस प्रकार, मूल्य समायोजन क्लॉज़ को विलम्ब से प्रविष्टि किये जाने के कारण पारदर्शिता का अभाव था जिसके फलस्वरूप मात्र चार निविदादाताओं को लाभकारी शर्तों के बारे में सूचित किया गया जिनमें से एक को (आर.पी.पी.एल) अनुबंध हेतु चयनित किया गया। यह पाया गया कि सामग्री (सीमेंट और इस्पात), श्रम, पीओएल और एग्रीगेट्स पर प्राइस एस्केलेसन के फलस्वरूप मार्च, 2019 तक आर.पी.पी.एल को ₹ 89.22 करोड़ का भुगतान किया गया था।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि बाजार मूल्य सूचकांक में बदलाव के कारण श्रम, सीमेंट और इस्पात की कीमतों में उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के संबंध में अनुबंध की शर्तों को तकनीकी निविदा मूल्यांकन के बाद चयनित चार निविदादाता को वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व सूचित किया गया था।

वास्तविकता यह रही कि मूल्य समायोजन क्लॉज़ के कारण निविदा की मौलिक धारणाओं में परिवर्तन किया गया। तथापि, प्रतिस्पर्धी निविदा प्राप्त करने के लिए और अधिक निविदादाताओं को आकर्षित करने के लिए इसे खुले और सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के बजाय इसे तकनीकी निविदा मूल्यांकन के बाद चयनित चार निविदादाता को ही सूचित किया गया था। उपरोक्त निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता था कि निविदादाता का चयन उचित था और अनुबंध को न्यूनतम संभावित लागत पर दिया गया था।

3-3-2-1 ek; ktu dk vufpor Hkxrku

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, निविदा की विशेष शर्त (परिशिष्ट) में श्रम, सीमेंट और पीओएल के मूल्यों में परिवर्तन के कारण कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार के लिए मूल्य समायोजन के भुगतान किये जाने का उल्लेख किया गया था। हालांकि अनुबंध में प्रतिशत के रूप में प्रत्येक घटक के अंश को निर्दिष्ट नहीं किया गया था जिसे निर्धारित फार्मूला के अनुसार मूल्य समायोजन के भुगतान के लिए लागू किया जा सके। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना, की अध्यक्षता में गठित समिति (मार्च 2015) ने निर्णय लिया कि श्रम, पी.ओ.एल. एवं सामग्री (केवल इस्पात और सीमेंट) पर मूल्य समायोजन हेतु लागू प्रतिशत क्रमशः 80 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत होगा। प्रतिशत प्रभार के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ का प्रकरण पूर्व लेखापरीक्षा (जनवरी, 2019) द्वारा उठाया गया था क्योंकि विभाग ने एग्रीगेट्स पर भी मूल्य समायोजन की अनुमति दी थी जो कि पहले से श्रम, पी.ओ.एल. एवं सामग्री (केवल इस्पात और सीमेंट) पर लागू मूल्य समायोजन के 100 प्रतिशत से अधिक थी। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर

परियोजना की अध्यक्षता में गठित एक अन्य समिति (जनवरी, 2020) ने पहले के निर्णय को संशोधित कर दिया और श्रम, पी.ओ.एल. एवं सामग्री (केवल इस्पात और सीमेंट) पर लागू प्रतिशत अंश क्रमशः 51.85 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 17.76 प्रतिशत का पुनः निर्धारण किया गया ।

लेखापरीक्षा में संबंधित अभिलेखों की जांच की गई और पाया गया कि वर्ष 2015 में निर्धारित श्रम, पीओएल, सीमेंट तथा इस्पात का प्रतिशत हिस्सा कुछ पुराने अनुबंधों में तय की गई दरों पर आधारित था जिन्हें वर्ष 1997–98 में बाणसागर नहर परियोजना के कार्य को करने हेतु गठित किया गया था । वर्ष 1997–98 में गठित इन अनुबंधों के आधार पर इन घटकों का प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किए जाने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे । अनुवर्ती समिति ने प्रतिशत हिस्से की समीक्षा करते समय, पीओएल के अंश को 15 प्रतिशत पर बनाए रखा और सामग्री (सीमेंट और इस्पात) की हिस्सेदारी 17.76 प्रतिशत संशोधित की, जिसे समिति के अनुसार वास्तविक आधार पर निर्धारित किया गया था ।

श्रम घटक के प्रतिशत हिस्से का निर्धारण करने के लिए, समिति ने अन्य सामग्री (7.14 प्रतिशत) और एग्रीगेट्स (8.25 प्रतिशत) की लागत को मूल्य समायोजन के दायरे से बाहर रखा और कार्य की लागत के शेष भाग (100 प्रतिशत–48.15 प्रतिशत⁷ = 51.85 प्रतिशत) को श्रम घटक के रूप में रखा । श्रम घटक के रूप में 51.85 प्रतिशत की पूरी शेष राशि पर विचार करना गलत था, क्योंकि कार्य की लागत में ठेकेदार के लाभ (10 प्रतिशत) और टूल्स और प्लांट (2.5 प्रतिशत) भी शामिल थे, जिस पर मूल्य समायोजन देय नहीं था इसलिए इसे श्रम घटक में नहीं लिया जाना चाहिए था । श्रम लागत में कुछ अन्य घटकों को शामिल किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि समिति ने घटकों का व्यापक विश्लेषण नहीं किया था ।

उल्लेखनीय है कि विभाग ने एक अन्य सिंचाई परियोजना कार्य, सरयू नहर परियोजना (एस.सी.पी), जो राज्य के पूर्वी भागों में सिंचाई सुविधाएं विकसित करने के लिए इसी अवधि के दौरान चल रही थी, में मूल्य समायोजन फार्मूला हेतु श्रम और पीओएल की प्रतिशत अंश क्रमशः 13.10 प्रतिशत एवं 11.47 प्रतिशत⁸ निर्धारित की थी । सरयू नहर परियोजना और बाणसागर नहर परियोजना दोनों ही प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें गहरी नहरों की खुदाई के साथ–साथ ठोस अवसंरचना का निर्माण किया गया । अतः विभाग मूल्य समायोजन की अनुमति देने के लिए बाणसागर नहर परियोजना में संघटकों के प्रतिशत हिस्से का निर्धारण करने के लिए समान प्रकार की प्रक्रिया अपना सकता था । श्रम और पी.ओ.एल पर मूल्य समायोजन का भुगतान सरयू नहर परियोजना (श्रम के लिए 13.10 प्रतिशत और पी.ओ.एल के लिए 11.47 प्रतिशत) के लिए निर्धारित दर पर किये जाने से मात्र ₹ 23.21 करोड़ का भुगतान किया जाता जबकि वास्तविक रूप से ठेकेदार को ₹ 63.14 करोड़ का भुगतान किया गया था ।

दोनों नहर परियोजनाओं के बीच श्रम और पीओएल घटकों के प्रतिशत हिस्से (श्रम घटक में 38.75 प्रतिशत और पीओएल घटक में 3.53 प्रतिशत) में भारी अंतर के कारण मानकीकरण का अभाव तथा मुख्य अभियंता के पास विवेकाधिकार प्रयोग करने की अधिक शक्तियां परिलक्षित हुई । अतः विभाग को बाणसागर नहर परियोजना में कार्य

⁷ पी.ओ.एल 15 प्रतिशत+अन्य सामग्री 7.14 प्रतिशत+गिर्डी 8.25 प्रतिशत +सीमेंट और इस्पात 17.76 प्रतिशत

⁸ एस.सी.पी में ठेकेदार को दो आइटम श्रम एवं पी.ओ.एल हेतु मूल्य समायोजन प्रदान किया गया था

लागत के संघटकों के प्रतिशत हिस्से के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए थी।

शासन ने उत्तर में (जुलाई, 2022) बताया कि मूल्य समायोजन के तीनों घटक यथा श्रम, पी.ओ.एल, सामग्री (सीमेंट और इस्पात) का निर्धारण मुख्य अभियंता, बाणसागर द्वारा जनवरी, 2015 में गठित समिति द्वारा किया गया था एवं जनवरी 2020 में इसका पुनर्निर्धारण किया गया था। शासन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि कि सरयू नहर परियोजना और बाणसागर नहर परियोजना की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कैमरू रेंज और लोअर विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों पर बाणसागर नहर परियोजना का कार्य किया गया था जबकि सरयू नहर परियोजना का कार्य घाघरा एवं राप्ती नदियों के मैदानी भागों में किया गया था।

यदि शासन का उक्त तर्क कि, सरयू नहर परियोजना और बाणसागर नहर परियोजना में भू-भाग का अंतर था, को स्वीकार किया जाये, तब भी बाणसागर नहर परियोजना की नहरों की खुदाई तथा अन्य पकड़ी संरचनाओं का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः पत्थरों को ब्लास्टिंग के द्वारा तोड़ कर किया गया था। इस प्रकार के कठिन और पहाड़ी हिस्सों में नहरों के निर्माण कार्य में, मानव श्रम का उपयोग सीमित रहता है क्योंकि मशीनों का उपयोग करके कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सरयू नहर परियोजना की तुलना में बाणसागर नहर परियोजना में श्रम और श्रम घटक में मूल्य समायोजन का उपयोग कम होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा मूल्य समायोजन में श्रम और पी.ओ.एल घटकों के प्रतिशतता के निर्धारण हेतु किये गये आधार के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इस प्रकार, श्रम और पी.ओ.एल के प्रतिशत को प्राइस एडजस्टमेंट हेतु लिया जाना तदनुसार ठेकेदार को इन मदों पर मूल्य समायोजन के भुगतान को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3-3-3 ekcykbt\\$ku vfixe dk vfuf; fer Hkkxrkku

निविदा की विशेष शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा यदि अनुरोध किया जाता है तो निविदा मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाना था। यह ठेकेदार को देय ब्याज मुक्त अग्रिम था जिसे ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि परियोजना प्राधिकारियों ने मोबिलाइजेशन अग्रिम का अधिकतम अनुमन्य अग्रिम ₹ 20.13 करोड़ के बजाय आर.पी.पी.एल को ₹ 23.83 करोड़⁹ की राशि का भुगतान (मार्च 2013 से मार्च 2015) किया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 3.70 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था जो उसके बाद के बिलों से वसूली योग्य था।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि ठेकेदार द्वारा ₹ 74.00 करोड़ के अतिरिक्त कार्य मद के सापेक्ष बैंक गारंटी उपलब्ध करायी थी इसलिए ₹ 3.70 करोड़ की धनराशि मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में दी गई थी तथा इसे ठेकेदार के बिलों से समायोजित कर लिया गया था।

⁹ अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खंड 5 मीरजापुर द्वारा ₹ 10.06 करोड़ तथा अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खंड 8 मीरजापुर द्वारा ₹ 13.76 करोड़।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि ठेकेदार को निविदा मूल्य के आधार पर मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने के लिए अनुबंध में प्रावधान किया गया था और अनुबंधित कार्य की अतिरिक्त मद पर ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं था। उल्लेखनीय है कि ऐसी समान परिस्थितियों में कार्य की अतिरिक्त मदों के कारण कार्य क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति में ठेकेदारों से इस वृद्धि हेतु अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्यूरिटी प्राप्त करने का भी कोई प्रावधान नहीं था।

3-4 ygpjk M& i fj ; kstuk e vuçek çclleku

लहचुरा डैम परियोजना और सम्बंधित पहाड़ी बांध परियोजना में मौजूदा वियर जिसमें फालिंग शटरिंग के गेटेड बैराज के स्थान पर बांधों का निर्माण किये जाने की परिकल्पना की गयी थी। लहचुरा डैम परियोजना का कार्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को 2005 में ₹ 61.84 करोड़ की अनुबंधित लागत से प्रदान गया था जिसे मार्च 2015 में ₹ 328.30 करोड़ की धनराशि व्यय कर 7 वर्षों की देरी¹⁰ से पूर्ण किया गया। तदोपरांत लहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्यों¹¹ (अनुमानित लागत ₹ 21.69 करोड़) के निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता, परियोजना बेतवा, झांसी ने एक प्रस्ताव (2015&16) तैयार किया, जो मूल परियोजना में सम्मिलित नहीं किए गए थे और इन्हें पूर्ण करना अपरिहार्य था। इन सहायक कार्यों के निष्पादन के लिए जनवरी 2016 में ₹ 13.69 करोड़ की अनुबंधित लागत पर मैसर्स हरि कंस्ट्रक्शन कंपनी झांसी को कार्य प्रदान किया गया जिसे ₹ 19.30 करोड़ के व्यय से मार्च, 2017 में पूर्ण किया गया था।

पहाड़ी डैम परियोजना के कार्यों के निष्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता ने फ़रवरी 2009 में स्पिलवे और मिट्टी के तटबंध के निर्माण हेतु ₹ 90.89 करोड़ की लागत से मैसर्स घनाराम (इंजीनियर एवं कांट्रैक्टर) के साथ अनुबंध गठित किया गया था एवं अक्टूबर 2014 में स्पिलवे के गेटों के निर्माण हेतु ₹ 90.40 करोड़ की लागत से मैसर्स घनाराम इन्फ्राइंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध गठित किया गया था। इन दोनों अनुबंध के तहत कार्य नवंबर 2017 और अक्टूबर 2017 में क्रमशः ₹ 200.19 करोड़ और ₹ 101.62 करोड़ के व्यय कर कार्य पूर्ण किए गए थे। स्पिलवे का कार्य निर्धारित समय से 5 वर्षों से अधिक देरी से एवं स्पिलवे पर गेटों का निर्माण निर्धारित समय से 1 वर्ष की देरी से पूर्ण किया गया था।

आगामी प्रस्तरों में प्रमुख लेखापरीक्षा बिन्दुओं पर चर्चा की गई है।

3-4-1 dk; l dh Lohkfr I s i ol fufonk vkeU=.k

वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 6 के पैराग्राफ 370 में वर्णित है कि कोई भी प्राधिकारी किसी कार्य के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है जब तक सक्षम प्राधिकारी से यह आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ हो कि वह इसके लिए निधियां उपलब्ध कराएगा ताकि ऐसी निधियां देनदारी से पहले आवंटित की जा सकें। वित्तीय हस्पुस्तिका के खण्ड 6 के पैराग्राफ 375 में आगे यह परिकल्पना की गई है कि कोई कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जाए जब तक समुचित रूप से विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन स्वीकृत न हो,

¹⁰ कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि वर्ष 2008 में थी।

¹¹ स्पिलवे (सुरक्षा कार्य) के डाउनस्ट्रीम में रिटेनिंग बांध का निर्माण, बांध गेटों (स्काडा प्रडाली) का ऑटोमेसन, मार्जिनल बांध पर पहुँच मार्ग का निर्माण, लहचुरा डैम के अपस्ट्रीम में लैंड स्केपिंग एवं अन्य विकास कार्य

निधियों का आवंटन किया गया हो तथा कार्य शुरू करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत न किए गए हो।

लेखा परीक्षा की जांच से पाया गया कि लहचुरा डैम परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरांत ₹ 21.69 करोड़ की लागत के लहचुरा बांध के सहायक कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2015) मुख्य अभियंता, परियोजना बेतवा, झाँसी द्वारा प्रदान की गई थी। अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, महोबा ने सितम्बर, 2015 में निविदा को आमंत्रित किया था और इस कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा जनवरी, 2016 में ठेकेदार के साथ ₹ 13.69 करोड़ की लागत से अनुबंध गठित किया गया था। तथापि, शासन ने जुलाई, 2016 में परियोजना के लिए ₹ 19.30 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार अधीक्षण अभियंता ने अनियमित रूप से परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति से 10 महीने पूर्व ही निविदा को आमंत्रित कर दिया था। यहां तक कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने से पांच महीने पहले ठेकेदार के साथ अनुबंध भी गठित कर लिया गया था, जो कि अनियमित था।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि अनुबंध के सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। यद्यपि लेखापरीक्षा में उठाये गए बिन्दुओं पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। राज्य सरकार को उक्त कार्य के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति से पूर्व निविदा के अनियमित प्रकाशन पर सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित की जानी चाहिए।

3-4-2 vi k= Bdñkjka dks dk; l çnku djuk

शासनादेश में निहित प्रावधान (2001) के अनुसार निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं की तकनीकी और वित्तीय बिड का मूल्यांकन कुशल और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। तकनीकी बिड के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानकों में शिथिलता नहीं दी जानी चाहिए और मूल्यांकन की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए जिसका निविदा में भी उल्लेख किया गया हो। तकनीकी मूल्यांकन में विफल रहने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सहायक कार्यों के निष्पादन के लिए सितंबर 2015 में निविदा की शर्तें जारी की गई थी जिसके अनुसार ठेकेदार 'एए' श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत हो, समान प्रकृति के कार्य निष्पादन का अनुभव हो तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में ₹ 15 करोड़ मूल्य के नहर के कार्य निष्पादित किए गए हों। लहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्य के लिए मेसर्स घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हरि कंस्ट्रक्शन झांसी ने निविदा में प्रतिभाग किया और तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मैसर्स हरि कंस्ट्रक्शन झांसी को ₹ 8.13 करोड़ की लागत से कम मूल्य के कार्यों के अनुभव के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह घोषित किया गया था जो निविदा की शर्तों का उल्लंघन था। वित्तीय निविदा खोलने के बाद न्यूनतम निविदादाता को जनवरी, 2016 में लाहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्य के लिए मैसर्स हरि कंस्ट्रक्शन झांसी को कार्य प्रदान किया गया था। इस प्रकार यह कार्य अपात्र ठेकेदार

को प्रदान किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 11 माह की देरी से कार्य पूर्ण किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सिंचाई विभाग द्वारा 1986 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सिविल कार्यों तथा विद्युत/यांत्रिक कार्यों के लिए ठेकेदारों की सूची अलग से बनाई जाएगी। किसी वर्ग विशेष में सूचीबद्ध ठेकेदार उसी श्रेणी के कार्य में ही निविदा के पात्र होंगे।

अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, महोबा ने पहाड़ी डैम परियोजना में बांध पर गेटों के निर्माण का कार्य अक्टूबर, 2014 में मेसर्स घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया जिसकी अनुबंधित लागत ₹ 90.40 करोड़ थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि अधिशासी अभियंता द्वारा निविदा दस्तावेज में संभावित निविदादाताओं के सम्बन्ध में यह उल्लेख नहीं किया था कि यांत्रिक श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदार ही पहाड़ी बांध स्पिलवे के डिजाइन, निर्माण और स्टील फाटकों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मैसर्स घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु 'ए' श्रेणी के ठेकेदार के रूप में सिंचाई विभाग के साथ पंजीकृत किया गया था और वह निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं थे। तथापि, ठेकेदार को निविदा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और बाद में उसे कार्य भी सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार ने कार्य पूर्ण करने की समयसीमा का पालन नहीं किया एवं एक वर्ष की देरी से कार्य पूर्ण किया।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि अनुबंध के तहत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। तथापि, पहाड़ी डैम परियोजना के अंतर्गत अपात्र ठेकेदार को कार्य देने के बिन्दुओं पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

3-4-3 परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का कम लिया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 614 और 615 के अनुसार ठेकेदार अपनी निविदा स्वीकार किए जाने के एक सप्ताह के भीतर परफॉरमेंस सिक्यूरिटी (अनुबन्धित लागत का 10 प्रतिशत) जमा करेगा।

वित्तीय नियमों और निविदा की शर्तों के विपरीत पहाड़ी बांध स्पिलवे का निर्माण और इसके सहायक कार्य परियोजना हेतु परफॉरमेंस सिक्यूरिटी के रूप में ठेकेदार द्वारा जमा किए जाने के लिए अपेक्षित ₹ 9.08 करोड़ में से अनुबंध निष्पादित करते समय ठेकेदार से केवल ₹ 4.54 करोड़ (फरवरी, 2009) ही प्राप्त किए गए थे। मुख्य अभियंता ने (अप्रैल, 2009) ठेकेदारों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था कि शेष परफॉरमेंस सिक्यूरिटी ₹ 4.54 करोड़ की राशि ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी। यद्यपि बिलों से ₹ 4.54 करोड़ की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार, ठेकेदार को इस राशि का अनुचित लाभ दिया गया था।

शासन ने कहा है कि अनुबंध के तहत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। यद्यपि लेखापरीक्षा की टिप्पणी में उठाए गए बिन्दुओं पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। राज्य सरकार ठेकेदार से शेष परफॉरमेंस सिक्यूरिटी वसूल नहीं करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

3-4-4 | jf{kr vfxe dk vfuf; fer Hkxrku

पहाड़ी डैम स्लिपवे और इसके अनुषंगी कार्यों का निर्माण की परियोजना हेतु (अनुबंध संख्या 01/एसई/2008.09) खंड ने कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री की मापी गयी मात्रा के सापेक्ष ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम के रूप में ₹ 20.89 करोड़ का भुगतान किया। इसी प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना के कार्य हेतु वर्ष 2013–18 के दौरान कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री की मापी मात्रा के सापेक्ष ठेकेदारों को ₹ 15.28 करोड़ की सुरक्षित अग्रिम राशि की धनराशि का भुगतान किया गया था (*ifjf'k"V&3-4*)। दोनों अनुबंधों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम भुगतान के लिए अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान शासकीय अनुबंध के दायित्वों से परे था और इस प्रकार, अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप दोनों ठेकेदार लाभान्वित हुए।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—6 के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम राशि दी गई। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि अनुबंध के नियम और शर्तों में ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम देने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

3-4-5 ygppjk Mse i fj ; kstuk ls [kpkbz eš ckIrl xukbV i RFkj dh ykxr ol ly u fd; k tkuk

लहचुरा डैम के आधुनिकीकरण कार्य के दायरे में अन्य बातों के साथ—साथ विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई शामिल थी। ठेकेदार (मेसर्स ई.पी.आई) के साथ निष्पादित किए गए एम.ओ.यू की नियम एवं शर्तों (दिसम्बर, 2005) में यह प्रावधान था कि बांध एवं इसके अनुषंगी कार्यों की खुदाई से प्राप्त सभी उपयुक्त सामग्री आवश्यकता के अनुसार डिस्पोजल एरिया प्लान तैयार करके परियोजना की विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। डिस्पोजल प्लान में शामिल नहीं की गई सामग्रियों को खुदाई स्थल से 500 मीटर के क्षेत्र में उचित रूप से स्टैक किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च, 2006 से मार्च, 2015 के दौरान मिट्टी की खुदाई में 2.78 लाख घन मीटर ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त किए गए थे तथा कार्यस्थल के पास में स्टैक किये गये थे और इन्हें स्टॉक लेखे में दर्ज किया गया था। तथापि, एम.ओ.यू के प्रावधानों के विपरीत, ग्रेनाइट पत्थर की सम्पूर्ण मात्रा मार्च 2006 से मार्च 2015 के दौरान ठेकेदार को निर्गत कर दी गई थी। अभिलेखों की जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि कार्यों की चार मदों यथा रैंडम रबल स्टोन मेसोनरी, लौन्चिंग एप्रन, रॉक टो फिल्टर और स्टोन पिचिंग (आधुनिकीकरण कार्य का हिस्सा) में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाना था। इस प्रकार ठेकेदार ने इन कार्यों पर 1.50 लाख घन मीटर ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया और खंड ने ग्रेनाइट पत्थर के उपयोग के बदले इन चार कार्य मदों के लिए ठेकेदार को भुगतान करते समय ₹ 4.28 करोड़ (रॉयल्टी सहित)¹² की कटौती की थी। शेष 1.28 लाख घन मीटर ग्रेनाइट पत्थर जिसका मूल्य ₹ 5.67 करोड़¹³ था, अक्टूबर 2022 तक ठेकेदार के पास थे। इस प्रकरण को पूर्व में ‘त्वरित सिंचाई लाभ

¹² प्रभावी दरों पर

¹³ लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015 के एस.ओ.आर में निर्धारित ₹ 445 प्रति घन मीटर की दर से (रॉयल्टी की लागत ₹ 75 प्रति घन मीटर को शामिल कर)

कार्यक्रम” के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 22) के प्रस्तर 4.9.6 अनुलग्नक 4.16 में प्रकाशित किया गया था।

तथापि, खण्ड ने कार्य पूरा होने की तारीख से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी ठेकेदार के पास उपलब्ध ग्रेनाइट पत्थर की शेष मात्रा को वापस करने के लिए न तो कोई पत्राचार किया गया न ही ठेकेदार पर ग्रेनाइट पत्थरों की कीमत आरोपित कर उसकी वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि एम.ओ.यू के अनुसार, खुदाई में प्राप्त सामग्रियाँ प्रयोग के लिए उपयुक्त न होने के कारण ठेकेदार से कोई वसूली नहीं की गयी थी।

शासन ने उत्तर दिया कि ठेकेदार के पास शेष ग्रेनाइट अपशिष्ट था जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। चूंकि सभी ग्रेनाइट को समुचित रूप से स्टैक किया गया था, इसे स्टॉक लेखे में दर्ज किया गया था तथा ठेकेदार को निर्गत भी किया गया था। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2022) कि ठेकेदार के पास उपलब्ध शेष ग्रेनाइट पत्थरों की कीमत की वसूली की जाएगी। इस प्रकार, शासन और संबंधित निर्माण खंड के उत्तरों में विरोधाभास था। इसलिए यह आवश्यक है कि शासन इस प्रकरण की जांच कराये और ग्रेनाइट को ठेकेदार को जारी करने में अनियमितता एवं ग्रेनाइट की लागत की वसूली न किये जाने वाले दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करे।

3-4-6 Je mi dj dh dVkjhi uk fd; k tuk

“भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उत्तर प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2009 के अनुसार निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रमिक उपकर नियोक्ता से वसूल किया जाना था और इसे श्रम कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लहचुरा डैम परियोजना के निर्माण और लहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्यों के निर्माण लिए क्रमशः ₹ 328.30 करोड़ और ₹ 19.30 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें कार्यों की लागत, आकस्मिक व्यय और श्रम उपकर शामिल थे। लहचुरा बांध के प्राक्कलन में ₹ 90.87 लाख के श्रम उपकर की राशि का प्रावधान किया गया था जबकि ठेकेदार द्वारा श्रम उपकर का भार वहन किया जाना था। इसलिए प्राक्कलन में अलग प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि खण्ड ने परियोजना कार्यों की अन्य मदों पर श्रम उपकर के लिए आवंटित निधियों का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.00 लाख के श्रम उपकर की (₹ 79.97 करोड़¹⁴ कार्यों के मूल्य का एक प्रतिशत) ठेकेदार के बिलों से कटौती नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप यह धनराशि दिसम्बर, 2010 के शासनादेश के अनुसार श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा नहीं की जा सकी।

इसी प्रकार पहाड़ी डैम परियोजना में ₹ 354.20 करोड़ के प्राक्कलन में श्रम उपकर के लिए ₹ 2.54 करोड़ का प्रावधान किया गया था। खण्ड ने श्रम उपकर के रूप में आवंटित ₹ 2.54 करोड़ रुपये में से ₹ 22.31 लाख श्रम बोर्ड को जमा किए और ₹ 2.32 करोड़ की शेष राशि परियोजना कार्यों पर व्यय किया।

¹⁴ शासनादेश¹ (दिसम्बर, 2010) के निर्गत होने के बाद भुगतान किये गए 13 बिल के सम्बन्ध में।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ₹ 3.02 करोड़ (₹ 301.81 करोड़ का एक प्रतिशत) के देय भुगतान में से ₹ 2.64 करोड़ श्रमिक बोर्ड के पास अक्टूबर, 2021 तक जमा कराए गए और श्रम उपकर की शेष धनराशि ₹ 0.37 करोड़ संबंधित खाते में जमा नहीं की गई थी।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि कि श्रम उपकर के लिए लहचुरा डैम परियोजना की लागत में ₹ 90.87 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसका उपयोग परियोजना के अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया गया था। शासन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि श्रमिक उपकर के रूप में शेष धनराशि की वसूली निधि के आबंटन पर ठेकेदारों के बिलों से की जाएगी।

पहाड़ी डैम परियोजना के संबंध में शासन ने (जुलाई, 2022) बताया कि परियोजना के प्रस्तावित संशोधन में श्रम उपकर से संबंधित विसंगतियों को शामिल किया जाएगा। शासन ने यह भी कहा कि श्रम उपकर के रूप में ₹ 0.37 करोड़ की शेष धनराशि की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जाएगी।

3-5 ck.kl kxj ugj i fj ; kst uk vkJ ygpjk Mse i fj ; kst uk ds ykxr foftkkUurkvk dhl vuf/kd'r Lohdfr

राज्य सरकार ने अधिकारियों की वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन को परिभाषित करते हुए आदेश¹⁵ जारी किया (जून 1995)। शासकीय आदेश जून 1995 में अन्य बातों के साथ—साथ प्रावधान किया गया था कि मुख्य अभियन्ता को कार्य की लागत में, मूल अनुमानित लागत¹⁶ के अधिकतम 15 प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति का अधिकार होगा और 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

ck.kl kxj ugj i fj ; kst uk % mRrj / ns'k%

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाणसागर नहर परियोजना के 94 बी.ओ.क्यू. में से 43 में कार्य की लागत, अनुमानित लागत के सापेक्ष 11 से 892 प्रतिशत तक बढ़ गई थी (कुल अनुमानित लागत: ₹ 215.03 करोड़, लागत में वृद्धि: ₹ 228.04 करोड़)। यह वृद्धि 12 कार्यों में 100 से 892 प्रतिशत, 12 कार्यों में 50 से 99 प्रतिशत एवं शेष 19 कार्यों में 11 से 49 प्रतिशत थी //f/f'k"V 3-5%। मुख्य अभियन्ता द्वारा इन लागत विचलनों की स्वीकृति प्रदान किया गया था तथा ठेकेदार को धनराशि का भुगतान किया गया, जबकि शासकीय आदेश जून 1995 के क्रम में इसे स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को अग्रसारित किया जाना चाहिये था।

अग्रेतर जॉच में पाया गया कि अनुबंध के अन्तर्गत अनुबन्धित मात्रा में भिन्नता के कारण कार्य की लागत में ₹ 84.70 करोड़ और कार्य की अतिरिक्त मदों को शामिल करने के कारण ₹ 143.34 करोड़ की धनराशि की वृद्धि हुई। यद्यपि, न तो मुख्य अभियन्ता को, खण्डों ने विभिन्नताओं के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय और न ही मुख्य अभियन्ता ने खण्डों के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते समय अत्यधिक मात्रा और अतिरिक्त मदों में भिन्नता के लिए स्पष्ट स्वीकार्य कारणों/परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था। उपर्युक्त 43 कार्यों में से 39 (91 प्रतिशत) में,

¹⁵ शा.सं ए—2—1602 / 10—95—24 (14) 95 दिनांक 1.06.1995

¹⁶ कार्य अनुमान की तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति तक सीमित।

केवल यह उल्लेख किया गया था कि कार्य स्थल की परिस्थितियों के कारण भिन्नताएं हुई और शेष चार कार्यों के संबंध में मुख्य अभियन्ता ने कहा कि लागत में भिन्नता डिजाइन में परिवर्तन, नई मदों को शामिल करने, इत्यादि कारणों से हुई।

उत्तर में शासन द्वारा (जुलाई 2022) बताया गया कि कार्य की लागत में भिन्नता राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2018 में अनुमोदित परियोजना की अन्तिम पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 3420.24 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत थी।

ygpjk M& i fj ; kstuk

लहचुरा डैम परियोजना के सहवर्ती कार्य के सन्दर्भ में, ठेकेदार के साथ गठित अनुबन्ध में कार्य की मात्रा में 26 प्रतिशत से 125 प्रतिशत (लागत ₹ 3.74 करोड़) तक के महत्वपूर्ण विभिन्नता थी $\frac{1}{1}fj'k''V&3.6\%$ । इस प्रकरण में भी, मुख्य अभियन्ता द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद भी अत्यधिक विभिन्नता के कारणों को स्पष्ट किये बिना कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्नताएं हुई, अवगत कराया गया जिसे उनके द्वारा अनुमोदित भी किया गया था।

उत्तर में शासन द्वारा (जुलाई 2022) बताया गया कि, यद्यपि मुख्य अभियन्ता ने कार्यों की कुछ मदों में 26 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक की विभिन्नता की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि नहीं हुई।

बाणसागर नहर परियोजना के साथ—साथ लहचुरा डैम परियोजना के प्रकरण में शासन द्वारा बताया गया उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि शासनादेश 1995 में कार्य की अनुमानित लागत, जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का ही एक भाग था, का उल्लेख है, न कि उस परियोजना की सम्पूर्ण लागत का। अग्रेतर, शासन का यह तर्क कि मुख्य अभियन्ता द्वारा विभिन्नताओं की स्वीकृति देने के बावजूद परियोजना की कुल लागत पर कोई असर नहीं पड़ा मान्य नहीं था, जैसा कि बाणसागर नहर परियोजना के विगत पुनरीक्षण में कार्य के छह मदों (सर्विस रोड, मिट्टी के कार्य, संचार व्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वृक्षारोपण और विविध मदों जो प्रस्तर 2.2.1 में विस्तृत रूप से दिया गया है)। जिनकी लागत ₹ 110.47 करोड़ थी, को परियोजना के कार्य क्षेत्र से आंशिक रूप से बाहर रखा गया था। यद्यपि, व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना की लागत से बाहर उक्त मदों के प्रभाव का परीक्षण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियन्ता जिन्होंने कार्य की मदों की मूल मात्रा का निर्धारण किया था, उन्होंने नई मदों एवं मात्राओं में अत्यधिक वृद्धि बिना औचित्य के अनुमोदित किया था। इस प्रकार, यह प्रकरण जॉच किये जाने योग्य है, क्योंकि मुख्य अभियन्ता ने जून 2015 के शासनादेश के विरुद्ध निहित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया एवं स्वयं स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी होने के नाते ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। अतः शासन को कार्यस्थल पर कार्य की जॉच कर इस प्रकार की प्रणाली भी तैयार करनी चाहिए ताकि मौजूदा निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जिससे मुख्य अभियन्ताओं द्वारा निर्णयों में मनमानी की स्थितियों से बचा जा सके।

n"Vkr 3-5-1

जनवरी 2013 से पहले हुए अनुबन्धों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अधीक्षण अभियन्ता, बाणसागर नहर परियोजना द्वारा अगस्त 2005 में अदवा बैराज के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया था। अनुबंध के नियमों और शर्तों में निहित था कि अनुबन्धित लागत के 20 प्रतिशत से अधिक होने वाली मात्रा में भिन्नता के प्रकरण में, ठेकेदार के देयक से 1.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक $\frac{1}{10}fj'k'V&3-7\%$ की दर से वसूली की जायेगी। इसके अलावा त्रृणात्मक विभिन्नता की स्थिति में ठेकेदार को अनुबंधित मूल्य के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की दरों पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2005 से जनवरी 2018 की अवधि में ठेकेदार द्वारा ₹ 15.06 करोड़ के अनुबन्धित लागत के सापेक्ष ₹ 38.44 करोड़ (155 प्रतिशत) के मूल्य के कार्यों का निष्पादन किया गया। ₹ 23.38 करोड़ की इस विभिन्नता में, मात्रा में भिन्नता (₹ 9.85 करोड़) और अतिरिक्त मदो (₹ 13.53 करोड़) की धनराशि शामिल थी, जिसे मुख्य अभियन्ता द्वारा जून 1995 के शासकीय आदेश के उल्लंघन में यह कहते हुए अनुमोदित किया गया था कि विभिन्नताएं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार थीं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि 46 कार्य मदों में से, 40 मदों में, ठेकेदार ने अनुबंधित मात्रा से अधिक (35 प्रतिशत से 630 प्रतिशत) कार्य निष्पादित किया था और इस प्रकार अनुबन्ध के अनुसार ₹ 98.66 लाख वसूली योग्य था। इसके अलावा, कार्यों की पांच मदों की मात्रा में त्रृणात्मक भिन्नताएं थीं, इसलिए ₹ 38.70 लाख की प्रोत्साहन राशि ठेकेदार को देय थी। किन्तु खण्ड द्वारा अक्टूबर 2021 तक न तो ठेकेदार पर वसूली आरोपित किया गया और न ही ठेकेदार को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि त्रृणात्मक भिन्नताओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और कार्य के अतिरिक्त निष्पादन के लिए वसूली करने के लिए अनुबंध के नियम और शर्तें स्वयं विरोधाभासी थीं। एक तरफ, त्रृणात्मक भिन्नता के लिए प्रोत्साहन की दर (2.5 से 10 प्रतिशत) अतिरिक्त मात्रा में कार्यों के निष्पादन के कारण वसूली की दर (1.25 से 5 प्रतिशत) के सापेक्ष बहुत अधिक थी, जिससे अनुबंध की शर्तें ठेकेदार के अनुकूल हो गई। दूसरी तरफ, विभाग और ठेकेदार के बीच अनुबन्धित मात्रा तक कार्य निष्पादित किया जाना चाहिए और ठेकेदार को कम या अधिक मात्रा में कार्य निष्पादित करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकरण में, कार्य का निष्पादन कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार किया जाना हो तो प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए, कार्य की मात्रा में भिन्नताओं के लिए प्रोत्साहन और वसूली प्रदान करने के लिए अनुबंध की शर्तें अनुचित थीं।

शासन द्वारा उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर नहीं दिया गया।

3-6 ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk ds vUrXlr Bdskj dks vfuf; fer I e; of) fn; k tuk

बाणसागर नहर परियोजना के अवशेष कार्यों के लिए आर.पी.पी.एल. के साथ गठित अनुबंध के अनुच्छेद III में परिकल्पना की गई थी कि अनुबंध के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य को कार्य प्रारम्भ किये जाने की सूचना की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रारम्भ किया जाएगा और कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि के पूर्व, इसे प्रभारी अभियंता को हस्तांतरण करने के लिए तत्परतापूर्वक निष्पादित और पूर्ण किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों के क्लॉज 5 में वर्णित था कि कार्य को पूरा करने के लिए किसी अपरिहार्य व्यवधान के आधार पर समयवृद्धि प्रदान की जा सकेगी जो उचित आधार पर होगा। अनुबंध के क्लॉज 2(बी) में यह भी निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार प्रगति धीमी रहने पर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा जो कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरपीपीएल के साथ गठित अनुबंध के अन्तर्गत बाणसागर नहर परियोजना का कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि जनवरी 2015 थी लेकिन ठेकेदार अनुबंधित कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तिथि जनवरी 2015 तक कार्य पूर्ण नहीं कर पाया था। ठेकेदार ने पहली बार नवंबर 2014 में 12 महीने के लिए समयवृद्धि हेतु आवेदन किया था। ठेकेदार ने कैमूर रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य के लिए वन भूमि की उपलब्धता में हो रही देरी और विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई कार्यों के ड्राइंग उपलब्ध नहीं कराये जाने को, कार्य में विलम्ब का कारण बताया गया था। अग्रेतर जॉच में पाया गया कि ठेकेदार ने समयवृद्धि के बाद भी काम पूरा नहीं किया और पुनः जुलाई 2015 से जून 2018 के दौरान समय-समय पर, पांच बार कैमूर रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य के लिए वन भूमि की देरी से उपलब्धता के आधार पर, कई कार्यों के संबंध में ड्राइंग की देरी से उपलब्धता, बारिश के कारण हुए व्यवधान, खराब मौसम, जूनियर इंजीनियरों की हड्डताल, और सिरसी डैम से मेजा-जिरगो लिंक चैनल में जल छोड़ने से संबंधित निर्माण कार्य में निरंतरता में हो रही बाधा के लिए समय सीमा बढ़ाने हेतु आवेदन किया। यह पाया गया कि प्रत्येक बार मुख्य अभियन्ता बाणसागर नहर परियोजना, ने ठेकेदार के अनुरोधों को स्वीकार किया और बिना किसी लिकिंडेटेड डैमेज आरोपित किये समयवृद्धि प्रदान की थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि यद्यपि कैमूर रेंज की उक्त वन भूमि ठेकेदार को देरी से उपलब्ध कराई गई थी, परन्तु उक्त भूमि अगस्त 2015 में ठेकेदार को उपलब्ध करा दी गई थी। इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा उक्त भूमि पर कार्य पूर्ण नहीं किया और उसके बाद प्रत्येक अवसर पर समय वृद्धि की मांग की गई। अनुबन्ध गठन के समय कार्य समस्ति की निर्धारित तिथि तय करते समय वर्षा, खराब मौसम जैसी परिस्थितियों का ऑकलन किया गया था इस प्रकार उक्त कारणों पर विचार किया जाना उचित नहीं था। ठेकेदार को ड्राइंग की विलम्ब से उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 22 बीओक्यू के कार्य ही इससे प्रभावित थे। यद्यपि, लेखापरीक्षा में अभिलेखों के अभाव के कारण विश्लेषण नहीं किया जा सका कि किन परिस्थितियों में ठेकेदारों को ड्राइंग उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, 94 बी.ओ.क्यू में से, अधिकतम 60 बी.ओ.क्यू में ही बाधाओं/अवरोधों के कारण सीमित समय अवधि में कार्य प्रभावित रहे। यद्यपि, ठेकेदार ने सभी 94 बीओक्यू के संबंध में, आमतौर पर लगभग एक ही आधार पर समय वृद्धि की मांग की थी। ऐसी परिस्थितियों में, उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के समयवृद्धि आवेदन प्रपत्रों पर कार्यवार विश्लेषण कर एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में लिखित आदेश पारित कर, विभाग की ओर से विलम्ब के प्रकरणों में समय वृद्धि का निर्णय लेना चाहिए था, जबकि इसके विपरीत, ठेकेदार के जिन आवेदनों पर अवरोध/बाधा नहीं दर्शाया गया था उनको भी सम्मिलित कर मुख्य अभियन्ता द्वारा समस्त 94 बीओक्यू के लिए समयवृद्धि प्रदान की गई थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुबंध की शर्तों में श्रम, पीओएल, सीमेंट, स्टील और एग्रीगेट्स की कीमतों में वृद्धि के कारण ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान शामिल था। इस प्रकार, कार्य के लिए समय सीमा बढ़ाने से मूल्य समायोजन के मामले में भी ठेकेदार का अनुचित पक्ष सामने आया। अभिलेखों के अनुसार, मूल्य समायोजन के कारण ठेकेदार को ₹ 89.22 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, मुख्य अभियन्ता की ओर से समयवृद्धि हेतु जानबूझकर ढुलमुल रवैये के कारण ठेकेदार को उसके वैध दावे से अधिक मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया जबकि ठेकेदार अनुबंध के वलॉज 2(बी) के संदर्भ में कार्य में देरी के लिए अर्थदण्ड के लिए उत्तरदायी था।

शासन द्वारा बताया गया कि (जुलाई 2022) 94 बी.ओ.क्यू में से कुछ में भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और कुछ अन्य बीओयू के कार्य स्थल वन भूमि में स्थित था, जिस पर कार्य करने के लिए वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जून 2018 तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रही, जिसके कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। शासन द्वारा अग्रेतर बताया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मैसर्स ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया था। जिन बीओक्यू में कोई बाधा नहीं थी, उन्हें समय-सीमा के अनुसार पूर्ण कर लिया गया और उसी के अनुसार मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया।

तथ्य यह है कि, मुख्य अभियन्ता बाणसागर नहर परियोजना द्वारा प्रकरणवार कार्य में बिलम्ब के आधार का विश्लेषण किये बिना ठेकेदार को समय वृद्धि दिया गया था। समयवृद्धि के प्रकरणों में विश्लेषण की कमी के कारण, एवं अभिलेखों में पर्याप्त साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को उचित आधार पर दी गई समयवृद्धि का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। यद्यपि इस संबंध में लेखापरीक्षा विश्लेषण निश्चित तौर पर इस बात का संकेत देता है कि मुख्य अभियन्ता इसके लिए प्रासंगिक औचित्य दिए बिना ठेकेदार को समयवृद्धि प्रदान करने में उदार थे।

3-7 xq koÜkk fu; #.k

परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण में सामग्री और श्रम का परीक्षण किया जाना शामिल है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमोदित मानकों और गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुसार परियोजना के कार्यों को निष्पादित किया गया है।

आरपीपीएल के साथ गठित अनुबंध में, तकनीकी विशिष्टियों में सामग्री¹⁷ और श्रम के संबंध में विनिर्देश प्रदान किए गये थे। गठित अनुबंध के अनुसार सभी कार्य अनुबंध में उल्लिखित विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार किए जाएंगे। यदि किसी कार्य का विनिर्देशन अनुबन्ध में नहीं दिया गया है, तो उसे संबंधित भारतीय मानक/इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड ने वर्ष 2013–14 से 2019–20 के दौरान 5603 क्यूब टेस्ट, 202 सीव टेस्ट, पांच सीमेंट टेस्ट, 62 मृदा परीक्षण एवं छह ईंट परीक्षण किय गये थे, जिसमें से 337 क्यूब टेस्ट के नमूने, 28 सीव टेस्ट और चार ईंट परीक्षण विफल घोषित किए गए थे $\frac{1}{4}if'f'k''V&3-8V\frac{1}{4}$ । असफल नमूनों के संबंध में खण्डों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने थे, लेकिन खण्डों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के संबंध में मांग गये अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए 33 बी.ओ.क्यू¹⁸ में एक बार भी नमूना नहीं लिया गया था। इस प्रकार, इन 33 बी.ओ.क्यू. के अन्तर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा 38 बी.ओ.क्यू के संबंध में गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की नमूना जांच की गई। क्यूब परीक्षणों के लिए गए नमूनों की संख्या में से 24 बी.ओ.क्यू निर्धारित मानदंडों¹⁹ से कम थी। नमूने लेने में कमी 15 बी.ओ.क्यू में 75 से 99 प्रतिशत, छह बी.ओ.क्यू में 50 से 75 प्रतिशत और तीन बी.ओ.क्यू में 25 से 50 प्रतिशत तक रही। विवरण $/f/f'k''V&3-8C$ में दिए गए हैं। इस प्रकार, सीसी कार्य की मजबूती निर्धारित करने के लिए पर्याप्त संख्या में नमूनों के साथ क्यूब टेस्ट मानदंडों के अनुरूप नहीं लिया गया था।

शासन द्वारा उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया और बताया (जुलाई 2022) कि समय–समय पर गुणवत्ता जांच की गई और संबंधित खण्डों को परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

तथ्य यह है कि निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता पर पर्याप्त आश्वासन लेखापरीक्षा में नहीं सुनिश्चित किया जा सका।

¹⁷ सीमेंट, फाइन एवं कोर्स एग्रीगेट, स्टील रिइनफोर्समेंट, अर्थवर्क (कम्पैक्शन), सीमेंट कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट प्वानिंग, फॉर्म वर्क, कापर वाटर स्टॉप्स, पीवीसी वाटर सील, वीयरिंग कोर्स, रोडवेज की ड्रेनेज, कापर सील्स, जॉइंट फिलर बोर्ड, जीपी शीट सील।

¹⁸ जनवरी 2013 में आरपीपीएल को प्रदान किये गये 94 बी.ओ.क्यू कार्य में से।

¹⁹ एक से पांच घन मीटर के कंक्रीट कार्य की मात्रा: एक नमूना, छह से 15 घन मीटर, दो नमूने, 16 से 30 घन मीटर तीन नमूने, 31 से 50 घन मीटर, चार नमूने, 51 एवं अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 50 घन मीटर या उसके भाग के लिए चार प्लस एक अतिरिक्त नमूने।

3-8 ugjkः dk vuঁ {k. k

एक प्रभावी नहर अनुरक्षण प्रणाली के प्रमुख घटकों में समय—समय पर अनुरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करना, रखरखाव कार्य की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए नहर संरचनाओं का नियमित सर्वेक्षण करना शामिल है। इसके अलावा, अनुरक्षण कार्य के लिए धन की आवश्यकता का सटीक आकलन, विभाग द्वारा समय पर धनराशि की मांग करना और पर्याप्त धनराशि का आवंटन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था ताकि अनुरक्षण कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।

विभाग ने अनुरक्षण हेतु नहरों को सम्मिलित करने के लिए आवधिकता/चक्र के संबंध में नियमों और मानदंडों को निर्दिष्ट करने वाला कोई मानक निर्धारित नहीं किया। यद्यपि, राज्य सरकार ने कमाण्ड एरिया के आकार के आधार पर नहरों के अनुरक्षण के बजट के लिए मानदंड निर्धारित (दिसंबर 2000) किए हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों²⁰ में 'इन नहरों के वार्षिक अनुरक्षण के लिए, मुख्य, शाखा और राजवाहा नहरों हेतु ₹ 978.80 प्रति हेक्टेयर, लघु नहरों हेतु ₹ 908.85 प्रति हेक्टेयर की दर से निधि की आवश्यकता निर्धारित की गई थी।

नमूना जॉच हेतु चयनित खण्डों के अभिलेखों में नहरों की भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे करने के संबंध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया। इसके अलावा, किसी भी चयनित खण्ड ने नहरों के वार्षिक अनुरक्षण की योजना को तैयार करने के लिए नहरवार अनुमान तैयार नहीं किया था।

बाणसागर नहर परियोजना के नौ नहर प्रणालियों और लहचुरा डैम परियोजना के अन्तर्गत धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के नहरों के अनुरक्षण के लिए क्रमशः ₹ 20.00 करोड़ और ₹ 3.28 करोड़ की वार्षिक आवश्यकता का आकलन किया ॥/fj'f'k"V&3-9॥। बाणसागर नहर परियोजना की सात नहर प्रणालियों के संबंध में, अनुरक्षण कार्य पर निधि के आवंटन का विवरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था क्योंकि संबंधित खण्डों द्वारा अन्य नहर प्रणालियों का भी संचालन कर रहे थे और आवंटन एकमुश्त प्राप्त हुआ था। बाणसागर नहर परियोजना की शेष दो नहर प्रणालियों (टोंस पंप नहर और यमुना पंप नहर) में ₹ 4.50 करोड़²¹ की आवश्यकता के सापेक्ष वर्ष 2014–21 के दौरान आवंटन ₹ 1.04 करोड़ से ₹ 1.71 करोड़ था, जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया था। अग्रेतर, धसान नहर प्रणाली के संबंध में, वर्ष 2019–20 में ₹ 3.34 करोड़ को छोड़कर, वर्ष 2014–21 के दौरान ₹ 1.04 करोड़ रुपये से ₹ 1.82 करोड़ आवंटित किए गए थे।

नहरों के वार्षिक अनुरक्षण के संचालन के संबंध में, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, खण्डों ने वर्ष 2014–21 के दौरान अनुरक्षण के लिए चयनित की गई नहरों का विवरण प्रदान नहीं किया। लेखापरीक्षा में जॉच हेतु चयनित की गई 29 नहरों के अनुरक्षण के संबंध में अभिलेखों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि सात वर्षों में, दो

²⁰ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड (₹ 210 प्रति हेक्टेयर। मुख्य, शाखा और राजवाहा नहरों के लिए और ₹ 195 प्रति हेक्टेयर अल्पिकाओं के लिए) दरों को अद्यतन करने के लिए ऑडिट द्वारा 20 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत की दर से यानी 2000 से 2020 तक वार्षिक वृद्धि प्रदान की गई थी।

²¹ मानक के अनुसार गणना की गई।

नहरें एक बार भी वार्षिक अनुरक्षण के लिए चयनित नहीं की गई, छह नहरों को केवल एक वर्ष और चार नहरों को सात वर्षों में से दो वर्षों में अनुरक्षण हेतु चयनित किया गया। विवरण /f/f'k"V&32 में दिया गया है। अग्रेतर, चयनित नहरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में नहरों की खराब स्थिति झाड़ियों/वनस्पतियों और क्षतिग्रस्त बैंकों से भरे हुए पाए गए थे, को निम्नवत चित्रों में दर्शाया गया है।



ck.kl kxj i fj ; kstuk ds cuokWvfYi dk efl YV /k/ku u gj iz kkyh ds fcyxkbb vfYi dk efl Y
%foxr vuj{k.k 2020&21%




Powered by NoteCam
%foxr vuj{k.k 2019&20%



Bagariha, Uttar Pradesh, India
Bagariha, Uttar Pradesh, India
Lat N 25° 4' 27.35184"
Long E 81° 55' 41.07288"
09/12/20 02:08 PM
Google

ck.kl kxj i fj ; kstuk ds nl ksh vfyi dk dh
[kjkc fLFkfr %foxr vuj{k.k 2020&21%



Dhauru Pur, Uttar Pradesh, India
NH-35, Rajpur, Dhauru Pur, Uttar Pradesh 231001, India
Lat N 25° 7' 39.7884"
Long E 82° 36' 16.0596"
16/03/21 01:08 PM
Sataraan Google

ck.kl kxj i fj ; kstuk ds H#guk vfyi dk dh
[kjkc fLFkfr %foxr vuj{k.k 2019&20%

शासन द्वारा बाणसागर नहर परियोजना से संबंधित उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर नहीं दिया गया। लहचुरा डेम परियोजना के बारे में, शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्ष 2020–21 में धसान नहर प्रणाली के लिए बजट प्रावधान को प्रतिवर्ष ₹ 148.03 लाख से बढ़ाकर ₹ 400.00 लाख कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि नहर संरचनाओं का उचित रख-रखाव करने के लिए प्रभावी प्रणाली लागू नहीं की गई थी, जिसके कारण नहर संरचनाएं खराब स्थिति में थी। लेखापरीक्षा ने अपर्याप्त रखरखाव वाली 12 नहरों (पिछले सात वर्षों के दौरान शून्य से दो बार) के संचालन का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि इनमें से आठ नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में, लक्ष्य के अनुसार सिंचाई नहीं दी गई और सात नहरों में 68 से 99 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई तथा एक नहर में वर्ष 2014–21 के दौरान कोई सिंचाई नहीं की गई।

I kj kd k ej बाणसागर नहर परियोजना में निधि जारी करने में विलम्ब किया गया जिससे कार्यों में धीमी प्रगति रही। चयनित सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुबंध प्रबंधन में कमी थी। निविदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और केवल कुछ निविदादाताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंधों में मूल्य समायोजन की अनुमति देने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसी तरह, लहचुरा डैम परियोजना के कार्यों में निविदा सूचना को कार्यों की स्वीकृति से पहले निर्गत किया गया और अपात्र निविदादाताओं को कार्य प्रदान किये गए। परियोजनाओं के निष्पादन का अनुश्रवण कमजोर था, जिससे बार-बार समय वृद्धि और मात्रा में भिन्नता हुई। विभिन्न घटकों के लिए मूल्य समायोजन के निर्धारण में, ठेकेदारों के समय वृद्धि स्वीकृत करने, इसके अलावा ठेकेदार को अनियमित ब्याज मुक्त अग्रिम जारी करने और ग्रेनाइट एवं श्रम उपकर की लागत की वसूली नहीं करने के संदर्भ में अनुचित पक्ष प्रदान करने में मनमानी की गई। कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण विचारणीय प्रश्न था।

Vu| kd k 5% राज्य सरकार को निष्पक्ष और पारदर्शी अनुबंध की शर्ते लगाकर तथा निविदाओं को व्यापकता के साथ प्रकाशित करा कर निविदा में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना चाहिए और विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में हो रही त्रुटियों को दूर करना चाहिए।

Vu| kd k 6% राज्य सरकार बाणसागर नहर परियोजना में श्रम तथा पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट के मूल्य समायोजन के लिए प्रतिशत भारांक प्रदान करने के आधार की समीक्षा कर सकती है तथा वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रतिशत भारांक न लगाकर मनमाने ढंग से इनके भारांक निर्धारित करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है।

Vu| kd k 7% राज्य सरकार को समय-वृद्धि प्रदान करने, लागत भिन्नताओं और अतिरिक्त मदों पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादें। और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग, शासकीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

अध्याय – 4

परियोजना का प्रतिफल

वे; क; &4

ि फ़ ; क्स्टुक ड्स च्फ्रॉय

यह अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा में आच्छादित दोनों सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात अपेक्षित लाभों और उन लाभों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों नहर परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि क्रियाओं की सफलता हेतु आवश्यक कुछ प्रमुख आदानों की उपलब्धता पर भी चर्चा इस अध्याय में की गयी है।

यस्क्कि जहक्कि मीस'; ३% ि फ़ ; क्स्टुक्व्हॉ / स वि फ़िक्र यक्कि ि क्लर फ़ि, ए, व्हॉ मिल्गि यक्कक्कफ्कि क्वॉ र्ड ड्फ़िक्यर्कि व्हॉ, ओ ि हक्कोह <ए / स ि ग्वॉक्कि ए ए; क्वा

वे; क; ड्क | क्ज

- बाणसागर नहर परियोजना को जुलाई 2018 से संचालित कर दिया गया जबकि इसकी नौ नहर प्रणालियों में से चार नहर प्रणालियों को लिंक चैनेल के अभाव में मेजा जिरगो लिंक नहर से जल प्राप्त करने हेतु जोड़ा नहीं गया था।
- बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता को वांछित स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सका था। बाणसागर डैम से 34,008 मिलियन घन फीट जल की आपूर्ति प्राप्त होने के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक आपूर्ति पांच से नौ प्रतिशत तक सीमित थी।
- इसी प्रकार, लहचुरा डैम में जल की कम उपलब्धता के कारण वर्ष 2014–15 से 2020–21 तक की अवधि में धसान नहर प्रणाली की आश्यकता के सापेक्ष 22 से 68 प्रतिशत कम जल छोड़ा गया था।
- वर्ष 2014–21 की अवधि में नहर प्रणालियों में जल की कम आपूर्ति के कारण नहरों का संचालन प्रभावित हुआ। जुलाई 2018 में बाणसागर नहर परियोजना का संचालन प्रारम्भ होने के पश्चात सम्पूर्ण रबी फसल की अवधि में मात्र 46 प्रतिशत नहरों ही संचालित हुई। धसान नहर प्रणाली में वर्ष 2014–21 के मध्य 88 नहरों में से कोई भी नहर रबी फसल की पांच माह की सम्पूर्ण अवधि के दौरान संचालित नहीं हुई।
- बाणसागर नहर परियोजना को संचालन आरम्भ होने के पश्चात सिंचाई की सघनता में लक्षित वृद्धि (रबी 83:प्रतिशत तथा खरीफ़: 67 प्रतिशत) नहीं हुई। सिंचाई सघनता के सृजन में रबी में 44 से 45 प्रतिशत तक और खरीफ़ में 32 से 33 प्रतिशत तक की कमी थी।
- धसान नहर प्रणाली के 97,169 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में, विभाग द्वारा रबी फसल हेतु मात्र 31,910 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) तथा खरीफ़ फसल हेतु मात्र 14,575 हेक्टेयर (15 प्रतिशत) में ही नहर से सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने का लक्ष्य रखा। हालांकि, विभाग लक्षित क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने में विफल रहा।

- अनाज की उत्पादकता एवं अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किसानों को प्रमाणित बीजों की कम/देरी से आपूर्ति तथा अपर्याप्त मृदा परीक्षण के प्रकरण लेखापरीक्षा में पाये गये।
- कुलाबों से खेतों तक जल ले जाने के लिए नहरों का कमाण्ड क्षेत्र विकसित नहीं किया गया था।

4-1 cLrkouk

सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा उनका संचालन आरम्भ होने के बाद, यह आकलन करना समीचीन होगा कि परियोजनाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया।

4-2 i fj ; kstukvka dh i wklrk , or | pkyu

बाणसागर नहर परियोजना जुलाई 2018 में संचालित की गई तथा लहचुरा डैम परियोजना और उससे जुड़ी पहाड़ी डैम परियोजना के कार्य क्रमशः मार्च 2015 और मार्च 2018 में पूर्ण हुआ था।

4-2-1 ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk /mUkj cns' k/ ds vi wkl dk; l

जैसा कि प्रस्तर 3.3 में चर्चा की गई है, बाणसागर नहर परियोजना में छ: वृहद् संरचनाओं/कार्यों का निर्माण सम्मिलित था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन छह में से चार संरचनाओं/कार्यों यथा बाणसागर फीडर नहर, अदवा बैराज, अदवा मेजा लिंक नहर और मेजा कोटा फीडर नहर को मई 2018 तक पूर्ण किया गया था। जबकि दो अन्य घटकों यथा मेजा जिरगो लिंक नहर और पुरानी नहरों की पुनर्रचना के कार्यों को परियोजना के चालू होने की तिथि (जुलाई 2018) तक आंशिक रूप से ही पूर्ण किया गया था जैसाकि नीचे rkfydk 4-1 में वर्णित है :

rkfydk 4-1% i fj ; kstuk ds i wkl gkus dh fLFkfr

dk; l dk uke	ek=k	tlykbz 2018 e i wkl gkus dh fLFkfr
बाणसागर पोषक नहर	71.494 कि.मी.	पूर्ण
अदवा बैराज	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत प्राप्त 46.46 क्यूमेक जल का डायवर्जन	पूर्ण
अदवा-मेजा लिंक नहर	25.60 कि.मी.	पूर्ण
मेजा-जिरगो लिंक नहर	71.13 कि.मी.	आंशिक रूप से पूर्ण
मेजा-कोटा पोषक नहर	3.577 कि.मी.	पूर्ण
नहरों की पुनर्रचना	487 कि.मी. लंबाई में 52 नहरों की पुनर्रचना	468 कि.मी. लंबाई में 44 नहरों की पुनर्रचना का कार्य पूर्ण।

(स्रोत: मुख्य अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना, प्रयागराज)

लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों में से चार नहर प्रणालियों में मेजा जिरगो लिंक नहर से जल को प्रवाहित किये जाने हेतु लिंक नहर का निर्माण नहीं किया गया। जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

- 75.550 कि.मी. लम्बी मेजा जिरगो लिंक नहर मीरजापुर जिले के मेजा डैम को जिरगो डैम से जोड़ती है। मेजा जिरगो लिंक नहर, जिरगो डैम (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 75.550 पर; 3,909 मिलियन घन फीट) में मिलने के पूर्व, मेजा कोटा फीडर नहर¹ (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 13.10 पर; 3,824 मिलियन घन फीट), हर्रई नहर प्रणाली (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 36.480 पर; 261 मिलियन घन फीट), लोअर खजुरी प्रणाली (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 45.950 पर; 416 मिलियन घन फीट) को जल उपलब्ध कराना था। दो अन्य नहर प्रणालियों यथा गरई और जिरगो द्वारा 55,439 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई हेतु जिरगो जलाशय से 11,374 मिलियन घन फीट जल ले जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्ताव के अनुरूप मेजा जिरगो लिंक नहर कि.मी. 75.550 पर स्थित जिरगो डैम से नहीं जुड़ी थी। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संबंधित खंड ने बताया कि मेजा जिरगो लिंक नहर कि.मी. 71.130 पर स्थित बंधवा नाले से जुड़ी थी जिसके माध्यम से जल जिरगो डैम में पहुंच रहा था। यद्यपि, खंड द्वारा न तो उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके कारण जिरगो जलाशय में सीधे जल ले जाने के लिए 75.550 कि.मी. तक मेजा जिरगो लिंक नहर का निर्माण नहीं हुआ और न ही बंधवा नाले में जल छोड़ने के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध कराया गया। नीचे दिया गया छायाचित्र, डीपीआर में परिकल्पित 75.550 कि.मी. लम्बाई तक मेजा जिरगो लिंक नहर के निर्माण के स्थान पर केवल 71.130 कि.मी. तक निर्मित होने की स्थिति को प्रदर्शित करता है:



राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2022) कि मेजा जिरगो लिंक नहर, जिसकी लंबाई 71.150 कि.मी. है, बंधवा नाले से जुड़ी हुई थी जो जल को जिरगो डैम तक ले जाता है। शासन द्वारा आगे कहा गया कि मेजा कोटा फीडर नहर, हर्रई नहर प्रणाली और लोअर खजुरी प्रणाली के हेड रेगुलेटर का काम पूर्ण हो गया था और इन नहरों का संचालन जुलाई 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया था।

¹ मेजा कोटा पोषक नहर द्वारा बरौंधा रखवाहा नहर को जल उपलब्ध कराना था।

तथ्य यथावत रहा कि मेजा जिरगो लिंक नहर जिरगो डैम से नहीं जुड़ी थी। इसके अतिरिक्त, मेजा जिरगो लिंक नहर से बंधवा नाले के माध्यम से जिरगो डैम में जल के संवर्धन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

- हर्रई नहर प्रणाली (पीपीए²: 4,616 हेक्टेयर) को 15 क्यूसेक अतिरिक्त जल मेजा जिरगो लिंक नहर से प्रदान किया जाना था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मेजा जिरगो लिंक नहर से हर्रई नहर प्रणाली को जल प्रदान करने हेतु लिंक नहर नहीं बनाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संबंधित खंड ने बताया कि एक प्राकृतिक नाले के माध्यम से मेजा जिरगो लिंक नहर से हर्रई नहर प्रणाली को जल प्रदान किया गया। यद्यपि, खंड द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। अग्रेतर, सिरसी बांध खंड, मीरजापुर जिसके नियंत्रण में हर्रई नहर प्रणाली संचालित की जा रही थी, इस सम्बन्ध में सूचित किया कि वर्ष 2014–21 की अवधि में मेजा जिरगो लिंक नहर से कोई अतिरिक्त जल प्राप्त नहीं हुआ था। अतः हर्रई नहर प्रणाली को बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।

मेजा जिरगो लिंक नहर से हर्रई नहर प्रणाली में जल को प्रवाहित करने के लिये लिंक नहर की अनुपलब्धता को नीचे दिए गए छायाचित्र में दर्शाया गया है :



राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर में बताया गया (जुलाई 2022) कि हर्रई नहर को जल की आपूर्ति करने के लिए सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2018 तक पूरा हो गया था और नहर चालू हो गयी थी। शासन के उत्तर के साथ संलग्न ठेकेदार का बिल, हर्रई नहर पर हेड रेगुलेटर के निर्माण से संबंधित था जिसमें लिंक नहर का निर्माण शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, हर्रई नहर में अतिरिक्त जल निर्गत करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई डेटा भी प्रदान नहीं किया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि हर्रई नहर वास्तव में मेजा जिरगो लिंक नहर से जल प्राप्त कर रही थी।

² पीपीए: प्रोपोज्ड प्रोटोकोड एरिया।

- मीरजापुर जनपद के 8,016 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु खजुरी नदी से लोअर खजुरी नहर प्रणाली निकलती है। बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत 416 मिलियन घन फीट अतिरिक्त जल को खजुरी नदी में ले जाने के लिए मेजा जिरगो लिंक नहर के किमी 45.950 पर हेड रेगुलेटर का निर्माण किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा को हेड रेगुलेटर और नदी के बीच जल ले जाने हेतु चैनल के निर्माण के संबंध में खंड के अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं मिला। मार्च 2021 में किए गए संयुक्त स्थल निरीक्षण के समय यह पुष्टि हुई कि हेड रेगुलेटर को किसी लिंक चैनल के माध्यम से नदी से नहीं जोड़ा गया था जैसाकि नीचे छायाचित्र में दर्शया गया है :



हेड रेगुलेटर को नदी से जोड़े बिना, मेजा जिरगो लिंक नहर से नदी में जल को प्रवाहित करना संभव नहीं था। संयुक्त स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित किसानों द्वारा भी पुष्टि की गयी कि कोई लिंक चैनल नहीं बनायी गयी थी।

बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सघनता के सृजन हेतु कुल लक्षित 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेजा जिरगो लिंक नहर के कमाण्ड का 55,385 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी सम्मिलित था। इसमें से, चार नहर प्रणालियों³ के माध्यम से 30,411 हेक्टेयर क्षेत्रफल (55 प्रतिशत) में सिंचाई सघनता, बाणसागर नहर परियोजना के चालू होने तथा इस पर ₹ 3,419.37 करोड़ रुपये व्यय होने के बाद भी सृजित नहीं हुई।

राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर में बताया गया (जुलाई 2022) कि लोअर खजुरी डैम में जल छोड़ने के लिए लिंक नहर का निर्माण जून 2021 में किया गया था। यद्यपि शासन ने नवनिर्मित लिंक नहर के माध्यम से लोअर खजूरी डैम में बाणसागर नहर परियोजना से जल छोड़े जाने के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

³ हर्रई नहर प्रणाली: 1728 हेक्टेयर; लोअर खजुरी नहर प्रणाली: 2572 हेक्टेयर; गरई नहर प्रणाली: 12301 हेक्टेयर तथा जिरगो नहर प्रणाली: 13810 हेक्टेयर।

4-3 i fj; kstuk ds cfrQy

दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना—वार अपेक्षित प्राप्तियों का विवरण rkfydk 4-2 में दिया गया है।

rkfydk 4-2% ck.kl kxj ugj i fj; kstuk v{kj ygpjk M& i fj; kstuk ei fuèkffj r y{:;

ck.kl kxj ugj i fj; kstuk	ygpjk M& i fj; kstuk		
y{:	mi yfcek; ka		
<i>vis{kr ckflr; ka % ugj c. kkyh ei ty dh mi ycekkr eis of)</i>			
बाणसागर डैम से 34,008 ⁴ मिलियन घन फीट जल लाकर मौजूदा नौ नहर प्रणालियों में 22,495 मिलियन घन फीट अतिरिक्त जल प्रदान किया जाना था।	वर्ष 2017–21 के मध्य मात्र पांच से नौ प्रतिशत तक जल प्राप्त हुआ था।		
<i>vis{kr ckflr; ka % fl pkbz dh / ?urk dk / tu</i>			
कुल 3.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सघनता के सुजन हेतु 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई सघनता सृजित की जानी थी जिसमें रबी में 0.89 लाख हेक्टेयर और खरीफ में 0.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल समिलित था (बाणसागर नहर परियोजना चालू होने से पूर्व रबीरु 1.03 लाख हेक्टेयर और खरीफ 0.94 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष बाणसागर नहर परियोजना के चालू होने के बाद रबीरु 1.92 लाख हेक्टेयर और खरीफरु 1.55 लाख हेक्टेयर)	बाणसागर नहर परियोजना चालू होने के बाद मात्र 2.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही सिंचाई सघनता प्राप्त हुई (रबीरु 1.08 लाख हेक्टेयर और खरीफरु 1.05 लाख हेक्टेयर)।	रबी फसल में 31910 सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त खरीफ में 14575 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई सघनता सृजित की जानी थी।	रबी में 13692 हेक्टेयर से लेकर 30923 हेक्टेयर तक (43 से 97 प्रतिशत तथा खरीफ में 455 से लेकर 2153 हेक्टेयर तक (तीन से 15 प्रतिशत तक) सिंचाई सघनता सृजित की जानी प्राप्त की गयी खरीफ—2016–17 में कोई सिंचाई नहीं की गई।
<i>vis{kr ckflr; ka % QI y i)fr ei ifjoru</i>			
फसल क्षेत्र को रबी में 83 प्रतिशत तक और खरीफ में 67 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, जबकि मौजूदा फसल क्षेत्र क्रमशः 44 प्रतिशत और 41 प्रतिशत था।	रबी और खरीफ में फसल क्षेत्र को क्रमशः 46 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तक ही बढ़ाया गया था।	परियोजना में 0.15 लाख हेक्टेयर में धान की खेती किये जाने के संबंध में परिकल्पना की गई थी जिसे पहले नहीं बोया गया था।	खरीफ मौसम के दौरान धान की खेती किये जाने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
इसके अलावा, बाणसागर नहर परियोजना के पूर्ण होने के बाद तिलहन और मटर की खेती के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ 17,150 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी एक अतिरिक्त फसल के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जैसा कि आगे तालिका 4.3 में विस्तार से बताया गया है।	तिलहन, मटर और सब्जियों के फसल के क्षेत्रफल के संबंध में आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये		

(स्रोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

⁴ नहर मार्ग में होने वाले नुकसान और वाष्पीकरण के नुकसान के अतिरिक्त पेयजल हेतु उपयोग (200 मिलियन घन फीट) के कारण अन्तर (34,008 मिलियन घन फीट – 22,495 मिलियन घन फीट) था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बुआई क्षेत्र में परिवर्तन, रबी और खरीफ की विभिन्न फसलों की उत्पादकता में सुधार तथा अनाज के अतिरिक्त उत्पादन को भी इन सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करने के पश्चात प्राप्त करने हेतु लक्षित किया गया था जैसाकि rkfydk 4-3 में वर्णित है।

rkfydk 4-3% cpkbz {ks=] mRi kndrk vkg mRi knu ds vupekfur y{;

i fj ; kst uk dk uke	QI y dk uke	cpkbz dk {ks=Qy kgDV\$ j%		mRi kndrk %dlyry çfr gDV\$ j%		mRi knu %dlyry%	
		i fj ; kst uk l s i gys	i fj ; kst uk ds ckn	i fj ; kst uk l s i gys	i fj ; kst uk ds ckn	i fj ; kst uk l s i gys	i fj ; kst uk ds ckn
रबी							
गेहूं	21573	21573	15	40	323595	862920	
चना	13999	13999	09	18	125991	251982	
तिलहन	36594	21581	08	15	292752	323715	
मटर	17150	15013	08	15	137200	225195	
सब्जियाँ	उपलब्ध नहीं	17150	00	250	उपलब्ध नहीं	4287500	
खरीफ							
मक्का	40867	40867	15	23	613005	939941	
दाल	19949	19949	09	16	179541	319184	
रबी							
गेहूं	11557	19146	35	35	404495	670110	
चना	12764	12764	20	20	255280	255280	
खरीफ							
ज्वार	1650	उपलब्ध नहीं	15	उपलब्ध नहीं	24750	उपलब्ध नहीं	
धान	उपलब्ध नहीं	14575	00	40	उपलब्ध नहीं	583000	

(झोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि सभी मापदंडों में उपलब्धियां कम थीं, जैसाकि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है :

4-4 ty dh mi yCekrk ei of)

दोनों चयनित सिंचाई परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य नहर प्रणाली में जल की उपलब्धता को बढ़ाना था जिसे बाणसागर नहर परियोजना में जल की आपूर्ति को बढ़ाकर तथा धसान नहर प्रणाली में जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाकर प्राप्त किया जाना था।

4-4-1 ck.kl kxj ugj i fj ; kst uk %mUkj çns k% e% ty dh mi yCekrk

बाणसागर नहर परियोजना में, मध्य प्रदेश में स्थित बाणसागर बांध से प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 28 मई (240 दिन) के दौरान 141.70 मिलियन घन फीट प्रति दिन⁵ की

⁵ 1,640 क्यूसेक X 24 घंटे (यानि 86400 सेकेंड) = 141.70 मिलियन घन फीट प्रति दिन।

दर से 34,008 मिलियन घन फीट जल प्राप्त किया जाना था। परियोजना में प्राप्त जल को दो डैम यथा अदवा डैम और मेजा डैम में प्रवाहित किया जाना था तत्पश्चात् इन दो बांधों से नौ नहर प्रणालियों को जल उपलब्ध कराया जाना था जिससे इन नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

उत्तर प्रदेश के हिस्से के जल (34008 मिलियन घन फीट) को लाने के लिए, बाणसागर परियोजना में बाणसागर डैम, संयुक्त जलवाहिनी, संयुक्त पोषक नहर, बाणसागर पोषक नहर, इत्यादि संरचनाएं बनायी गयीं। यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में, बाणसागर डैम से मात्र 1,680 से 2,921 मिलियन घन फीट (पांच से नौ प्रतिशत) जल ही प्राप्त हुआ था जैसाकि rkfydk 4-4 में वर्णित है।

rkfydk 4-4% ck.kl kxj M& I s ty dh ckflr

%ty dh ek=k fefy; u ?ku QhV e%

o"kl	ck.kl kxj M& I s NkM& tkus okys ty dh ek=k	ty dh ek=k ftl ds fy, ekox dh xbz %LrEHk 2 dk çfr' kr%z	ty dh vki frz %LrEHk 2 dk çfr' kr%z	ekox ds I ki \$k deh %LrEHk 3& 4%@ LrEHk 3 dk çfr' kr%z
1	2	3	4	5
2017–18	34008	6791 (20)	2824 (08)	3967 (58)
2018–19	34008	5782 (17)	2921 (09)	2861 (49)
2019–20	34008	उपलब्ध नहीं	1680 (05)	उपलब्ध नहीं
2020–21	34008	16476 (48)	2458 (07)	14018 (85)

(स्रोत: अधीक्षण अभियंता, द्वितीय मंडल, बाणसागर नहर परियोजना, मीरजापुर)

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने उत्तर प्रदेश के हिस्से के जल अर्थात् 34,008 मिलियन घन फीट की तुलना में वर्ष 2017–21 की अवधि में 5,782 से 16,476 मिलियन घन फीट के बीच जल की कम मांग की। अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने बताया (अगस्त 2021) कि वर्ष 2018–21 के दौरान वर्षा के कारण, नहर प्रणाली में जल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मांग प्रेषित की गयी।

यद्यपि, अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने उन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जिनके आधार पर जल की मात्रा की मांग की गणना की गई थी। अग्रेतर, जैसाकि प्रस्तर 4.4.3 में वर्णित है, नहरों से खेत तक जल की आपूर्ति कम थी जो स्पष्ट रूप से जल की अपर्याप्त मांग को इंगित करता है।

अतः अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने निर्धारित हिस्से के अनुसार बाणसागर डैम से जल छोड़े जाने की मांग नहीं की। हालांकि, बाणसागर नहर परियोजना को बाणसागर डैम से जल की कम मांगी गयी मात्रा भी प्राप्त नहीं हो रही थी जबकि बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बाणसागर डैम, संयुक्त जलवाहिनी, संयुक्त पोषक नहर के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 517.56 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया था। चूंकि बाणसागर डैम से उत्तर प्रदेश के हिस्से का केवल पांच से नौ प्रतिशत

जल ही प्राप्त हुआ था, अतः बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2022) कि बाणसागर डैम से 1,640 क्यूसेक जल प्राप्त किया जाना था जिसके लिए बार-बार मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा, मध्य प्रदेश को बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) के प्राधिकारियों द्वारा तथा प्रमुख अभियंता (परियोजना), लखनऊ द्वारा भी मांग प्रस्तुत की गयी थी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अपने दावे के समर्थन में दिए गए साक्ष्य (सितंबर 2022) से ज्ञात हुआ कि अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने वर्ष 2021–22 के दौरान मात्र 5,791 मिलियन घन फीट जल छोड़े जाने का अनुरोध किया था। जल की मांग में मात्र 13 दिनों के लिए 1,640 क्यूसेक जल सम्मिलित था तथा वर्ष 2021–22 के शेष दिनों के लिए जल की मांग 200 से 1500 क्यूसेक के बीच थी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक रूप से प्राप्त जल की मात्रा के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की।

4-4-2 èkl ku ugj ç.kkyh ei ty dh mi yCekrk

रबी फसल की अवधि में आवश्यकता के सापेक्ष कम जल छोड़े जाने का प्रकरण धसान नहर प्रणाली में पाया गया जैसाकि तालिका 4.5 में वर्णित है।

rkfydk 4-5% ygpjk ckèk l s èkl ku ugj ç.kkyh ei NkMk x; k ty

o"kl	kgDVj e			fefy; u ?ku ehVj e		
	I h-I h-, -	yf{kr {k=Qy	f fpr {k=Qy	f fpr {k=Qy ds I ki sk vi f{kr ty ⁶	okLro e èkl ku ugj ç.kkyh ei NkMk x; s ty dh ek=k	ty dh mi yCekrk ei deh %LrEHk 5&LrEHk 6%@%cfr' kr%
1	2	3	4	5	6	7
2014–15	97169	31910	14652	103	68.37	35 (34)
2015–16	97169	31910	13692	97	42.21	54 (56)
2016–17	97169	31910	28820	203	108.27	95 (47)
2017–18	97169	31910	17509	123	46.58	77 (62)
2018–19	97169	31910	28726	202	64.90	138 (68)
2019.20	97169	31910	30923	218	169.03	49 (22)
2020.21	97169	31910	27004	190	64.20	126 (66)

(झोत: धसान नहर प्रणाली के चयनित खंड)

rkfydk 4-5 से यह स्पष्ट है कि आवश्यकता के अनुसार धसान नहर प्रणाली में जल नहीं छोड़ा गया तथा वर्ष 2014–15 से 2020–21 के मध्य यह कमी 22 से 68 प्रतिशत तक थी। इस प्रकार, वर्ष 2015–21 के दौरान सिंचित सी.सी.ए. को आवश्यकता से कम

⁶ परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रबी फसल के लिए 15 एकड़ क्षेत्रफल के लिए एक मिलियन घन फीट जल के निर्धारित मानक के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा आंकित।

जल प्रदान किया गया। जल की उपरोक्त कमी 31,910 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्रफल के सापेक्ष वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल के लिए थी। लक्षित क्षेत्रफल 31,910 हेक्टेयर के लिए जल की कमी और भी अधिक (25 से 81 प्रतिशत) थी। अधिशासी अभियंता, सपरार खंड, झाँसी ने धसान नहर में जल की कम आपूर्ति के लिए लहचुरा बांध में जल की कम उपलब्धता को कारण बताया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि लहचुरा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद से केवल वर्ष 2017–18 को छोड़कर, वर्ष 2016–21 के मध्य धसान नहर प्रणाली में रबी फसल के 31,910 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त जल छोड़ा गया था, वर्ष 2017–18 में धसान नदी से जल कम प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि लहचुरा बांध के मूल परियोजना प्रतिवेदन में 31,910 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 5,758 मिलियन घन फीट जल की आवश्यकता दी गई थी जो कि व्यावहारिक नहीं है और इसलिए गलत है।

इस प्रकार राज्य सरकार ने स्वयं अपने विभाग द्वारा तैयार की गई और शासन द्वारा अनुमोदित की गयी लहचुरा बांध परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आगणित जल की आवश्यकता की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। यद्यपि उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बाद के संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रबी और खरीफ मौसम में क्षेत्र के लिए जल की आवश्यकता को संशोधित नहीं किया था।

अग्रेतर, बाणसागर नहर परियोजना की डीपीआर में भी 13 एकड़ प्रति मिलियन घन फीट जल की आवश्यकता का आकलन लहचुरा बांध परियोजना के 15 एकड़ प्रति मिलियन घन फीट के समान ही प्रावधान किया गया था। अतः डीपीआर के अनुमानों का खंडन करने के बजाय, राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष धसान नहर प्रणाली को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के उपाय करने चाहिए।

4-4-3 ugjka I s [krk] e ty dh vki fr]

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास प्रत्येक नहर से खेतों में छोड़े गए जल की मात्रा के संबंध में कोई आँकड़ा नहीं था। इस प्रकार, आवश्यकता के सापेक्ष खेतों में छोड़ी गयी जल की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका। अतः लेखापरीक्षा द्वारा, नहरों के संचालन की अवधि के दौरान, 29 नहरों (बाणसागर नहर परियोजना : 23 नहरों तथा धसान नहर प्रणाली : छह नहरों) के संबंध में जल की आपूर्ति⁷ की गणना की गयी। यह देखा गया कि बाणसागर नहर परियोजना में, 18 नहरों में रबी फसलों के दौरान तथा 12 नहरों में खरीफ फसलों के दौरान जल की आपूर्ति कम थी।

⁷ पूर्ण आपूर्ति स्तर पर नहर में जल के प्रवाह को मानते हुए।

इन नहरों के द्वारा, डीपीआर⁸ में निर्धारित 21 इंच⁹ की तुलना में, रबी फसलों में केवल एक से 15 इंच जल तथा खरीफ फसलों में केवल तीन से 16 इंच जल ही $\frac{1}{2} f'f'k''V&4-1 \frac{1}{2}$ प्रवाहित कर सकी थीं। इसी तरह, धसान नहर प्रणाली के नमूना जांच की गई छह नहरों से, रबी फसलों के लिए वांछित 18 इंच¹⁰ जल के सापेक्ष मात्र तीन से 15 इंच जल ही खेतों को प्रदान किया जा सका था $\frac{1}{2} f'f'k''V&4-1 \frac{1}{2}$

अग्रेतर, बाणसागर नहर परियोजना की नमूना जांच की गयी 23 नहरों में से चार से 13 नहरों (17 से 57 प्रतिशत) और धसान नहर प्रणाली में नमूना जांच की गयी छह नहरों में से चार से पांच नहरों (67 से 83 प्रतिशत) के टेल तक जल नहीं पहुँचा $\frac{1}{2} f'f'k''V&4-2\frac{1}{2}$ । यह भी देखा गया कि 44 नहरों, जिन्हें जल के अतिरिक्त प्रवाह को ले जाने के लिए पुनर्रचित किया गया था, उसमें से चार नहरों के टेल तक जल नहीं पहुँचा। इस प्रकार, जैसाकि प्रस्तर 2.2.3 में चर्चा की गई है, 1,851 किमी नहरों में से मात्र 468 किमी नहरों को ही अतिरिक्त जल ले जाने के लिए पुनर्रचित किया गया था तथा इन पुनर्रचित नहरों में भी टेल तक जल न पहुँचने की समस्या आयी। उक्त संख्या में नहरों के टेल तक जल न पहुँचना, स्रोत पर जल की कम उपलब्धता की ओर इंगित करता है, जैसाकि प्रस्तर 4.4.1 और 4.4.2 में चर्चा की गई है।

4-5 ugj k dk de vofek ei | pkyu

अधिकतम उत्पादन के लिए खेत में समय पर जल की आपूर्ति महत्वपूर्ण है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित मानकों के अनुसार, रबी फसलों को पांच महीने की फसल अवधि (11 अक्टूबर से 10 मार्च) के दौरान चरणों में जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, खरीफ फसलों को चार महीने की फसल अवधि (01 जून से 30 सितंबर) के दौरान चरणों में जल की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों की 413 नहरों¹¹ में से, विभाग द्वारा वर्ष 2014–21 (रबी मौसम) के दौरान केवल 162 से 403 नहरों के संचालन के लिए ही रोस्टर तैयार किया गया और वह भी पूरी फसल अवधि के लिए नहीं था जैसाकि rkfydk 4-6 में वर्णन किया गया।

⁸ बाणसागर नहर परियोजना के डीपीआर में निर्धारित मानक के अनुसार 65,598 मिलियन घन फीट जल की मात्रा 3.47 लाख हेक्टेयर (8.58 लाख एकड़) कुल सिंचाई सघनता के लिए आवश्यक थी। अतः 13 एकड़ के लिए एक मिलियन घन फीट जल की आवश्यकता होगी।

⁹ गेहूँ फसल के लिए जल की आवश्यकता (23 इंच), चना (20 इंच), तिलहन (18 इंच) तथा सब्जियाँ (22 इंच), रबी फसल के लिए औसतन 21 इंच। इसी प्रकार, धान फसल के लिए जल की आवश्यकता (32 इंच), मक्का (आठ इंच) और दलहन (20 इंच), खरीफ फसल के लिए औसतन 21 इंच।

¹⁰ धसान नहर प्रणाली के डीपीआर में 15 एकड़ क्षेत्रफल के लिए एक मिलियन घन फीट जल की मात्रा निर्धारित की गयी है।

¹¹ मुख्य नहर, शाखा नहर, रस्जवाहे एवं अल्पिकाओं सहित।

rkfydळ 4-6% ck.kl kxj ugj i fj; kstuk eळ jch QI y ds nk्य ku
ugj kळ dk de vofek eळ l pkyu

o"kl	ugj kळ dh dly l aळ; k	l pkfyr ugj kळ dh dly l aळ; k	vofek ftl nk्य ku ugj eळ pyk; h x; h				
			, d ekg	nks ekg	rhu ekg	pkj ekg	i kp ekg
1	2	3	4	5	6	7	8
2014–15	413	403	36	00	129	00	238
2015–16	413	162	00	00	70	00	92
2016–17	413	376	00	10	72	56	238
2017–18	413	403	03	92	37	33	238
2018–19	413	403	00	36	03	126	238
2019–20	413	403	00	00	76	181	146
2020–21	413	403	00	00	76	181	146
; kx	2891	2553	39	138	463	577	1344

(स्रोत: बाणसागर नहर परियोजना के चयनित खंड)

यद्यपि, बाणसागर नहर परियोजना के जुलाई 2018 में चालू होने के बाद नहर संचालन में सुधार हुआ था, फिर भी रबी की पूरी फसल अवधि के दौरान केवल 46 प्रतिशत नहरें¹² ही संचालित की जा सकी थीं तथा शेष नहरों को कुल पांच महीने की फसल अवधि के सापेक्ष केवल एक से चार महीने ही संचालित किया जा सका।

इसी तरह, धसान नहर प्रणाली में, विभाग द्वारा 88 नहरों में से वर्ष 2014–21 (रबी मौसम) अवधि के दौरान 54 से 64 नहरों को संचालित करने की योजना बनाई गयी थी। इसके सापेक्ष किसी भी नहर को दो महीने फसल अवधि से अधिक संचालित नहीं किया जा सका जिसके कारण कमाण्ड क्षेत्र में नहर के जल की आपूर्ति में भारी कमी हुई। वर्ष–वार विवरण rkfydk 4-7 में दिया गया है।

rkfydk 4-7% ekl ku ugj c. kkyh eळ ugj kळ dk de vofek eळ l pkyu

o"kl	ugj kळ dh dly l aळ; k	l pkfyr ugj kळ dh dly l aळ; k	vofek ftl nk्य ku ugj eळ pyk; h x; h				
			, d ekg	nks ekg	rhu ekg	pkj ekg	i kp ekg
1	2	3	4	5	6	7	8
2014–15	88	58	58	00	00	00	00
2015–16	88	54	32	22	00	00	00
2016–17	88	64	14	50	00	00	00
2017–18	88	54	54	00	00	00	00
2018–19	88	64	14	50	00	00	00
2019–20	88	63	00	63	00	00	00
2020–21	88	63	15	48	00	00	00

(स्रोत: धसान नहर प्रणाली के जाँच किये गए खंड)

¹² स्तम्भ 8 को स्तम्भ 2 से विभाजित किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कृषि विभाग से परामर्श कर नहरों के संचालन हेतु रोस्टर तैयार किए गए थे। रबी में पांच महीने की फसल अवधि के विरुद्ध केवल पहले दो महीने के दौरान ही नहरों के संचालन के कारण खेतों को नहर से सिंचाई, फसल की परिपक्वता अवधि तक, प्रदान नहीं की गयी थी जिससे कारण फसल खराब हो सकती थी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कम परिपक्वता अवधि वाली फसलों की किस्मों को उगाने की सलाह दी जा सकती थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा को कृषि विभाग (जिला कृषि कार्यालयों) के अभिलेखों में, कमाण्ड क्षेत्र में नहरों से जल की उपलब्धता के अनुसार, फसलों की बुवाई के संबंध में किसानों को निर्देश जारी किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

राज्य सरकार द्वारा बाणसागर नहर परियोजना में कम अवधि के लिए नहरों के संचालन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। धसान नहर प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि धसान नहर प्रणाली की कुल 88 नहरों में से 64 नहरें चल रही थीं और नहरों के टेल तक जल पहुँचाया गया था। शासन द्वारा अग्रेतर कहा गया कि शेष 24 नहरों की पुनर्स्थापना का कार्य 2026 तक यू.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. परियोजना के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रस्ताव था, जिसके पश्चात सभी 88 नहरों का संचालन किया जा सकेगा। शासन ने अग्रेतर बताया कि धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में, रबी मौसम के दौरान औसतन 50 प्रतिशत क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है और 50 प्रतिशत क्षेत्र में मटर, चना और अन्य रबी फसलों की बुवाई की जाती है। शासन द्वारा यह कहा गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार, गेहूं के लिए अधिकतम चार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है और मटर तथा चना जैसी अन्य रबी फसलों के लिए अधिकतम दो बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो धसान नहर प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा, कम अवधि के लिए नहरों के संचालन के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण मान्य नहीं है, क्योंकि पूरी फसल अवधि (अक्टूबर से मार्च) के दौरान फसल बढ़ने के समय विभिन्न चरणों में जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यद्यपि, नहरों को फसल अवधि के पहले दो महीनों के दौरान ही चलाया गया था, जो इंगित करता है कि खेत तक जल की आपूर्ति फसल की परिपक्वता अवधि तक नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, लहचुरा डैम परियोजना के पूरा होने के बाद भी किसानों की रबी की फसलों के लिए जल की आवश्यकता को नहर प्रणाली के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सका था।

4-6 fl pkbz | ?kurk ei of)

4-6-1 ck.kl kxj ugj i fj ; kst uk /mÙkj çns khl ei fl pkbz ds y{; k dh çkfir


प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों में, बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों के अंतर्गत 1,97,222 हेक्टेयर (रबी: 1,03,196 हेक्टेयर ; खरीफ: 94,026 हेक्टेयर) की मौजूदा सिंचाई सघनता के अतिरिक्त 1,50,132 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सघनता (रबी: 89,316 हेक्टेयर; खरीफ: 60,816 हेक्टेयर) सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था।

इस प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना के आरंभ होने के बाद 2,32,441 हेक्टेयर सीसीए में 3,47,354 हेक्टेयर सिंचाई संघनता (रबी: 1,92,512 हेक्टेयर ; खरीफ़: 1,54,842 हेक्टेयर) प्राप्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा में, यद्यपि, पाया गया कि परियोजना के पूर्व की अवधि के सापेक्ष परियोजना के बाद की अवधि में भी सिंचाई की संघनता लगभग समान रही, जैसा कि *pkVl 4-1* तथा *pkVl 4-2* में दर्शाया गया है।


pkVl 4-1% j ch e॥ fl pkbl dh | ?kurk

(लक्ष्य एवं उपलब्ध हेक्टेयर में)



pkVl 4-2% [kjhQ e॥ cI pkA dh | ?kurk

(लक्ष्य एवं उपलब्ध हेक्टेयर में)



परिणामस्वरूप, बाणसागर नहर परियोजना का संचालन आरम्भ होने के बाद सिंचाई संघनता (रबी: 83 प्रतिशत और खरीफ़: 67 प्रतिशत) में लक्षित वृद्धि प्राप्त नहीं की जा

सकी तथा सिंचाई सघनता के सृजन में रबी में 44 से 45 प्रतिशत तक और खरीफ में 32 से 33 प्रतिशत तक की कमी थी। सिंचाई सघनता के संबंध में इसी तरह की प्रवृत्ति नौ नहर प्रणालियों में देखी गई, जैसाकि *i f/f' k/V&4.3* में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि बाणसागर नहर परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्ष 2020–21 में सिंचाई के आच्छादन को रबी में 1.29 लाख हेक्टेयर तथा खरीफ में 1.24 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों से सम्बंधित खंडों के अभिलेखों से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2020–21 में सिंचाई का आच्छादन रबी में 1.08 लाख हेक्टेयर तथा खरीफ में 1.05 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना के आरम्भ होने के पश्चात रबी हेतु सिंचाई सघनता का लक्ष्य 1.93 लाख हेक्टेयर और खरीफ हेतु सिंचाई सघनता का लक्ष्य 1.55 लाख हेक्टेयर अप्राप्त रहा। जबकि वर्ष 2017–18 से 2020–21 के मध्य सिंचाई सघनता में मामूली वृद्धि (चार प्रतिशत) हुई।

4-6-2 ekl ku ugj c.kkyh e fl pkbz ds y{; k dh ckflr

लहचुरा डैम के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विभाग ने धसान नहर प्रणाली के कुल कमाण्ड क्षेत्र 97,169 हेक्टेयर में से रबी के अन्तर्गत 31,910 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) और खरीफ के अंतर्गत 14,575 हेक्टेयर (15 प्रतिशत) की नहर से सिंचाई का प्रस्ताव रखा था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31,910 हेक्टेयर के प्रस्तावित क्षेत्रफल के सापेक्ष वास्तविक सिंचाई रबी फसल में 43 से 97 प्रतिशत तक और खरीफ फसल के दौरान तीन से 15 प्रतिशत के बीच थी। विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है।

rkfydk 4-8% /kl ku ugj c.kkyh ds vr xl j ch vkj [kj hQ e fl pkbz dk
fooj .k

kgDV\$ j e

O"kl	j ch			[kj hQ		
	i hi h,	okLrfod fl pkbz	deh %i fr' kr%	i hi h,	okLrfod fl pkbz	deh %i fr' kr%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014-15	31910	14652	17258 (54)	शून्य *	2830	लागू नहीं
2015-16	31910	13692	18218 (57)	14575	1556	13019 (89)
2016-17	31910	28820	3090 (10)	14575	00	14575 (100)
2017-18	31910	17509	14401 (45)	14575	455	14120 (97)
2018-19	31910	28726	3184 (10)	14575	856	13719 (94)
2019-20	31910	30923	987 (3)	14575	1348	13227 (91)
2020-21	31910	27004	4906 (15)	14575	2153	12422 (85)

(स्रोत: धसान नहर प्रणाली के नमूना चयनित खंड)

*परियोजना मार्च 2015 में पूर्ण हुई थी, इसलिए लक्षित सीसीए को शून्य लिया गया है।

विभाग 2018–19 के बाद से रबी फसल में नहर से कम सिंचाई की स्थिति में सुधार कर सका। यद्यपि, जैसाकि प्रस्तर 4.5 में चर्चा की गई है, धसान नहर प्रणाली की कोई भी नहर दो महीने की फसल अवधि से अधिक संचालित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सिंचित क्षेत्र को आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, खरीफ के संबंध में, सिंचाई के लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा अंतर था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि मार्च 2015 में लहचुरा डैम परियोजना के पूर्ण होने के बाद, 2016 के रबी मौसम से धसान नहर प्रणाली को पूरी क्षमता से चलाना संभव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016–17, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान रबी मौसम के लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया। जबकि वर्ष 2017–18 में धसान नदी में कम अंतर्वाह होने के कारण रबी के प्रस्तावित लक्ष्य को आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका। राज्य सरकार ने यह भी उत्तर दिया कि वर्ष 2016–17 से 2020–21 के बीच खरीफ के सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी।

तथ्य यथावत था कि खरीफ में नहर से सिंचाई की उपलब्धि नगण्य थी क्योंकि यह लक्षित सीसीए का तीन से 15 प्रतिशत ही थी। अग्रेतर, रबी के संबंध में, अक्टूबर से मार्च तक के पूर्ण फसली मौसम में नहर का संचालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, धसान नहर प्रणाली के निर्माण के 100 से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, लक्षित सीसीए में नहर से सिंचाई की सुविधा को 31,910 हेक्टेयर से अधिक नहीं बढ़ाया जा सका, जिसके चलते 65,259 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसान नहर से सिंचाई की सुविधा से वंचित रहे। इसलिए, जिन परिस्थितियों के अंतर्गत, पर्याप्त व्यय किये जाने तथा समय बीत जाने के बाद भी नहर प्रणाली के 67 प्रतिशत से अधिक कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं हो सका, उनका पता लगाया जाना चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

4-7 mRi kndrk vkj mRi knu e of)

नहर प्रणाली में जल की आपूर्ति में वृद्धि तथा अतिरिक्त सिंचाई सघनता के सृजन के साथ ही दोनों चयनित परियोजनाओं द्वारा फसलों की उच्च उत्पादकता और अतिरिक्त उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया था। बाणसागर नहर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में, नौ नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र में, अनाज की उत्पादकता¹³ को बढ़ाकर 11.32 लाख कुन्तल अतिरिक्त अनाज¹⁴ के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी। धसान नहर प्रणाली में, लहचुरा और पहाड़ी डैम के आधुनिकीकरण के बाद, 8.24 लाख कुन्तल अनाज¹⁵ का अतिरिक्त उत्पादन परिकल्पित था।

¹³ गेहूँ: 15 कुन्तल/हेक्टेयर से 40 कुन्तल/हेक्टेयर; चना: 9 कुन्तल/हेक्टेयर से 18 कुन्तल/हेक्टेयर; मक्का: 15 कुन्तल/हेक्टेयर से 23 कुन्तल/हेक्टेयर तथा दलहन: 9 कुन्तल/हेक्टेयर से 16 कुन्तल/हेक्टेयर।

¹⁴ गेहूँ: 5.39 लाख कुन्तल; चना: 1.26 लाख कुन्तल; मक्का: 3.27 लाख कुन्तल तथा दलहन: 1.40 लाख कुन्तल। इसके अलावा बाणसागर नहर परियोजना में 17,150 हेक्टेयर में सब्जियों के फसल प्रस्तावित थे।

¹⁵ गेहूँ: 2.66 लाख कुन्तल तथा धान: 5.83 लाख कुन्तल; इसके अलावा परियोजना से पूर्व के ज्वार के उत्पादन (0.25 लाख कुन्तल) को परियोजना के बाद के लक्ष्य से बाहर रखा गया।

यद्यपि, बार—बार अनुरोध के बाद भी कृषि विभाग द्वारा बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये। तथापि, निदेशक कृषि (सांख्यिकी), कृषि विभाग ने बाणसागर नहर परियोजना के 90 चयनित गांवों में से 79 तथा धसान नहर प्रणाली के 29 चयनित गांवों में से 19 के संबंध में उत्पादन और उत्पादकता के सीमित आंकड़े ही उपलब्ध कराये। लेखापरीक्षा द्वारा, उत्पादन और उत्पादकता के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का पता लगाने के लिए, उत्पादन और उत्पादकता के इन आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

अग्रेतर, अन्य कृषि आदानों जैसे गुणवत्तापरक बीज, मृदा परीक्षण, उर्वरक, कृषि प्रत्यारोपण, किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आदि की समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, कृषि उत्पादकता और उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से हैं। इसे देखते हुए लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखों की नमूना जांच में किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति की स्थिति और विभाग द्वारा किसानों के खेत में मिटटी के परीक्षण का भी विश्लेषण किया गया है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

4-7-1 çekf.kr chtk dk forj .k

स्थायी टिकाऊ कृषि के लिए बीज एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि किसानों को गुणवत्तापरक बीज सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करायी जाये। किसानों को बीज का वितरण ब्लाक स्तर पर विभागीय दुकानों, बीज निगमों की दुकानों, सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। विभागीय दुकानों से बीज का वितरण रियायती दरों पर किया जाता है।

4-7-1-1 fd/ kuku dks çekf.kr chtk dh / hfer@foyfcr vki fr/

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बाण सागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के चार जनपदों में स्थित कमाण्ड क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासकीय बीज भण्डार से प्रमाणित बीजों की आपूर्ति नगण्य थी, जो बोये जाने वाले क्षेत्रफल के लिए बीज की कुल आवश्यकता के सापेक्ष, बाणसागर नहर परियोजना (मीरजापुर और प्रयागराज जनपद) में चार से 12 प्रतिशत और धसान नहर प्रणाली (हमीरपुर और महोबा जनपद) में एक से सात प्रतिशत तक थी जैसाकि $f/f'k''V&4-4 V$ में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए गांवों में बीजों की आपूर्ति भी असंतोषजनक थी, जो इन चयनित गांवों के कमाण्ड क्षेत्र के लिए बीज की आंकित आवश्यकता की तुलना में बाणसागर नहर परियोजना के गावों के लिए एक से सात प्रतिशत और धसान नहर प्रणाली के गावों के लिए दो से 17 प्रतिशत तक थी $V/f/f'k''V&4-4 C$ ।

कृषि विभाग द्वारा बीज भण्डारों को बीज की आपूर्ति के लिए समय—सीमा निर्धारित की गयी थी ताकि बुवाई की अवधि से पहले ही किसानों को यह उपलब्ध करायी जा सके। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार जनपदों के केंद्रीय भंडारों को बीज की

आपूर्ति 97 दिनों तक की देरी से की गई थी $\frac{1}{2} f/f'k"V&45 V\frac{1}{2}$ । इसके कारण ब्लाक स्तर के भंडारों पर, जहां से किसानों को बीज की आपूर्ति की जानी थी, बीज प्राप्त करने में और देरी हुई (बुवाई अवधि के पश्चात 250 दिनों तक) $\frac{1}{2} f/f'k"V&45 c\frac{1}{2}$ ।

लेखापरीक्षा ने निजी विक्रेताओं से बीजों की बिक्री के आंकड़े भी एकत्र किए और देखा कि निजी विक्रेताओं¹⁶ से बीजों का वितरण बाणसागर नहर परियोजना में 30 प्रतिशत से 85 प्रतिशत और धान नहर प्रणाली में 17 प्रतिशत से 41 प्रतिशत के बीच थी जैसाकि परिशिष्ट-4.4 अ में वर्णित है। अग्रेतर, 2014–21 के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी भण्डार पर आपूर्ति किए गए संपूर्ण बीज वितरित कर दिए गए थे। इस प्रकार, रियायती बीजों की सरकारी भण्डार से कम उपलब्धता के साथ–साथ देरी से उपलब्धता के कारण किसानों के पास, निर्धारित बुवाई अवधि को ध्यान में रखते हुए, महंगी दरों पर निजी विक्रेताओं से बीज खरीदने का एकमात्र विकल्प ही बचा था।

4-7-1-2 vup{kfl r fdLek ds vykok vll; chtk dk forj . k

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा अधिकतम उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए विशिष्ट किस्मों के बीजों की अनुसंशा की गयी थी। गेहूं के संबंध में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जनपदों, प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों के लिए क्रमशः 28, 30 और 30 किस्मों के बीजों की अनुसंशा की गयी थी। इसी प्रकार से धान के संबंध में बुंदेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों के लिए क्रमशः 17, 24 और 25 किस्मों के बीजों की अनुसंशा की गई थी, विवरण $f/f'k"V&4-6$ में दिया गया है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार जनपदों में, जिनमें दोनों चयनित सिंचाई परियोजनाएं अवस्थित हैं, गेहूं के मामले में सरकारी बीज भंडारों से अनुशंसित किस्मों के बीजों का वितरण केवल तीन से सात प्रतिशत के बीच था। धान के मामले में, अनुशंसित किस्म के बीजों के अलावा अन्य किस्म के बीज का वितरण 21 से 100 प्रतिशत के बीच था। जनपदवार विवरण rkfydk 4.9 में दिया गया है।

Rkfydk 4-9 % xj &vup{kfl r fdLek ds chtk dk forj . k

vidhy e

tui n dk uke	QI y	vofek 2014&21	
		forfjr cht dh dy ek=k	vll; fdLek ds chtk ds forj . k dh ek=k \cfr' kr\
ck.kl kxj ugj i fj ; ktuk mUkj cnk			
प्रयागराज	गेहूं	92588	87225(94)
	धान	21678	4478(21)
मीरजापुर	गेहूं	40835	39541(97)
	धान	6574	3176(48)

¹⁶ सहकारी, यूपी एग्रो, बीज विकास निगम, कृषको, आदि सहित।

tui n dk uke	QI y	vofek 2014&21	
		forfj r cht dh dly ek=k	vU; fdLek ds chtk ds forj .k dh ek=k %çfr' kr%
èkl ku ugy ç.kkyh			
हमीरपुर	गेहू	25252	23663(94)
	धान	68	63(93)
महोबा	गेहू	12322	11509(93)
	धान	17	17(100)

(झोत: नमूना जांच किए गए जनपदों के उप कृषि निदेशक)

अतः इन चारों जनपदों के किसान गेहूँ और धान के उपयुक्त किस्म के बीजों के वितरण से वंचित रहे।

राज्य सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4-7-2 enk ijh{k.k

मिटटी के पोषक स्तर और पीएच के स्तर की जांच सहित मिटटी के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने के लिए मृदा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर किसान, कृषि के लिए मिटटी में सुधार के लिए उचित प्रकार के उर्वरक और उसकी आवश्यक मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की, जिसके अंतर्गत किसान के खेतों के मृदा स्वास्थ्य का मूल्यांकन समय-समय पर किया जाना था जो तीन साल में कम से कम एक बार होना था। जनपदों और गांवों का चयन इस तरह किया जाना था कि हर तीन साल में प्रत्येक गांवों को आच्छादित किया जा सके। मृदा परीक्षण करने के बाद, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किए जाने थे जिसमें अलग-अलग खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की अनुशंसा की जानी थी।

मृदा परीक्षण में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

4-7-2-1 xke Lrj ij enk ijh{k.k c; kx'kkyk, aLFkkfi r u gkuk

मृदा परीक्षण में देरी को कम करने और किसानों के द्वार तक मिटटी परीक्षण की सुविधा पहुंचाने के लिए भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि बाणसागर नहर परियोजना तथा धसान नहर प्रणाली को आच्छादित करने वाले चार जनपदों में से किसी में भी ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की गई थीं।

4-7-2-2 vi; klr enk ijh{k.k

लेखापरीक्षा ने बाणसागर नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 90 चयनित गांवों और धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 29 चयनित गांवों में किए गए मृदा

परीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–21 के दौरान, बाणसागर नहर परियोजना के गांवों में से पांच गांवों (छह प्रतिशत) में एक बार भी मृदा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया था तथा 79 गांवों (88 प्रतिशत) में केवल एक बार मृदा परीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नहरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 383 किसानों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जिसमें 36 किसानों ने कहा कि उनके खेतों में मृदा परीक्षण किया गया था। इन 36 किसानों में से 27 किसानों ने कहा कि उन्हें मृदा परीक्षण के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए।

धसान नहर प्रणाली में, नमूना जांच किए गए 29 गांवों में से, 2014–21 के दौरान, तीन गांवों में मृदा परीक्षण नहीं किया गया था और महोबा जिले के एक गांव में केवल एक बार मृदा परीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा ने 128 किसानों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जिसमें 19 किसानों ने कहा कि उनके खेतों में मृदा परीक्षण किया गया था लेकिन इन 19 में से 12 किसानों ने कहा कि उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया था।

अग्रेतर, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 6.5 से अधिक पीएच मान वाली मिटटी के लिए बोरान के पैमाने पर मिटटी का विश्लेषण आवश्यक था। 6.5 से अधिक पीएच वाली मिटटी में बोरान की कमी फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालता है। लेखापरीक्षा ने प्रयागराज, मीरजापुर, महोबा और हमीरपुर के 101 गांवों, जहां मृदा परीक्षण किया गया था और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया था, के सभी 39,429 लाभार्थियों के मृदा स्वास्थ्य कार्डों की नमूना जांच की। यह देखा गया कि हमीरपुर, महोबा और मीरजापुर के 50 नमूना जांच किए गए गांवों में मृदा का पीएच मान 6.5 की निर्धारित सीमा से अधिक था, जिसके कारण इन गांवों में बोरान परीक्षण की आवश्यकता थी। तथापि, हमीरपुर (2019–21 के दौरान), महोबा (2015–17 के दौरान) और मीरजापुर (2015–21 के दौरान) में बोरान परीक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मृदा के स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए मृदा परीक्षण कार्य को तेज किया जाना था। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त मृदा परीक्षण के कारण, इससे होने वाले लाभों में से एक लाभ, खेती में उचित रासायनिक उर्वरक का उपयोग एवं समय पर इसकी सलाह, को प्राप्त नहीं किया जा सका।

4-8 mRi kndrk

लेखापरीक्षा ने देखा कि बाणसागर नहर परियोजना में चयनित गावों में गेहूं की 40 कुन्तल प्रति हेक्टेयर (बाणसागर परियोजना के पूर्व 15 कुन्तल प्रति हेक्टेयर) उत्पादकता के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2015–21 के दौरान उपलब्धि 5.49 से 46.30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के बीच रही। चने के मामले में 18 कुन्तल प्रति हेक्टेयर (बाणसागर परियोजना के पूर्व 9 कुन्तल प्रति हेक्टेयर) उत्पादकता के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2015–21 के दौरान उपलब्धि 2.44 से 18.69 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के बीच रही। विवरण rkfydk 4-10 में दिया गया है।

rkfydk 4-10% ck.kl kxj ugj i fj; kstuk es xg vky pus dh mRi kndrk dk fooj . k

o"kl	xg dh mRi kndrk %dly çfr gDV\$ j%					puk dh mRi kndrk %dly çfr gDV\$ j%				
	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çklr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çklr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk		
ck.kl kxj ugj i fj; kstuk ds i nol										
2015–16	15	79	5.49 से 29.25	37 से 195	9	15	2.44 से 7.65	27 से 85		
2016–17	15	79	11.93 से 35.69	80 से 238	9	15	5.44 से 13.48	60 से 150		
2017–18	15	79	11.84 से 40.90	79 से 273	9	15	4.87 से 17.14	54 से 190		
ck.kl kxj ugj i fj; kstuk ds i 'pkr										
2018–19	40	79	18.90 से 46.30	47 से 116	18	15	9.60 से 14.60	53 से 81		
2019–20	40	79	5.66 से 38.10	14 से 95	18	15	5.95 से 18.69	33 से 104		
2020–21	40	48	15.18 से 40.01	38 से 100	18	14	10.36 से 13.82	58 से 77		

(स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग से एकत्रित किए गए आंकड़े)

इस सम्बन्ध में आगे देखा गया कि जिन 79 गांवों¹⁷ के आंकड़ों का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया उनमें गेहूं की उत्पादकता का लक्ष्य (40 कुन्तल प्रति हेक्टेयर), 2017–18 में केवल दो नमूना जांच किए गए गांवों में (तीन प्रतिशत), 2018–19 में आठ गांवों में (दस प्रतिशत) तथा 2020–21 में एक गांव में (दो प्रतिशत) प्राप्त किया गया था। केवल एक गांव द्वारा वर्ष 2019–20 में उत्पादकता का प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

इसी प्रकार से, धसान नहर प्रणाली में वर्ष 2015–21 के दौरान गेहूं उत्पादन के लिए 35 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 5.80 से 46.59 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के बीच रही। विवरण rkfydk 4-11 में दिया गया।

rkfydk 4-11 èkl ku ugj ç. kkyh es xg vky pus dh mRi kndrk dk fooj . k

o"kl	xg dh mRi kndrk %dly çfr gDV\$ j%					puk dh mRi kndrk %dly çfr gDV\$ j%				
	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çklr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çklr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2015–16	35	19	5.80 से 25.44	17 से 73	20	16	0.31 से 7.93	2 से 40		
2016–17	35	19	21.07 से 41.83	60 से 120	20	16	8.26 से 13.93	41 से 70		
2017–18	35	19	19.05 से 46.59	54 से 133	20	16	5.03 से 19.20	25 से 96		
2018–19	35	19	15.30 से 41.10	44 से 118	20	16	5.07 से 16.31	25 से 82		
2019–20	35	19	26.14 से 44.10	75 से 126	20	16	5.98 से 18.97	30 से 95		
2020–21	35	09	29.91 से 44.60	85 से 127	20	15	8.44 से 15.18	42 से 76		

(स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग से एकत्रित किए गए आंकड़े)

¹⁷ 2020–21 में, गेहूं के संबंध में 48 गांवों और चना के संबंध में 14 गांवों का आंकड़ा उपलब्ध था।

आगे यह भी देखा गया कि 2015–21 की अवधि में गेहूं की छह फसलों में से उत्पादकता का लक्ष्य, वर्ष 2016–17 में केवल आठ नमूना जांच किए गए गांवों में (42 प्रतिशत), वर्ष 2017–18 में दस नमूना जांच किए गए गांवों में (53 प्रतिशत), वर्ष 2018–19 में ग्यारह नमूना जांच किए गए गांवों में (58 प्रतिशत), वर्ष 2019–20 में पंद्रह नमूना जांच किए गए गांव में (79 प्रतिशत) और वर्ष 2020–21 में चार नमूना जांच किए गए गांव (44 प्रतिशत) में प्राप्त किया गया था। चने के संबंध में, 20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष 2015–21 के दौरान चना का उत्पादन केवल 0.31 से 19.20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर था। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान केवल दो नमूना जांच किए गए गांवों में धान की फसल रोपित की गई थी। विवरण */f/f/k"V&4-7 V kf c* में दिया गया है।

4-9 mRi knu

बाणसागर नहर परियोजना में गेहूं (25 गांवों) और चना (नौ गांवों) के संबंध में उत्पादन¹⁸ के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 21 गांवों में, वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2020–21 में गेहूं का उत्पादन चार से 55 प्रतिशत तक कम हो गया था, जबकि, चार गांवों में गेहूं के उत्पादन में पांच से 43 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई थी। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए सभी नौ गांवों में वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2020–21 में चने का उत्पादन दो से 50 प्रतिशत तक कम हो गया था। अन्य फसलों जैसे मटर, तिलहन, सब्जी, मक्का और अरहर के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। धसान नहर प्रणाली में नमूना जांच किये गये गांवों में गेहूं एवं चना के उत्पादन में वृद्धि हुई। विवरण */f/f/k"V&4-8* में दिया गया है।


राज्य सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4-10 dek.M {k= dk fodkl

खेतों में नहर के जल का इष्टतम उपयोग, नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2015 में निर्गत कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कमाण्ड क्षेत्र विकास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ पक्की गुलों सहित कृषि विकास कार्यों का सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइन और निष्पादन शामिल है। कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम को 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को जल के अंतर्गत लागू किया गया है। सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम, स्प्रिकलर/ड्रिप/पिवोट्स सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने एवं सूक्ष्म सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीसीए के कम से कम 10 प्रतिशत को लक्षित करता है।

¹⁸ बाणसागर नहर परियोजना के 92 गांवों में से वर्ष 2018–19 और 2020–21 के लिये उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े केवल 25 गांवों (गेहूं) तथा 09 गांवों (चना) के संबंध में उपलब्ध थे।

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के समादेशन में कमाण्ड क्षेत्र विकास का कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया गया और किसान अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से नहरों से जल ले रहे थे।



इस संबंध में लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बाणसागर नहर परियोजना में ₹ 17.37 करोड़¹⁹ नहर कुलाबा के शीर्ष और अंतिम छोर पर दीवार (₹ 12.64 करोड़) तथा गुल²⁰ (₹ 4.73 करोड़) के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012–18 के दौरान नौ नहर प्रणालियों में से तीन प्रणालियों²¹ की नहरों में 869 कुलाबों का निर्माण किया गया था। 869 में से 639 कुलाबों में, कुलाबों से खेत तक जल ले जाने

के लिए प्रत्येक कुलाबा में केवल 15 मीटर की लंबाई में गुलों का निर्माण किया गया था। जल को खेत तक ले जाने के लिए गुल का आगे और कोई निर्माण नहीं किया गया था। 15 मीटर से आगे गुल का निर्माण नहीं करने के कारण खेत और नहर के कुलाबों के मध्य अपर्याप्त संपर्क था। दोनों नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र को खेतों तक जल ले जाने के लिए विकसित नहीं किया गया था।

ç/ku eJ=h कृ॒॥ f/ pkbl ; kst uk ds vrxt̄ dek. M {k= dk fodkl ॥ij Mi ei^g
Oki ॥

प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत "पर ड्राप मोर क्राप" घटक में अन्य बातों के साथ—साथ खेतों में ड्रिप, स्प्रिकलर, पिवोट्स, रेन—गन जैसे कुशल जल परिवहन और सटीक जल उपयोग, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर जल को संग्रहीत करने के लिए नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर अतिरिक्त भंडारण संरचनाएं, वैज्ञानिक नमी संरक्षण और कृषि संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए विस्तार गतिविधियां, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान, जल उपयोग दक्षता के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, सटीक सिंचाई प्रौद्योगिकी, खेतों में जल प्रबंधन पर,

¹⁹ कुल व्यय: ₹ 12.78 करोड़।

²⁰ गुल एक सकरी नाली (मिट्टी की और पक्की दोनों) होती है, जिसके द्वारा नहर के कुलाबे से जल लाने और जल को सिंचाई के लिये खेत में वितरित किया जाता है।

²¹ बेलन नहर, टोंस पम्प नहर तथा यमुना पम्प नहर प्रणालियों।

फसल संरेखण, आदि अवयवों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। राज्य में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा धसान नहर प्रणाली से सिचित हमीरपुर और महोबा जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों के अभिलेखों में देखा गया कि हमीरपुर और महोबा जनपदों में वर्ष 2016–21²² के दौरान प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना (पर झाप मोर क्राप) के अंतर्गत 15514.28 हेक्टेयर आच्छादित क्षेत्र में किसानों को स्प्रिंकलर सेट के वितरण तथा अन्य विस्तार गतिविधियों पर ₹ 27.66 करोड़²³ का व्यय किया गया था। इसी तरह, मीरजापुर और प्रयागराज जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों ने 2018–21²⁴ के दौरान मीरजापुर और प्रयागराज जनपदों जिनमें बाणसागर नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा प्रदान की गयी, के 12076.61 हेक्टेयर आच्छादित क्षेत्र में किसानों को स्प्रिंकलर सेट के वितरण तथा अन्य विस्तार गतिविधियों पर ₹ 39.61 करोड़²⁵ व्यय किया।

ck.kl kxj ugj i fj; kstuk vky ekl ku ugj c. kkyh ds dek. M {k= e{ / i p{ Lkyh; fujh{k. k

लेखापरीक्षा ने बाणसागर नहर परियोजना में चयनित 23 नहरों और धसान नहर प्रणाली में छः नहरों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया और देखा कि गुलों का निर्माण खेतों में नहीं किया गया था और जहां भी ये देखे गए वहां गुल खराब स्थिति थी, क्षतिग्रस्त थी तथा गाद और झाड़ियों से भरी हुई थी जैसाकि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:



f>xgk vfyi dk ij dlykck
%ck.kl kxj ugj i fj; kstuk%

egyh vfyi dk ij >kfM% k{ l s Hkj k i Mk xy
%ck.kl kxj ugj i fj; kstuk%

²² महोबा में वर्ष 2017–21 के दौरान।

²³ हमीरपुर: ₹ 16.40 करोड़ तथा महोबा: ₹ 11.26 करोड़।

²⁴ जिला उद्यान अधिकारी, प्रयागराज द्वारा केवल वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 की सूचना उपलब्ध करायी गयी।

²⁵ मीरजापुर: ₹ 31.41 करोड़ तथा प्रयागराज: ₹ 8.20 करोड़।



el nijk vfYi dk ij ugha cuk; k x; k xjy
Wkl ku ujgj iz kkyh½

bVfy; k vfYldk i j ugha cuk; k x; k xjy
Wkl ku ujgj iz kkyh½

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2022) कि बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत बेलन नहर, टोंस पंप नहर और यमुना पंप नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र में कुलाबा और गुलों का निर्माण/मरम्मत कार्य किया गया था। धसान नहर प्रणाली के संबंध में शासन ने उत्तर दिया कि धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र को सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत जल उपभोक्ता संघ समितियां बनाकर तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय करके विकसित किया जाएगा।

बाणसागर नहर परियोजना के संबंध में सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि नहर के जल को खेत स्तर तक ले जाने के लिए गुल 15 मीटर की लम्बाई में ही बनायी गयी थी। इसके अलावा, ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी स्वीकार किया (जनवरी 2020) कि बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली में कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्य नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 4101.87 करोड़ (बाणसागर नहर परियोजना में ₹ 3419.37 करोड़, लहचुरा डैम परियोजना में ₹ 328.30 करोड़ और पहाड़ी डैम परियोजना में ₹ 354.20 करोड़) के निवेश के पश्चात भी अधिकांश उपयोगकर्ता अपने क्षेत्र तक जल ले जाने से वंचित रहे।

4-11 ty mi HkkDrk | ॥४॥ dk xBu u fd; k tkuk

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुलाबा, अल्पिका या रजवाहा स्तर पर जल उपभोक्ता संघ गठित किया जाना था जिसका मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन में जल उपयोगकर्ताओं की भागीदारी लाना था और इसके साथ ही यह भी उद्देश्य था कि अपने क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के प्रति जल उपयोगकर्ताओं के बीच स्वामित्व की भावना पैदा किया जा सके। जल उपभोक्ता संघ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी था:

- जल बजट और मिट्टी की स्थिति के अनुसार फसल योजना तैयार करना;
- जल मांगपत्र तैयार करना और इसे अगले उच्च स्तर पर जल उपभोक्ता संघ या सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित करना;
- मात्रा के आधार पर जल प्राप्त करना और भूमिधारकों को समान और पारदर्शी तरीके से इसकी आपूर्ति करना;
- अनधिकृत सिंचाई और जल की बर्बादी को रोकना;
- अपने संचालन क्षेत्र में कमाण्ड क्षेत्र के विकास से संबंधित योजना, डिजाइन और गतिविधियों को क्रियान्वित करना;
- सहयोग एवं सहभागिता करना तथा जल शुल्क की वसूली करना; तथा
- अपने प्रभार में परिसम्पत्तियों की सूची तैयार करना तथा अनुरक्षण गतिविधियां करना।

अभिलेखों की जाँच से यद्यपि प्रकाश में आया कि बाण सागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में जल उपभोक्ता संघों का गठन नहीं किया गया था जिसके कारण नहर प्रणाली का कुशल संचालन से प्रभावित रहा।

Lkjj k d e॥ यह कहा जा सकता है कि नहर प्रणालियों में लक्ष्य के सापेक्ष जल की उपलब्धता बहुत कम थी, जिसके कारण दोनों परियोजनाओं में नहरों का संचालन प्रभावित हुआ और कमाण्ड क्षेत्र में जलापूर्ति वांछित स्तर तक नहीं की गयी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा कृषकों को खेत तक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्य नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी प्रकाश में आया कि बीज वितरण में कमी थी, अनुशंसित किस्म से अलग किस्म के बीजों का वितरण किया गया था और कृषकों को उचित उपाय सुझाने हेतु मृदा परीक्षण अपर्याप्त था। परिणामस्वरूप दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद भी फसलों की उत्पादकता में सुधार और सिंचाई हेतु जल उपलब्धता में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। नहरों के संचालन में उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जल उपभोक्ता संघों का गठन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

VUjj k d k 8% चूंकि नहरों के मध्य परिकल्पित संयोजन सुनिश्चित किये बिना ही बाणसागर नहर परियोजना को पूर्ण कर दिया गया था, इसलिए राज्य सरकार को व्यापक समीक्षा के माध्यम से इस मामले में हुई कमियों का आकलन करना चाहिए, इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए एवं सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

VUjj k d k 9% बाणसागर डैम से जल की निर्धारित आपूर्ति प्राप्त करने तथा इससे जुड़ी नहर प्रणालियों में अग्रेतर जल प्रवाह में आ रही बाधाओं को चिह्नित करने और उसका उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है। सृजित सिंचाई क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु राज्य सरकार को समयबद्धता एवं समन्वय के साथ आवश्यक कार्यों का आकलन कर उन्हें सम्पादित करना चाहिए।

VUP/kd k 10% राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उचित जांच करनी चाहिए जिनके कारण धसान नहर प्रणाली के 97,169 हेक्टेयर कमान्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं किया जा सका।

VUP/kd k 11% राज्य सरकार को कृषि विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग किया जा सके, फसलों में उपयुक्त क्रापिंग पैटर्न अपनाने और परिणामी उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषकों को कृषि आदानों का समय पर पर्याप्त वितरण किया जा सके। भविष्य की परियोजनाओं हेतु, हम अनुशंसा करते हैं कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सभी हितधारक विभागों को सम्मिलित करते हुए एक कनर्वर्जेन्स प्लान होना चाहिए ताकि कमान्ड क्षेत्र का विकास समन्वित ढंग से किया जा सके।

VUP/kd k 12% राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जल उपभोक्ता संघ के गठन की कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनभागीदारी से नहर प्रणालियों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जा सके।

वि. कृ. माधव

(बिजय कुमार मोहन्ती)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

उत्तर प्रदेश

प्रयागराज

दिनांक

26 फरवरी 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुमू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक

02 मार्च 2023

परिशिष्टयाँ

परिशिष्ट—1.1

उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्रवार जिलों का विवरण (संदर्भः प्रस्तर संख्या—1.1)

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	जिले का नाम
1.	पश्चिमी क्षेत्र (30 जिले)	1—सहारनपुर, 2—मुजफ्फरनगर, 3—शामली, 4—बिजनौर, 5—मुरादाबाद, 6—रामपुर, 7—अमरोहा, 8—संभल, 9—मेरठ, 10—बागपत, 11—गाजियाबाद, 12—बुलंदशहर, 13—गौतमबुद्ध नगर, 14—हापुड़, 15—मथुरा, 16—आगरा, 17—फिरोजाबाद, 18—मैनपुरी, 19—अलीगढ़, 20—हाथरस, 21—एटा, 22—कासगंज, 23—बदायूँ, 24—बरेली, 25—पीलीभीत, 26—शाहजहांपुर, 27—फरुखाबाद, 28—कन्नौज, 29—इटावा, 30—ओरेया
2.	मध्य क्षेत्र (10 जिले)	31—खीरी, 32—सीतापुर, 33—हरदोई, 34—उन्नाव, 35—लखनऊ, 36—रायबरेली, 37—कानपुर देहात, 38—कानपुर नगर, 39—फतेहपुर, 40—बाराबंकी
3.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र (7 जिले)	41—जालौन, 42—झांसी, 43—ललितपुर, 44—हमीरपुर, 45—महोबा, 46—बांदा, 47—चित्रकूट
4.	पूर्वी क्षेत्र (28 जिले)	48—प्रतापगढ़, 49—प्रयागराज, 50—कौशाम्बी, 51—बहराइच, 52—श्रावस्ती, 53—बलरामपुर, 54—गोडा, 55—फैजाबाद, 56—अंबेडकर नगर, 57—सुल्तानपुर, 58—अमेठी, 59—सिद्धार्थनगर, 60—बस्ती, 61—संत कबीर नगर, 62—गोरखपुर, 63—कुशी नगर, 64—देवरिया, 65—महाराजगंज, 66—आजमगढ़, 67—मऊ, 68—बलिया, 69—वाराणसी, 70—गाजीपुर, 71—जौनपुर, 72—चंदौली, 73—मिर्जापुर, 74—सोनभद्र, 75—संत रविदास नगर।

परिशिष्ट—1.2
लेखापरीक्षा में आच्छादित विभाग एवं कार्यालय
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या—1.5)

क्र० सं०	विभाग का नाम	इकाइयों का नाम
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ
2		प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ
3		मुख्य अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना, प्रयागराज
4		मुख्य अभियंता, बेतवा, झांसी
5		मुख्य अभियंता, परियोजना बेतवा, झांसी
6		अधीक्षण अभियंता, बाणसागर, मण्डल—2, मीरजापुर,
7		अधीक्षण अभियंता, सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा
8		अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल—चतुर्थ, झांसी
9		अधीक्षण अभियंता, नलकूप, झांसी
10		अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड—प्रथम, प्रयागराज
11		अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड—पंचम, मीरजापुर
12		अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड—सप्तम, मीरजापुर
13		अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड—अष्टम, मीरजापुर
14		अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड—दशम, मीरजापुर
15		अधिशासी अभियंता, बेलन नहर खण्ड, प्रयागराज
16		अधिशासी अभियंता, टोंस पम्प नहर खण्ड, प्रयागराज
17		अधिशासी अभियंता, मीरजापुर नहर खण्ड, मीरजापुर
18		अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड चुनार, मीरजापुर
19		अधिशासी अभियंता, सिरसी डैम खण्ड, मीरजापुर
20		अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड—तृतीय, प्रयागराज
21		अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर
22		अधिशासी अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड (बाणसागर नहर परियोजना) प्रयागराज
23		अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, महोबा
24		अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मउरानीपुर, झांसी
25		अधिशासी अभियंता, मौदहा बांध निर्माण खण्ड—प्रथम, महोबा
26		अधिशासी अभियंता, मौदहा निर्माण खण्ड, हमीरपुर
27		अधिशासी अभियंता, सपरार खण्ड, झांसी
28		अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, हमीरपुर
29		अधिशासी अभियंता, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्रकोष्ठ (पी.आई.एम.), लखनऊ
30		कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लखनऊ
31		भूमि संरक्षण अधिकारी, (भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग), कौशाम्बी
32		भूमि संरक्षण अधिकारी, (भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग), प्रयागराज
33		भूमि संरक्षण अधिकारी, (सिंचाई एवं जल विभाजन प्रबन्धन कार्यक्रम), मीरजापुर
34		भूमि संरक्षण अधिकारी, (सिंचाई एवं जल विभाजन प्रबन्धन कार्यक्रम), महोबा
35		भूमि संरक्षण अधिकारी, (भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग), हमीरपुर
36	कृषि विभाग	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, लखनऊ

क्र० सं०	विभाग का नाम	ईकाइयों का नाम
37	उपनिदेशक, कृषि विभाग, लखनऊ	निदेशक, कृषि विभाग, लखनऊ
38		उपनिदेशक, कृषि के साथ जिला कृषि अधिकारी एवं पौध संरक्षण अधिकारी, प्रयागराज
39		उपनिदेशक, कृषि के साथ जिला कृषि अधिकारी एवं पौध संरक्षण अधिकारी, मीरजापुर
40		उपनिदेशक, कृषि के साथ जिला कृषि अधिकारी एवं पौध संरक्षण अधिकारी, महोबा
41		उपनिदेशक, कृषि के साथ जिला कृषि अधिकारी एवं पौध संरक्षण अधिकारी, हमीरपुर
42		सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण, बांदा
43		भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि (फूलपुर), प्रयागराज
44		भूमि संरक्षण अधिकारी, (राष्ट्रीय जलागम), कृषि, मीरजापुर
45		भूमि संरक्षण अधिकारी, (राष्ट्रीय जलागम), कृषि, महोबा
46		भूमि संरक्षण अधिकारी, चरखारी, महोबा
47		भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि कुलपहाड़, महोबा
48		भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि हमीरपुर
49		भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि, राठ, हमीरपुर
50	राजस्व विभाग	मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रयागराज
51		मुख्य राजस्व अधिकारी, मीरजापुर
52		मुख्य राजस्व अधिकारी, महोबा
53		मुख्य राजस्व अधिकारी, हमीरपुर
54		उप जिलाधिकारी, राठ, हमीरपुर
55		उप जिलाधिकारी, सरीला, हमीरपुर
56	भूगर्भ जल विभाग	निदेशक, भूगर्भ जल, लखनऊ
57		भूमौतिकीविद् भूगर्भ जल, मीरजापुर
58		भूमौतिकीविद् भूगर्भ जल, झांसी
59		अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, प्रयागराज
60		अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा
61	लघु सिंचाई विभाग	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई झांसी
62		अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, प्रयागराज
63		अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, मीरजापुर
64		अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, महोबा
65		अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर
66	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	जिला उद्यान अधिकारी, मीरजापुर
67		जिला उद्यान अधिकारी, महोबा
68		जिला उद्यान अधिकारी, हमीरपुर

परिशिष्ट—2.1
लागत में भिन्नता का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.1)

उप-शीर्ष	परियोजना को संशोधित किये जाने का वर्ष	पिछली लागत	संशोधित लागत	भिन्नता (+) या (-)	भिन्नता के कारण				टिप्पणी
					मूल्य वृद्धि	अपर्याप्त प्रावधान	डिजाइन में परिवर्तन	अतिरिक्त आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए—प्रारंभिक	2003	95.38	830.64	735.26	186.87	548.39	0	0	विस्तृत जांच और मूल्य में अंतर के कारण
	2010	1153.58	1790.82	637.24	197.32	439.92	0	0	-
	2017	1790.82	1802.91	12.09	12.09	0	0	0	आवश्यकतानुसार प्रावधान किया गया है। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई है।
बी—भूमि	2003	133.91	753.68	619.77	249.22	370.55	0	0	मात्रा 135 हेक्टेयर से बढ़कर 200.70 हेक्टेयर हो गई तथा मूल्य में वृद्धि
	2010	736.85	839.95	103.1	103.1	0	0	0	.
	2017	839.95	1731.1	891.15	891.15	0	0	0	भूमि अधिग्रहण अधिनियम में परिवर्तन के कारण भूमि की दर में अचानक वृद्धि हुई
सी—वर्क्स	2003	855.75	2121.59	1265.84	1265.84	0	0	0	मूलतः सी—वर्क्स में बरोदा पिकअप वीयर, अदवा डैम, मेजा डैम और जिरगो डैम में हेड स्लूइस शामिल था। अदवा बैराज का प्रस्ताव नहीं किया गया है।
	2010	4001.16	8071.55	4070.39	1536.5	219.5	2314.39	0	डिजाइन के अनुसार प्रावधान किया गया है।
	2017	8071.55	10840.04	2768.49	2768.49	0	0	0	डिजाइन के अनुसार प्रावधान किया गया है लेकिन बजट के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई।
डी—रेग्युलेटर	2003	137.94	491.2	353.26	231.77	138.28	0	0	स्केप दो से बढ़कर तीन हो गया।
	2010	655.31	1269.15	613.84	189.16	0	235.52	189.16	15 रेग्युलेटर के स्थान पर 18 प्रदान किया गया है।
	2017	1269.15	2884.68	1615.53	1615.53	0	0	0	बजट के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत बढ़ गई।
ई—फॉल	2003	380.99	233.72	-147.27	0	0	0	0	कोई परिवर्तन नहीं।
	2010	1544.29	1907.34	363.05	80.43	0	0	282.62	32 फॉल के स्थान पर 29 फॉल स्थलीय आवश्यकता के अनुसार प्रदान की गयी थी।
	2017	1907.34	3022.84	1115.5	1115.5	0	0	0	बजट के अपर्याप्त प्रवाह के

उप-शीर्ष	परियोजना को संशोधित किये जाने का वर्ष	पिछली लागत	संशोधित लागत	भिन्नता (+) या (-)	भिन्नता के कारण				टिप्पणी
					मूल्य वृद्धि	अपर्याप्त प्रवाहान	डिजाइन में परिवर्तन	अतिरिक्त आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एफ-क्रॉस ड्रेनेज वर्क									कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत बढ़ गई।
	2003	418.76	7930.64	7511.88	644.63	6867.23	0	0	ड्रेनेज क्रॉसिंग 61 से बढ़कर 136 हो गये।
	2010	33637.92	61687.63	28049.71	9898.75	6128.74	5896.31	6125.91	216 के स्थान पर 300 क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है।
जी-ब्रिजेज	2017	61687.63	66467.32	4779.69	4779.69	0	0	0	बजट के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत बढ़ गई।
	2003	102.01	1023.31	921.3	430.74	290.34	200.22	0	पुलों को 36 से 47 तक बढ़ाया गया।
	2010	3338.92	7319.23	3980.31	1585.15	1028.6	0	1366.56	192 के स्थान पर 245 पुलों का प्रावधान किया गया है।
एच-स्केप	2017	7319.23	10547.2	3227.97	3227.97	0	0	0	बजट के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत बढ़ गई।
	2003	237.96	354.62	116.66	116.66	0	0	0	स्केप की लंबाई 6.00 किमी से घटकर 4.69 किमी हो गई।
	2010	2194.11	5115.1	2920.99	1033.61	147.66	0	1739.72	24 के स्थान पर 29 स्केप प्रदान किये गये
के-बिल्डिंग	2017	5115.1	7158.66	2043.56	2043.56	0	0	0	बजट के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत बढ़ गई।
	2003	55.14	154.59	99.45	82.71	16.74	0	0	मूल रूप से 62 भवनों का प्रस्ताव किया गया था, अब कार्यों और आवश्यकता में वृद्धि के कारण भवनों की संख्या बढ़ाकर 74 कर दी गई।
	2010	2361.98	2589.5	227.52	68.26	159.26	0	0	भवन केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार लिए गए हैं।
एल-(i) अर्थ वर्क	2017	2589.5	2639.66	50.16	0	0	50.16	0	भवन केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार लिए गए हैं।
	2003	6302.53	15660.12	9357.59	8531.48	330.44	495.67	0	कार्य की मात्रा 99.11 लाख घन मीटर से बढ़ाकर 174.55 लाख घन मीटर हो गई।
	2010	41499.32	59522.84	18023.52	3674.26	0	10761.95	3587.31	मेजा जिरगो लिंक नहर की

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

उप-शीर्ष	परियोजना को संशोधित किये जाने का वर्ष	पिछली लागत	संशोधित लागत	भिन्नता (+) या (-)	भिन्नता के कारण				टिप्पणी
					मूल्य वृद्धि	अपर्याप्त प्रावधान में परिवर्तन	डिजाइन में परिवर्तन	अतिरिक्त आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एल-(ii) लाइनिंग									गहराई में परिवर्तन और बाएं बैंक की चौड़ाई 3.85 मीटर से बढ़ाकर 6.00 मीटर करने के कारण
	2017	59522.84	55249.53	-4273.31	0	0	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।
	2003	4040.71	15140.98	11100.27	7584.13	2221.11	1295.09	0	सीसी लाइनिंग के डिजाइन और मात्रा में परिवर्तन के कारण।
	2010	32462.58	55233.88	22771.3	8106.34	1926.44	11580.48	1158.04	मुख्य रूप से आरसीसी लाइनिंग के प्रावधान और मूल्य वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि हुई है। साथ ही ढलान स्थिरीकरण की लंबाई 17.0 किमी है।
एल-(iii) सर्विस रोड	2017	55233.88	80419.57	25185.69	0	0	25185.69	0	आरसीसी लाइनिंग, स्ट्रक्चरल लाइनिंग और टर्फ कार्य के प्रावधान के कारण मुख्य रूप से लागत में वृद्धि हुई है।
	2003	243.28	348.43	105.15	109.42	65.42	0	0	सर्विस रोड किमी 18.50 से बढ़कर 30.60 किमी हो गई।
	2010	2713.29	4927.19	2213.9	727.45	1274.1	0	212.35	190.498 कि. मी. पेटेड सड़क 130.963 कि. मी. के स्थान पर उपलब्ध कराई गई है।
एल-(iv) सुरंग	2017	4927.19	727.36	-4199.83	0	0	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।
	2003	393	2120.63	1727.63	589.5	569.06	569.07	0	डिजाइन में बदलाव के कारण।
	2010	2643.17	3710.25	1067.08	373.48	53.35	0	640.25	जैसा कि मूल्य वृद्धि और अपर्याप्त डिजाइन के कारण दर्शाया गया है।
एम— प्लाटेशन	2017	3710.25	5174.05	1463.8	0	1463.8	0	0	जैसा कि मूल्य वृद्धि और अपर्याप्त डिजाइन के कारण संकेत दिया गया है। लेकिन बजट के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत बढ़
	2003	50.7	104.04	53.34	41.99	11.35	0	0	केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम मानदंडों और पर्यावरण के प्रति रुचि के अनुसार।
	2010	239.91	461.33	221.42	39.86	181.56	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।

उप-शीर्ष	परियोजना को संशोधित किये जाने का वर्ष	पिछली लागत	संशोधित लागत	भिन्नता (+) या (-)	भिन्नता के कारण				टिप्पणी
					मूल्य वृद्धि	अपर्याप्त प्रावधान	डिजाइन में परिवर्तन	अतिरिक्त आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओ—विविध	2017	461.33	269.24	-192.09	0				आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।
	2003	328.15	1589.87	1261.72	426.57	835.16	0	0	केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया।
	2010	2479.24	3855.12	1375.88	277.36	1098.52	0	0	केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया।
	2017	3855.12	3481.94	-373.18	0	0	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।
पी—रखरखाव	2003	9.63	21.76	12.13	12.13	0	0	0	केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया।
	2010	1323.69	1328.45	4.76	4.76	0	0	0	केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार लिया गया।
	2017	1328.45	1669.38	340.93	340.93	0	0	0	केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई।
क्यू—स्पेशल टी एंड पी	2003	22.42	11.1	-11.32	0	0	0	0	केन्द्रीय जल आयोग की नवीनतम स्वीकृति के अनुसार नए उपकरणों की खरीद की आवश्यकता नहीं है।
	2010	169.12	169.12	0	0	0	0	0	विभाग में पुराने उपकरणों का उपयोग किया जाना था जो अब अपने समय को पूरा कर चुके हैं इसलिए कुछ नए उपकरणों का प्रस्ताव किया गया है।
	2017	169.12	169.12	0	0	0	0	0	-
आर—कम्प्युनिकेशन	2003	72.5	254.01	181.51	108.75	7.96	64.8	0	राष्ट्रीय राजमार्ग के डायवर्जन के अलावा और केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम मानदंडों के अनुसार तीन हेलीपैड जोड़े गए हैं।
	2010	433.75	1791.71	1357.96	412.94	134.99	0	810.03	2.528 कि.मी. के स्थान पर 10.213 कि.मी. पेन्टेड मार्ग का निर्माण।
	2017	1791.71	809.14	-982.57	0	0	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।
यू—रजवाहा और अलिप्का	2003	0	0	0	0	0	0	0	.
	2010	2427.73	3293	865.27	173.05	346.11	346.11	0	डिजाइन के अनुसार प्रावधान किया गया है।
	2017	3293	9578.34	6285.34	0	6285.34	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

उप-शीर्ष	परियोजना को संशोधित किये जाने का वर्ष	पिछली लागत	संशोधित लागत	भिन्नता (+) या (-)	भिन्नता के कारण				टिप्पणी
					मूल्य वृद्धि	अपर्याप्त प्रावधान	डिजाइन में परिवर्तन	अतिरिक्त आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई है।
वी-वाटर कोर्स	2003	0	0	0	0	0	0	0	.
	2010	800.72	1199.71	398.99	71.82	327.17	0	0	मूल्य वृद्धि और अपर्याप्त प्रावधान के कारण।
	2017	1199.71	1737.1	537.39	0	537.39	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई है।
एक्स-पर्यावरण और पारिस्थितिकी	2003	17.1	50.43	33.33	25.65	7.68	0	0	केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया।
	2010	10081.6	12187.75	2106.15	118.93	541.79	0	1445.43	भारत सरकार के इण्डियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की संस्तुतियों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
	2017	12187	11161.46	-1025.54	0	0	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है।
वाई - स्टॉक पर हानि	2003	2.41	5.44	3.03	3.03	0	0	0	दिशानिर्देशों के अनुसार लिया गया।
	2010	330.93	208.55	-122.38	0	0	0	0	.
	2017	208.55	676.13	467.58	467.58	0	0	0	आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया गया है। मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई है।
योग	2003	13,758.78	49072.70	35313.92	20641.09	12279.71	2624.85	0	-
	2010	147229.17	238479.17	91250	28672.53	14007.71	31134.76	17557.38	
	2017	238478.42	278216.77	39738.35	17262.49	8286.53	25235.85	0	

परिशिष्ट—2.2
लहचुरा डैम परियोजना के डीपीआर के सापेक्ष मात्राओं में भिन्नता

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.1)

कार्य की मद	सी—सिविल कार्य	अर्जुन फीडर नहर का हेड रेगुलेटर	धसान का हेड रेगुलेटर	एफ्लक्स बन्ध	लिंक चैनल का निर्माण	अन्तिम संशोधित विस्तृत परियोजना विश्लेषण (2011–12) के अनुसार कुल मात्रा	अद्यतन निष्पादित मात्रा	पिछले पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना विश्लेषण (2011–12) से निष्पादित मात्रा	मात्रा	दर	धनराशि (₹ में)		
साईट विलयरेस	69000	0	0	0	0	69000	87033.5	18033.5	162	2921430.24	योग	2921430.24	
आर.सी.सी. 1:1:2	50360	0	0	0	0	50360	56853.8	6493.76	4206.9	4024.3	16929827.67		
									2286.86	3656.3	8361446.22	योग	25291273.89
1:2:4 वियरिंग कोट	360	0	0	0	0	360	7357.4	6997.4	1056.17	2458.2	2596277.09	योग	21718572.13
									2154.82	2859.7	6162138.75		
									132.54	3152.4	417819.1		
									1230.29	3327.8	4094159.06		
									2163.03	3447.5	7457045.93		
									260.55	3804	991132.2		
												योग	21718572.13
तटबन्ध में मिट्टी का कार्य	4.72	0	0	209550	0	209555	1422181	1212626	103799	230.6	23936093.21	योग	273821304.5
									49165.1	169.8	8348240.77		
									290266	209.4	60781595.7		
									129249	216.3	27956645.22		
									219374	221.9	48679157.17		
									157401	252.8	39791073.92		
									249535	243.1	60661958.5		
									13836	265	3666540		
												कुल योग	323752580.8
												करोड़ में	₹ 32.38 करोड़

स्रोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और अन्तिम देयक

परिशिष्ट-2.3

लहचुरा डैम परियोजना के अनुसंगी कार्यों का उच्च दरों पर निष्पादन (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.1)

कार्य की मद	लहचुरा डैम के आधुनिकीकरण के प्राकलन के अनुसार दरें (₹में)	अनुलग्नक कार्य की निष्पादित मात्रा की दरें (₹में)	दरों में अन्तर (₹में)	अनुलग्नक कार्य की निष्पादित मात्रा	ठेकेदार को अनुलग्नक कार्य हेतु किया गया परिहार्य व्यय (₹में)
मिट्टी की खुदाई का कार्य	203.60	226.30	22.70	108915 घ0मी०	2472370.50
75 एमएम व्यास के होल की ड्रिलिंग	751.00	1688.00	937.00	210 रनिंग मीटर	196770.00
सी.सी.1:2:4	3732.90	3967.25	234.35	6303.30 घ0मी०	1477178.36
बैक फिलिंग	221.90	277.60	55.70	235368.40 घ0मी० योग	13110017.65
योग					17256336.51
₹ करोड़ में					₹ 1.73 करोड़

(आंकड़े:विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और अन्तिम देयक)

परिशिष्ट—3.1
बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत वर्षवार आवंटन व व्यय
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.1.1)

(लाख)

वर्ष	प्रावधान	आबंटन	अवमुक्त	व्यय
1996-97	10014.26	10909.39	10909.39	10909.39
1997-98	6024.00	6024.00	6024.00	6024.00
1998-99	4420.00	4420.00	4420.00	4420.00
1999-2000	3072.00	3072.00	3072.00	3072.00
2000-2001	6870.72	6870.72	6870.72	6870.72
2001-2002	5260.37	5260.37	5260.37	5260.37
2002-2003	5262.98	5262.98	5262.98	5262.98
2003-2004	6009.87	6009.87	6009.87	6009.87
2004-2005	5321.15	5321.15	5321.15	5321.15
2005-2006	16057.22	16057.22	16057.22	16057.22
2006-2007	24634.98	24634.98	24634.98	24634.98
2007-2008	27605.64	27605.64	27605.64	27605.64
2008-2009	36836.20	36836.20	36836.20	36836.20
2009-2010	24006.75	24006.75	24006.75	24006.75
2010-2011	44060.00	11040.00	11040.00	11040.00
2011-2012	27500.00	27500.00	27500.00	27500.00
2012-2013	13742.25	13742.25	13742.25	13742.25
2013-2014	25000.00	13400.00	13400.00	13400.00
2014-2015	24800.00	16519.00	16519.00	16519.00
2015-2016	20000.00	11000.00	11000.00	11000.00
2016-2017	30000.00	19700.00	19700.00	19700.00
2017-2018	30000.00	19698.48	19698.48	19698.48
2018-2019	12200.00	18200.00	18200.00	18076.00
2019-2020	12200.00	5050.00	5050.00	5050.00
2020-2021	9057.00	3920.00	3920.00	3920.00
योग		342061.00	342061.00	341937.00
		अर्थात्	₹ 3420.61 करोड़	₹ 3419.37 करोड़

(चेतावनी: मुख्य अभियंता, बाणसागर, प्रयागराज)

परिशिष्ट-3.2

बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त मात्राएँ/नई कार्य मदें

जिनको नई बिल ऑफ क्वांटिटी में सम्मिलित किया गया

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.1)

(₹ करोड़)

क्र० स०	पुराना अनुबंध संख्या	नए अनुबंध में बिल ऑफ क्वांटिटी	कार्य मदों की कुल संख्या	अनुबंधित अतिरिक्त लागत	10 प्रतिशत से अधिक कुल कार्य मदें	प्रतिशत
1.	05/एस.ई./2006-07	11000/बी.एस./02/ एल.एन.जी	18	2.92	10	14 to 539
2.	46एस.ई./2007-08	46200/एम.जे./05/ए.क्यू.डी	18	0.28	09	17 to 150
3.	47एस.ई./2007-08	67800एम.जे. /05/ए.क्यू.डी	14	0.15	08	11 to 100
4.	54एस.ई./2007-08	44800/एम.जे. /05/डी.आर.एस.	18	0.05	06	20 to 116
5.	09एस.ई./2008-09	54530/टम.जे. /11/ डी.आर.एस.	02	0.19	02	61 to 196
6.	15एस.ई./2008-09	55175/टम.जे. /11/ डी.आर.एस.	06	0.93	06	14 to 188
7.	02/एस.ई./2009-10	59018/टम.जे. /11/ डी.आर.एस.	08	0.76	08	26 to 838 & 5712
योग				5.28		

(चेतावनी: खण्डों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-3.3

बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत निरस्त अनुबंधों में जमानत राशि जब्त न किया जाना

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.1.1)

(रुलाख में)

क्र० सं०	नई बीओक्यू संख्या	नई बीओक्यू का मूल्य	पुराने अनुबंधों का विवरण						जमानत जमा का विवरण		
			पुरानी बीओक्यू संख्या	पुरानी बीओक्यू का मूल्य	कार्य प्रारंभ की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	अनुबंध रद्द करने की तिथि	ठेकेदार द्वारा जमा की गयी जमानत जमा	विभाग द्वारा जब्त की गयी जमानत जमा	विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी जमानत जमा	
1.	44800/एम.जे. /05/ एस.पी.जी.	58.15	54/एसई/ 07-08	75.50	25.02.2008	24.02.2009	12.07.2012	7.6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
2.	42800/एम.जे. /05/ डी.आर.एक्स.	481.53	01/एसई / 08-09	302.60	19.04.2008	18.04.2009	12.07.2012	30.6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
3.	43200/एम.जे. /05/ डी.आर.एक्स.	160.56	02/एसई / 08-09	90.53	15.09.2008	14.09.2009	12.07.2012	9.05	अनुपलब्ध	9.05	
4.	47200/एम.जे. /05/ पी.आर.बी.	239.27	03/एसई / 08-09	172.46	15.09.2008	14.09.2009	12.07.2012	11	अनुपलब्ध	11.00	
5.	54530/एम.जे. /11/ डी.आर.एक्स.	87.04	09/एसई / 2008-09	43.74	02.03.2009	01-03-2010	06-11-2012	6.00	शून्य	शून्य	
6.	55175/एम.जे. /11/ डी.आर.एक्स.	242.13	15/एसई / 2008-09	97.95	02.03.2009	01-03-2010	06-11-2012	7.00	शून्य	शून्य	
7.	59018/एम.जे. /11/ डी.आर.एक्स.	139.45	02/एसई /2009-10	95.20	10.06.2009	09-06-2010	06-11-2012	6.80	शून्य	शून्य	
8.	64400/एम.जे. /11/ डी.आर.एक्स.	104.82	03/एसई / 2009-10	57.33	20.06.2009	19-06-2010	06-11-2012	4.87	शून्य	शून्य	
9.	11000/बी.एस. /02/ एल.एन.जी	--	06/एसई / 06-07	516.95	01.10.2006	30.09.2007	20.04.2013	51.70	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
10.	अनुपलब्ध	--	15/एसई / 08-09	83.11	28.02.2009	27.08.2009	02.05.2013	32.91	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
11.	अनुपलब्ध	--	12/एसई / 08-09	94.81	28.02.2009	27.06.2009	02.05.2013	6.75	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
योग								174.28			

(चोेत: खण्डों से एकत्र की गयी सूचना)

परिशिष्ट-3.4

आर.पी.पी.एल. को सुरक्षित अग्रिम का अनियमित भुगतान (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.4.4)

(₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	सुरक्षित अग्रिम की धनराशि	वाउचर संख्या एवं सुरक्षित अग्रिम भुगतान की तिथि	वसूल किये गए सुरक्षित अग्रिम की धनराशि
अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खंड-5 मीरजापुर				
1	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 64.600 से किमी 71.130 तक लाइनिंग का निर्माण	6327766.00	135/28.02.2015	6327766.00
2	अदवा मेजा लिंक नहर के किमी 00.000 से किमी 14.500 तक लाइनिंग का निर्माण	35339718.00	01/02.07.2013	35339718.00
3	बाणसागर पोषक नहर के किमी 11.000 से किमी 23.675 तक लाइनिंग का निर्माण	14337587.25	07/22.12.2014	14337587.25
4	बाणसागर पोषक नहर के किमी 11.000 से किमी 23.675 तक लाइनिंग का निर्माण	15197026.95	01/03.10.2015	15197026.95
	योग	71202098.25		
अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खंड-7 मीरजापुर				
5	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 67.800 पर एक्वाडक्ट का निर्माण	373900.00	05/26.06.2015	373900.00
6	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 68.180 पर कैनाल क्रॉसिंग का निर्माण	151034.00	अनुपलब्ध	151034.00
7	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 19.500 से किमी 26.500 तक लाइनिंग का निर्माण	2430000.00	63/28.02.2015	2430000.00
8	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 19.500 से किमी 26.500 तक लाइनिंग का निर्माण	4869742.00	62/30.03.2015	4869742.00
9	बांण सागर पोषक नहर के किमी 39.950 से किमी 44.915 तक लाइनिंग का निर्माण	11252394.00	22/30.03.2015	11252394.00
10	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 5.765 से किमी 9.330 तक लाइनिंग का निर्माण	1671307.00	59/31.03.2015	1671307.00
11	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 2.215 से किमी 5.765 तक लाइनिंग का निर्माण	5716505.00	110/31.03.2015	5716505.00
	योग	26464882.00		
अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खंड-8 मीरजापुर				
12	मेजा कोटा रजवाहा के किमी 1.475 से किमी 2.655 तक लाइनिंग का निर्माण	5200000.00	12/28.12.2017	5200000.00
13	मेजा कोटा पोषक नहर के किमी 0.00 से किमी 3.577 तक लाइनिंग का निर्माण	2100000.00	30/03.02.2018	2100000.00
14	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 70.095 पर बी.आर.बी का निर्माण	3250000.00	530/31.03.2017	3250000.00
15	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 9.950 पर एस्केप एवं एस्केप चौनल का निर्माण	3850000.00	57/28.02.2015	3850000.00
16		5800000.00	528/31.03.2017	5800000.00
17	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 55.600 से	15000000.00	234/31.03.2015	15000000.00

क्र0 सं0	कार्य का नाम	सुरक्षित अग्रिम की धनराशि	वाउचर संख्या एवं सुरक्षित अग्रिम भुगतान की तिथि	वसूल किये गए सुरक्षित अग्रिम की धनराशि
	किमी 64.600 तक लाइनिंग का निर्माण			
18	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 9.330 से किमी 13.008 तक लाइनिंग का निर्माण	9200000.00	45/25.02.2015	9200000.00
19	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 13.000 से किमी 19.500 तक लाइनिंग का निर्माण	3500000.00	156/23.02.2016	3500000.00
20	मेजा जरगो लिंक नहर के किमी 10.400 से किमी 11.000 तक लाइनिंग का निर्माण	7200000.00	46/25.02.2015	7200000.00
योग		55100000.00		
महायोग		152766980.25 अर्थात ₹15.28 करोड़		

(चोत: खंडों से आंकड़ों का संग्रह)

परिशिष्ट-3.5

बाणसागर नहर परियोजना में मात्रा में भिन्नता विवरण

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 3.5)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अनुबन्धित लागत	सम्पादित कार्य की धनराशि	विभिन्नता	अतिरिक्त मद	विभिन्नता + अतिरिक्त मद	कुल विभिन्नता प्रतिशत में	कुल बीओक्यू की संख्या
1	28065/एम.जे./07/एसपीजी	162.4	165.78	1610.71	1448.31	0	1448.31	892	
2	45845/एम.जे./05/सीएलएक्स	13.12	13.11	71.15	58.03	10.19	68.22	520	
3	25025/ए.एम./02/एक्यूडी	229.58	229.68	1117.37	887.79	209.78	1097.57	478	
4	19000/ए.एम./02/एलएनजी	2090.67	2027.93	2027.93	-62.74	7171.82	7109.08	340	
5	11000 बी.एस./02/एलएनजी	3142.91	3418.96	4586.8	1443.89	3402.87	4846.76	154	
6	01445/एम.के./06/जीएलएक्स	16.64	17.15	40.16	23.52	0	23.52	141	
7	51200/एम.जे./10/फॉल	26.25	27.93	24.79	-1.46	37.78	36.32	138	
8	00000/एम.जे./05/एलएनजी	140.64	133.4	60.39	-80.25	262.89	182.64	130	
9	52715/बी.एस./05/एलएनजी	253.51	261.79	560.55	307.04	0	307.04	121	
10	47585/एम.जे./05/ जीएलएक्स	13.67	13.88	29.64	15.97	0	15.97	117	
11	42940/एम.जे./05/ बीआरबी	136.16	142.05	288.32	152.16	0	152.16	112	
12	47340/एम.जे./05/सीएलएक्स	159.68	158.04	325.17	165.49	4.06	169.55	106	
13	13025/एम.जे./08/ईडब्लूके	172.19	171.29	341.5	169.31	0	169.31	98	
14	59915/बी.एस./08/एलएनजी	523.07	593.13	591.43	68.36	406.99	475.35	91	
15	25600/ए.एम./02/टीएफएल	1649.6	1665.34	3021.53	1371.93	6.24	1378.17	84	
16	64600/एम.जे./05/एलएनजी	614.1	592.88	667.46	53.36	457.91	511.27	83	
17	16700/ए.एम./04/एलएनजी	761.05	755.11	755.11	-5.94	635.18	629.24	83	
18	10400/बी.एस./01/एलएनजी	237.64	218.92	244.99	7.35	184.82	192.17	81	
19	00000/ एम.के./06/एलएनजी	907.01	910.27	1199.17	292.16	389.94	682.1	75	
20	38320/एम.जे./05/बीआरबी	35.1	34.85	57.03	21.93	2.17	24.1	69	
21	09950//एम.जे./01/ईएससी	485.42	486.41	808.62	323.2	1.17	324.37	67	
22	68000/एम.जे./05/ईडब्लूके	279.44	280	417.9	138.46	29.87	168.33	60	
23	36105/एम.जे./05/एलएनजी	749.84	733.57	993.29	243.45	167.95	411.4	55	
24	59018/एम.जे./11/डीआरएक्स	138.56	139.44	165.6	27.04	42.34	69.38	50	
25	00300/एम.के./06/जीएलएक्स	19.35	19.83	27.36	8.01	1.09	9.1	47	
26	40905/एम.जे./05/बीआरबी	63.85	62.8	91.56	27.71	1.81	29.52	46	
27	42000/एम.जे./05/ईडब्लूके	1208.04	1221.78	1759.27	551.23	0	551.23	46	
28	39950/ बी.एस./07/एलएनजी	1646.67	1775.63	1948.15	301.48	408.12	709.6	43	
29	00150/एम.के./06/जीएलएक्स	20.22	21.06	27.57	7.35	1.31	8.66	43	
30	10540/एम.जे./01/ईडब्लूके	20.84	20.8	28.27	7.43	0	7.43	36	
31	29930/एम.जे./07/बीआरबी	66.79	67.42	83.76	16.97	0.55	17.52	26	
32	32060/एम.जे./07/एक्यूडी	302.97	323.47	312.93	9.96	61.99	71.95	24	
33,	14470/एम.जे./08/जीएलएक्स,								
34,	16350/एम.जे./08/जीएलएक्स,								
35,	16149/एम.जे./08/जीएलएक्स								
36	43200/एम.जे./05/डीआरएक्स	163.56	160.56	201.82	38.26	0	38.26	23	

37	00000/एम.जे /05/एचआरजी	347.43	358.12	280.46	-66.974627	141.23	74.255373	21
38	44915 /बी.एस./06/एलएनजी	1023.98	1111.86	1203.38	179.4	39.36	218.76	21
39	44605/एम.जे /05/वीआरबी	112.21	111.57	135.94	23.73	0	23.73	21
40	47200/एम.जे /05/पीआरबी	244.78	239.27	276.58	31.8	18.58	50.38	21
41	65280/एम.जे /05/वीआरबी	65.24	65.12	71.47	6.23	5.2	11.43	18
42	00000/ए.एम./03/एलएनजी	3184.88	3158.72	3432.39	247.51	230.66	478.17	15
43	69000/एम.जे /05/डीआरएक्स	48.7	47.2	54.06	5.36	0	5.36	11
योग		21502.96	21983.93	29972.73	8469.765	14333.87	22803.64	892 से 11
					अर्थात्	अर्थात्	अर्थात्	
					₹ 84.70	143.3	228.03	

परिशिष्ट-3.6

लहचुरा डैम परियोजना के अनुसंगी कार्यों की मात्रा में भिन्नता का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.5)

अनुबन्ध के बीओक्यू के मदों की संख्या	मद का नाम	इकाई	अनुबन्धित मात्रा	निष्पादित मात्रा	दर	मात्रा में अन्तर	धनराशि (₹ में)	% भिन्नता
1	कार्य के उचित समापन के लिए सभी लीड और लिफट और टी एंड पी आदि सहित हार्ड रॉक और ग्रेनाइट रॉक को छोड़कर सभी प्रकार के स्तर में सामान्य खुदाई में मिट्टी का कार्य।	घन मीटर	48461	108915	226.30	60454	13680740.20	125
2	सीमेंट के साथ 100 / 75 मिमी व्यास छेदों में 25 मिमी व्यास स्टील पट्टी के ऊपर एंकरिंग और वाटर जेट के साथ छेदों को धोने सहित 13.75 बैग / प्रति घनमीटर की सीमेंट खपत को मानते हुए ग्राउट, ग्राउटिंग काटना और सभी सामग्री की लागत सहित स्टील बार को ठीक करना, लेबर और टी एंड पी. वाटर जेट से वासिंग	मीटर	1	1.26	60021.00	0.26	15605.46	
3	सभी सामग्री, श्रम और टी एंड पी की लागत सहित 75 / 100 मिमी व्यास की छिद्रण	रनिंग मीटर	113	210	1688.00	97	163736.00	86
6	यांत्रिक संधटन और ड्रेसिंग और भारित औसत भूमि 2.00 किमी के साथ देखने और सभी प्रकार के कठोर रॉक और ग्रेनाइट रॉक को छोड़कर सभी प्रकार के स्तर में जॉब की खुदाई के उचित संधटन के लिए सभी प्रकार के लिफट के साथ सभी प्रकार के काम को देखने सहित तटबंध में सामान्य भरने में मिट्टी का कार्य जॉब के उचित समापन के लिए सभी लीड और लिफट और टी एंड पी आदि को छोड़कर।	घनमीटर	156161	235368	277.60	79207.36	21987963.14	51
40	मार, कबाड रेंकर और कंकर मिश्रित मिट्टी के लीडे में 195 मिमी तक की कटिंग फिलिंग/लेवलिंग में अर्थ वर्क और सभी सामग्री, श्रम और टी एंड पी की लागत सहित	घन मीटर	31083	43570	120.80	12487.03	1508433.224	40
							योग	37356478.02
							अर्थात ₹ 3.74 करोड़	

(प्रोत्र: खण्डों से एकत्र किए गए सूचनाएं)

परिशिष्ट—3.7

बाणसागर नहर परियोजना में अदवा बैराज के कार्य की मात्रा में भिन्नता विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.5)

कार्य के मूल्य में भिन्नता (प्रतिशत में)	त्रृणात्मक भिन्नता के लिए भुगतान में वृद्धि (प्रतिशत में)	अधिक भिन्नता के लिए भुगतान में कमी (प्रतिशत में)
20 से अधिक व 25 तक	2.50	1.25
25 से अधिक व 30 तक	5.00	2.50
30 से अधिक व 35 तक	6.25	3.13
35 से अधिक व 60 तक	8.00	4.00
60 से अधिक व 100 तक	10.00	5.00

(चोत: खण्डों से एकत्र सूचनाएँ)

परिशिष्ट-3.8 (अ)
वर्षवार नमूनों के परीक्षण का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.7)

वर्ष	परीक्षण के प्रकार	परीक्षण किये गये सभी नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या
2013-14	क्यूब टेस्ट	1283	174
	सीव टेस्ट	78	11
	मृदा परीक्षण	15	0
2014-15	क्यूब टेस्ट	852	97
	सीव टेस्ट	35	5
	सीमेंट परीक्षण	2	0
	मृदा परीक्षण	6	0
2015-16	क्यूब टेस्ट	420	9
	सीव टेस्ट	26	0
2016-17	क्यूब टेस्ट	387	33
	मृदा परीक्षण	12	0
	ईंट परीक्षण	4	2
	सीव टेस्ट	14	0
2017-18	क्यूब टेस्ट	1697	21
	सीमेंट परीक्षण	1	0
	मृदा परीक्षण	18	0
	सीव टेस्ट	23	12
2018-19	क्यूब टेस्ट	804	3
	सीव टेस्ट	23	0
	मृदा परीक्षण	11	0
	सीमेंट परीक्षण	2	0
	ईंट परीक्षण	2	2
2019-20	क्यूब टेस्ट	160	0
	सीव टेस्ट	3	0
योग	क्यूब टेस्ट	5603	337
	सीव टेस्ट	202	28
	सीमेंट परीक्षण	05	00
	मृदा परीक्षण	62	00
	ईंट परीक्षण	06	04

(नोट: अधिकासी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, प्रयागराज, से एकत्रित आंकड़े)

परिशिष्ट—3.8 (ब)

बाणसागर नहर परियोजना में गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड द्वारा किये गये क्यूब टेस्ट का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.7)

क्र० सं०	कार्य का नाम	कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता (मी ³)	मानक के अनुसार लिए जाने वाले नमूनों की संख्या	परीक्षण किये गये नमूनों की संख्या	कमी	कमी प्रतिशत में
1	किमी 0.000 से 14.500 तक एएमएलसी का लाइनिंग	214130.653	4285	60	4225	98.6
2	किमी 5.765 से 9.330 तक एमजेएलसी का सीसी लाइनिंग	52945.795	1062	30	1032	97.18
3	किमी 11.000 से 23.675 तक बीएसएफसी का लाइनिंग	162631.46	3255	103	3152	96.84
4	बीएसएफसी के किमी 27.898 से 28.790 तक लाइनिंग एवं किमी 28.790 से 29.150 तक लाइनिंग	12215.98	247	9	238	96.36
5	किमी 39.950 से 42.450 तक बीएसएफसी का सीसी लाइनिंग	78994.257	1582	63	1519	96.02
6	किमी 19.000 से 25.600 तक एएमएलसी का सीसी लाइनिंग	149175.51	2986	120	2866	95.98
7	किमी 9.330 से 13.008 तक एमजेएलसी का सीसी लाइनिंग	53680.198	1076	48	1028	95.54
8	एएमएलसी के किमी 25.025 पर बैरल एक्वाउट का निर्माण	9225.516	187	12	175	93.58
9	किमी 48.230 से 55.555 तक एमजेएलसी का सीसी लाइनिंग	40943	821	57	764	93.06
10	किमी 44.915 से 46.415 एवं किमी 46.915 से 52.715 तक बीएसएफसी के अवशेष सीसी लाइनिंग का निर्माण	67133	1345	113	1232	91.6
11	किमी 2.215 से 5.765 तक एमजेएलसी का सीसी लाइनिंग	18157.309	366	33	333	90.98
12	किमी 19.500 से 26.500 तक एमजेएलसी का सीसी लाइनिंग	15676.44	316	30	286	90.51
13	किमी 16.700 से 19.000 तक अदवा मेजा लिंक चैनल के आर/स्लोप कार्य	59089.87	1184	120	1064	89.86
14	एमजेएलसी के किमी 0.000 पर हेड रेगुलेटर के निर्माण का कार्य	5638.999	115	21	94	81.74
15	मेजा कोटा फीडर चैनल के किमी 0.000 से 3.577 तक लाइनिंग कार्य	48405.054	971	243	728	74.97
16	एमजेएलसी के किमी 59.018 पर ड्रैनेज कासिंग का निर्माण	1554.53	34	9	25	73.53
17	अदवा बैराज निर्माण	65865.73	1320	351	969	73.41
18	एमजेएलसी के किमी 26.500 से किमी 36.000 तक लाईनिंग और किमी 35.845 पर सुपर पैसेज का निर्माण	21731.96	437	119	318	72.77
19	एएमएलसी के किमी 25.600 पर फॉल का निर्माण	23872.61	480	180	300	62.5
20	एएमएलसी के किमी 24.600 पर वाइल्ड एनिमल जिंग का निर्माण	882.25	20	9	11	55
21	एएमएलसी के किमी 25.340 पर डी.आर.बी. का निर्माण	539.31	13	6	7	53.85
22	एमजेएलसी के किमी 44.800 पर ड्रैनेज का निर्माण	416.65	11	6	5	45.45
23	एमजेएलसी के किमी 9.950 पर इरकेप का निर्माण	8240.678	167	96	71	42.51
24	एमजेएलसी के किमी 45.845 पर डी-जिंग का निर्माण	895.46	20	12	8	40

(चोत्र: अधिकारी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड, प्रयागराज, से एकत्रित आंकड़े)

परिशिष्ट-3.9

नहरों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए निधि की आवश्यकता (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.8)

क्र0 सं0	नहर प्रणाली का नाम	नहर का प्रकार	नहर कुल पीपीए (हेक्टे. में)	मानक के अनुसार निधि की आवश्यकता (₹ लाख में)
बाणसागर नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश				
1	बैलन नहर प्रणाली	मुख्य	45925	449.51
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	49387	448.85
2	लोवर खजुरी नहर प्रणाली	मुख्य	1060	10.38
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	1450	13.18
3	बराँधा डिस्ट्रीब्यूटरी कमाण्ड	मुख्य	10006	97.94
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	10107	91.86
4	अदवा सुखरा नहर प्रणाली	मुख्य	7259	71.05
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	8512	77.36
5	हरई नहर प्रणाली	मुख्य	965	9.45
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	620	6.07
6	जिरगो नहर प्रणाली	मुख्य	2846	27.86
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	10098	91.78
7	गरई नहर प्रणाली	मुख्य	6552	64.13
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	10043	91.28
8	टौंस पम्प नहर प्रणाली	मुख्य	18339	179.50
		शाखा		
9	यमुना पम्प नहर प्रणाली	रजवाहा	29730	270.20
		अल्पिका		
			योग	2000.39
1	धसान नहर प्रणाली	मुख्य	17655	172.81
		शाखा		
		रजवाहा		
		अल्पिका	17034	154.81
			योग	327.62

(स्रोत: खण्डों से एकत्र आंकड़े)

परिशिष्ट-3.10
चयनित नहरों के संचालन एवं रख-रखाव की स्थिति
(संदर्भ: पैराग्राफ 3.8)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	नहर प्रणाली का नाम	चयनित नहर का नाम	नहर का प्रकार	नहर की कुल लम्बाई (किमी. में)	नहर की कुल सीसीए (हेक्टे. में)	नहर की कुल पीपीए (हेक्टे. में)	अनु-एंव मरम्मत हेतु मानक के अनुसार आवश्यक वार्षिक निधि	चयनित नहरों के संचालन और रखरखाव की स्थिति													
								2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	बेलन नहर प्रणाली	उमरी	अल्पिका	2.200	405	476	4.33	0.000	0.00	0.000	0.00	0.345	3.86	उपलब्ध नहीं	0.36	0.090	2.14	2.200	0.91	2.200	0.44
2		बढ़वारी	अल्पिका	2.600	162	272	2.47	उपलब्ध नहीं	0.17	उपलब्ध नहीं	0.16	उपलब्ध नहीं	0.36	उपलब्ध नहीं	0.57	उपलब्ध नहीं	0.33	3.200	1.25	2.600	0.50
3		सिपौवा	अल्पिका	3.700	225	264	2.40	0.000	0.00	उपलब्ध नहीं	0.17	उपलब्ध नहीं	0.13	उपलब्ध नहीं	0.16	उपलब्ध नहीं	0.16	3.590	0.95	3.700	0.77
4		महुली	अल्पिका	1.300	122	206	1.87	उपलब्ध नहीं	0.18	0.000	0.00	उपलब्ध नहीं	0.16	उपलब्ध नहीं	0.18	0.000	0.00	2.400	0.63	0.000	0.00
5		दसौती	अल्पिका	2.100	208	260	2.36	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	उपलब्ध नहीं	0.17	0.000	0.00	2.100	0.61	2.100	0.20
6		बरेठी	अल्पिका	5.100	587	496	4.51	उपलब्ध नहीं	0.18	उपलब्ध नहीं	0.16	5.100	6.85	0.000	0.00	उपलब्ध नहीं	0.14	5.100	1.18	0.000	0.00
7		गरन	अल्पिका	1.600	243	144	1.31	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	उपलब्ध नहीं	0.17	उपलब्ध नहीं	0.14	1.600	0.52	1.600	0.32
8		बेलवनिया	अल्पिका	22.200	4030	4726	42.95	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
9	लोवर खजुरी नहर प्रणाली	भरूहना	अल्पिका	1.000	74	55	0.50	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	0.21	0.000	0.00
10	धसान नहर प्रणाली	बिलगाँव	अल्पिका	2.815	500	219	1.99	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.800	0.66	0.000	0.00
11		बीरा	अल्पिका	6.236	662	292	2.65	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	4.200	0.77	4.000	1.19	2.000	1.86	0.000	0.00
12		गुगरवारा	अल्पिका	1.600	231	104	0.95	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	0.99	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
13		मसूदपुरा	अल्पिका	1.400	187	95	0.86	1.600	0.35	0.000	0.00	0.000	0.00	1.100	0.37	0.000	0.00	1.400	0.28	1.400	0.49
14		धनौरी	अल्पिका	2.800	570	230	2.09	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.800	0.90	2.800	1.49	0.000	0.00
15		इटेलिया	अल्पिका	4.260	536	172	1.56	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र0 सं0	नहर प्रणाली का नाम	चयनित नहर का नाम	नहर का प्रकार	नहर की कुल लम्बाई (किमी. में)	नहर की कुल सीसीए (हेक्टे. में)	नहर की कुल पीपीए (हेक्टे. में)	अनु-एवं मरम्मत हेतु मानक के अनुसार आवश्यक वार्षिक निधि	चयनित नहरों के संचालन और रखरखाव की स्थिति														
								2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		
								नहर की लम्बाई	व्यय धनराशि	नहर की लम्बाई	व्यय धनराशि	नहर की लम्बाई	व्यय धनराशि	नहर की लम्बाई	व्यय धनराशि	नहर की लम्बाई	व्यय धनराशि	नहर की लम्बाई	व्यय धनराशि	नहर की लम्बाई	व्यय धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
16	हरई नहर प्रणाली	वीरपुर	अल्पिका	5.700	489	392	3.56	0.000	0.00	5.700	1.38	5.700	1.55	0.000	0.00	3.900	1.10	0.000	0.00	0.000	0.00	
17	अदवा सुखरा	बरहुला	अल्पिका	3.080	361	288	2.62	3.200	0.68	3.200	0.79	0.000	0.00	3.200	0.83	3.200	0.85	3.200	0.40	0.000	0.00	
18	नहर प्रणाली	बनवा	अल्पिका	2.500	91	73	0.66	0.000	0.00	2.048	0.51	2.048	0.78	0.000	0.00	2.048	0.51	2.048	0.37	2.048	0.48	
19	बरौद्धा राजवाहा कमाण्ड	झिंगुरा	अल्पिका	2.011	305	245	2.23	0.000	0.00	2.110	0.51	2.110	0.66	2.100	0.34	2.000	0.55	2.000	0.32	2.000	0.29	
20	महुलार	अल्पिका	2.100	155	125	1.14	0.000	0.00	0.000	0.00	2.200	0.51	2.200	0.31	2.200	0.78	2.200	0.35	2.200	0.44		
21	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर	अल्पिका	2.010	241	241	2.19	0.000	0.00	0.000	0.00	0.900	1.75	2.100	4.37	2.100	2.17	2.010	0.41	2.000	0.42	
22		गौराही	अल्पिका	2.100	174	174	1.58	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	2.100	1.55	0.000	0.00	0.900	1.32	
23	गरई नहर	चन्द्रताली	अल्पिका	3.000	81	81	0.74	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	3.000	2.70	0.000	0.00	0.000	0.00	
24	प्रणाली	ककराही	अल्पिका	1.600	138	138	1.25	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	1.600	0.35	
25	टोन्स पम्प नहर प्रणाली	शिद्धिटिकट	अल्पिका	1.407	206	200	1.82	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.49	उपलब्ध नहीं	0.49	उपलब्ध नहीं	0.35
26		गड़ैया 1	अल्पिका	2.000	194	189	1.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	उपलब्ध नहीं	0.69	0.00	0	उपलब्ध नहीं	0.74	0.00	0	
27		बॉसी	अल्पिका	1.609	156	152	1.38	0.00	0.00	0.00	0	लागू नहीं	0.2	उपलब्ध नहीं	0.41	उपलब्ध नहीं	2.47	उपलब्ध नहीं	0.71	उपलब्ध नहीं	0.36	
28		लोटाँड़	अल्पिका	3.400	302	24	0.22	उपलब्ध नहीं	0.15	उपलब्ध नहीं	0.12	0.00	0	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	1.97	उपलब्ध नहीं	1.24	उपलब्ध नहीं	2.43	
29	यमुना पम्प नहर प्रणाली	निरिया	अल्पिका	4.800	910	1001	9.10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	उपलब्ध नहीं	1.22	0.00	0	

(स्रोत: खण्डों से एकत्र आकड़े)

परिशिष्ट—4.1(अ)

**बाणसागर नहर परियोजना की नमूना जांच की गई नहरों में
पानी के अपर्याप्त प्रवाह का विवरण (खरीफ)
(संदर्भः प्रस्तर संख्या 4.4.3)**

वर्ष	नहर प्रणाली का नाम	चयनित अल्पिका का नाम	सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लेखा परीक्षा द्वारा आंकित जल प्रवाह (मिलियन घन फीट)	पानी की जंचाई (इंच)
2014-15	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	207	16.38	8.82
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	13.07	11.29
		चन्द्रताली अल्पिका	121	12.76	11.75
	लोअर खजुरी नहर प्रणाली	भरुहना अल्पिका	32	2.61	9.09
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	178	17.96	11.25
		उमरी अल्पिका	220	11.44	5.80
		बढ़वारी अल्पिका	134	16.27	13.54
		दसौती अल्पिका	169	4.53	2.99
		बरेठी अल्पिका	498	30.20	6.76
		गरन अल्पिका	133	12.30	10.31
2015-16	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	207	16.75	9.02
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	128	4.61	4.02
		चन्द्रताली अल्पिका	120	4.50	4.18
		लोअर खजुरी नहर प्रणाली	भरुहना अल्पिका	29	2.06
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	178	19.44	12.18
		उमरी अल्पिका	209	13.73	7.32
		महुली अल्पिका	179	14.63	9.11
		बढ़वारी अल्पिका	132	13.95	11.78
		दसौती अल्पिका	163	5.35	3.66
		बरेठी अल्पिका	495	23.42	5.27
2016-17	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	208	12.28	6.58
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	3.33	2.88
		चन्द्रताली अल्पिका	122	3.25	2.97
		लोअर खजुरी नहर प्रणाली	भरुहना अल्पिका	42	3.29
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	179	17.96	11.18
		उमरी अल्पिका	210	11.90	6.32
		बढ़वारी अल्पिका	142	11.62	9.13
		दसौती अल्पिका	172	9.47	6.14
		बरेठी अल्पिका	496	30.20	6.79
		गरन अल्पिका	133	12.98	10.88
2017-18	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	207	18.61	10.02
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	16.66	14.40
		चन्द्रताली अल्पिका	121	16.26	14.98
		टोंस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	179	17.96
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	211	19.22	10.16
		महुली अल्पिका	184	22.09	13.39
		बढ़वारी अल्पिका	139	10.85	8.70
		दसौती अल्पिका	172	8.24	5.34
		बरेठी अल्पिका	499	40.67	9.09
		गरन अल्पिका	138	12.30	9.94

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्ष	नहर प्रणाली का नाम	चयनित अल्पिका का नाम	सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लेखा परीक्षा द्वारा आंकित जल प्रवाह (मिलियन घन फीट)	पानी की ऊंचाई (इंच)
2018-19	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	205	13.59	7.39
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	11.02	9.52
		चन्द्रताली अल्पिका	119	10.76	10.08
	अदवा सुखरा नहर प्रणाली	बनवा अल्पिका	105	11.31	12.01
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिंचाई अल्पिका	180	17.96	11.12
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	211	16.02	8.46
		महुली अल्पिका	185	22.72	13.69
		बढ़वारी अल्पिका	137	11.62	9.46
		दसौती अल्पिका	173	6.18	3.98
		बरेठी अल्पिका	496	30.20	6.79
		गरन अल्पिका	138	13.67	11.04
2019-20	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	220	13.40	6.79
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	6.41	5.54
		चन्द्रताली अल्पिका	120	6.25	5.81
	अदवा सुखरा नहर प्रणाली	बनवा अल्पिका	115	10.98	10.65
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिंचाई अल्पिका	180	17.96	11.12
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	218	19.22	9.83
		महुली अल्पिका	187	21.78	12.99
		बढ़वारी अल्पिका	137	16.27	13.24
		दसौती अल्पिका	64	6.18	10.76
		बरेठी अल्पिका	481	28.96	6.71
		गरन अल्पिका	137	12.98	10.57
2020-21	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	218	16.75	8.57
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	177	9.99	6.29
		चन्द्रताली अल्पिका	119	9.76	9.14
	लोअर खजुरी नहर प्रणाली	भरुहना अल्पिका	41	1.37	3.73
	अदवा सुखरा नहर प्रणाली	बनवा अल्पिका	116	14.61	14.04
	बेलन नहर प्रणाली	महुली अल्पिका	188	20.85	12.36
		दसौती अल्पिका	178	14.41	9.03
		बरेठी अल्पिका	363	41.29	12.68
		गरन अल्पिका	138	16.74	13.53

(झोत: खंडों से एकत्र आंकड़े)

बाणसागर नहर परियोजना की नमूना जांच की गई नहरों में पानी के अपर्याप्त प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण (रबी)

वर्ष	नहर प्रणाली का नाम	चयनित अल्पिका का नाम	वास्तविक सिंचाई (हेक्टेयर)	वास्तविक जल प्रवाह (मिलियन घन फीट)	पानी की ऊंचाई (इंच)
2014-15	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	214	3.97	2.07
		गौराही अल्पिका	168	8.63	5.73
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	2.05	1.77
		चन्द्रताली अल्पिका	115	2.00	1.94
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिंचाई अल्पिका	184	17.96	10.88
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	238	13.73	6.43
		सिंचाई अल्पिका	137	10.03	8.16
		महुली अल्पिका	186	17.74	10.63
		बढ़वारी अल्पिका	128	10.85	9.45

वर्ष	नहर प्रणाली का नाम	चयनित अल्पिका का नाम	वास्तविक सिंचाई (हेक्टेयर)	वास्तविक जल प्रवाह (मिलियन घन फीट)	पानी की ऊंचाई (इंच)
		दसौती अल्पिका	153	3.29	2.40
		बरेठी अल्पिका	469	11.09	2.64
		गरन अल्पिका	114	10.93	10.69
2015-16	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	212	3.97	2.09
		गौराही अल्पिका	174	8.63	5.53
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	185	18.12	10.92
2016-17	बेलन नहर प्रणाली	महुली अल्पिका	185	17.11	10.31
	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	212	3.77	1.98
		गौराही अल्पिका	176	8.20	5.20
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	128	5.64	4.91
		चन्द्रताली अल्पिका	110	5.50	5.58
	लोआर खजुरी नहर प्रणाली	भरुहना अल्पिका	7	0.27	4.37
	बेलन नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	185	20.26	12.21
		उमरी अल्पिका	231	14.64	7.07
		सिपौआ अल्पिका	135	14.21	11.74
		महुली अल्पिका	186	18.67	11.19
		बढ़वारी अल्पिका	142	10.07	7.91
		दसौती अल्पिका	176	7.83	4.96
		बरेठी अल्पिका	482	11.71	2.71
2017-18	जिरगो नहर प्रणाली	गरन अल्पिका	147	1.07	0.81
		घरवासपुर अल्पिका	200	3.77	2.10
		गौराही अल्पिका	147	8.20	6.22
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	2.05	1.77
		चन्द्रताली अल्पिका	105	2.00	2.12
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	184	17.96	10.8
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	233	15.56	7.78
		सिपौआ अल्पिका	143	8.36	6.52
		महुली अल्पिका	187	9.34	5.57
		बढ़वारी अल्पिका	129	9.30	8.04
		दसौती अल्पिका	170	4.12	2.70
		बरेठी अल्पिका	472	12.94	3.06
		गरन अल्पिका	117	1.15	1.10
2018-19	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	213	4.96	2.59
		गौराही अल्पिका	147	10.79	8.18
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	129	7.94	6.87
		चन्द्रताली अल्पिका	112	7.76	7.72
	अदवा सुखरा नहर प्रणाली	बनवा अल्पिका	109	5.82	5.95
		बरहुला अल्पिका	256	22.64	9.86
	टोंस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	185	17.96	10.82
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	137	13.73	11.17
		सिपौआ अल्पिका	150	11.28	8.39
		महुली अल्पिका	190	14.94	8.76
		बढ़वारी अल्पिका	131	10.07	8.57
		दसौती अल्पिका	157	4.94	3.51
		बरेठी अल्पिका	466	13.56	3.24
		गरन अल्पिका	120	1.07	0.99

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्ष	नहर प्रणाली का नाम	चयनित अल्पिका का नाम	वास्तविक सिंचाई (हेक्टेयर)	वास्तविक जल प्रवाह (मिलियन घन फीट)	पानी की ऊंचाई (इंच)
2019-20	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	200	3.97	2.21
		गौराही अल्पिका	149	8.63	6.46
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	128	3.08	2.68
		चन्द्रताली अल्पिका	108	3.00	3.10
	अदवा सुखरा नहर प्रणाली	बनवा अल्पिका	107	4.72	4.92
		बरहुला अल्पिका	133	18.37	15.39
	टॉस पंप नहर प्रणाली	सिद्धिटिकट अल्पिका	184	16.47	9.98
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	249	18.30	8.20
		सिपौआ अल्पिका	151	9.20	6.79
		महुली अल्पिका	192	8.71	5.06
		बढ़वारी अल्पिका	131	10.85	9.23
		दसौती अल्पिका	167	5.77	3.85
		बरेठी अल्पिका	464	18.49	4.44
		गरन अल्पिका	103	0.99	1.07
2020-21	जिरगो नहर प्रणाली	घरवासपुर अल्पिका	199	4.16	2.33
		गौराही अल्पिका	150	9.07	6.74
	गरई नहर प्रणाली	ककरही अल्पिका	126	4.61	4.08
		चन्द्रताली अल्पिका	105	4.50	4.78
	अदवा सुखरा नहर प्रणाली	बनवा अल्पिका	107	4.83	5.03
		बरहुला अल्पिका	133	18.79	15.75
	बरौंधा रजवाहा कमांड	झिंगहा अल्पिका	87	10.89	13.95
		महुलार अल्पिका	105	10.76	11.42
	बेलन नहर प्रणाली	उमरी अल्पिका	220	29.75	15.07
		सिपौआ अल्पिका	148	9.20	6.93
		महुली अल्पिका	192	10.27	5.96
		दसौती अल्पिका	173	11.53	7.43
		बरेठी अल्पिका	467	16.64	3.97
		गरन अल्पिका	121	0.91	0.83

(स्रोत: खंडों से एकत्र आंकड़े)

परिशिष्ट—4.1(ब)

धसान नहर प्रणाली की नमूना जांच की गयी नहरों में अपर्याप्त जलापूर्ति
 (संदर्भः प्रस्तर संख्या 4.4.3)

वर्ष	क्र० सं०	नहर प्रणाली का नाम	चयनित नहरों का नाम	वास्तविक सिंचाई (हेक्टेयर)	कुलाबा से वास्तविक जल प्रवाह (मिलियन घन फीट में)	पानी की ऊंचाई (इंच)
2014-15	1	धसान नहर प्रणाली	मसूदपुर अल्पिका	87	5.46	7
	2		गुगरवारा अल्पिका	73	7.31	11
	3		बीरा अल्पिका	0	0	0
	4		धनौरी अल्पिका	0	0	0
	5		इटैलिया अल्पिका	0	0	0
2015-16	1		मसूदपुर अल्पिका	89	5.46	7
	2		गुगरवारा अल्पिका	78	7.31	10
	3		बीरा अल्पिका	0	0	0
	4		धनौरी अल्पिका	0	0	0
	5		इटैलिया अल्पिका	0	0	0
	6		बिलगांव अल्पिका	0	0	0
2016-17	1		मसूदपुर अल्पिका	130	9.10	8
	2		गुगरवारा अल्पिका	172	12.19	8
	3		बीरा अल्पिका	336	15.30	5
	4		धनौरी अल्पिका	20	2.75	15
	5		इटैलिया अल्पिका	77	0	0
	6		बिलगांव अल्पिका	64	1.47	3
2017-18	1		मसूदपुर अल्पिका	79	5.46	8
	2		गुगरवारा अल्पिका	95	7.31	9
	3		बीरा अल्पिका	148	5.10	4
	4		धनौरी अल्पिका	0	0	0
	5		बिलगांव अल्पिका	32	1.10	4
2018-19	1		मसूदपुर अल्पिका	82	9.10	12
	2		गुगरवारा अल्पिका	121	12.19	11
	3		बीरा अल्पिका	307	15	6
	4		धनौरी अल्पिका	55	3.30	7
	5		इटैलिया अल्पिका	0	0	0
	6		बिलगांव अल्पिका	52	1.84	4
2019-20	1		मसूदपुर अल्पिका	99	9.10	10
	2		गुगरवारा अल्पिका	121	12.19	11
	3		बीरा अल्पिका	495	16.15	4
	4		धनौरी अल्पिका	73	4.95	8
	5		इटैलिया अल्पिका	144	4.10	3
	6		बिलगांव अल्पिका	100	2.57	3
2020-21	1		मसूदपुर अल्पिका	119	5.46	5
	2		गुगरवारा अल्पिका	105	7.31 (8)	8
	3		बीरा अल्पिका	418	14.45 (4)	4
	4		धनौरी अल्पिका	63	4.40 (8)	8
	5		बिलगांव अल्पिका	84	5.88 (8)	8

(ज्ञेतः खंडों से एकत्र आंकड़े)

परिशिष्ट—4.2

(I) बाणसागर नहर परियोजना के नमूना जांच की गयी नहरों में टेल फीडिंग की स्थिति
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.4.3)

खरीफ के मौसम में								
नहर प्रणाली का नाम	कुल चयनित अल्पिकाएं	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जिरगो नहर प्रणाली	2	2	2	2	2	2	2	2
गरई नहर प्रणाली	2	0	2	2	2	2	2	1
लोअर खजुरी नहर प्रणाली	1	0	0	1	0	0	0	1
अदवा सुखरा नहर प्रणाली	2	2	2	2	2	2	2	2
बरौंधा रजवाहा कमांड	3	1	1	1	1	1	1	1
हरई नहर प्रणाली	1	0	0	0	0	0	0	0
बेलन नहर प्रणाली	7	6	6	6	6	7	7	7
टोन्स पंप नहर प्रणाली	4	4	4	4	4	4	4	4
यमुना पंप नहर प्रणाली	1	1	1	1	1	1	1	1
योग	23	16	18	19	18	19	19	19
रबी के मौसम में								
नहर प्रणाली का नाम	कुल चयनित अल्पिकाएं	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जिरगो नहर प्रणाली	2	2	2	2	2	2	2	2
गरई नहर प्रणाली	2	0	0	2	2	2	2	2
लोअर खजुरी नहर प्रणाली	1	0	0	0	0	0	0	0
अदवा सुखरा नहर प्रणाली	2	2	2	2	2	2	2	2
बरौंधा रजवाहा कमांड	3	1	1	1	1	1	1	1
हरई नहर प्रणाली	1	0	0	0	0	0	0	0
बेलन नहर प्रणाली	7	6	0	6	7	6	7	7
टोन्स पंप नहर प्रणाली	4	4	4	4	4	4	4	4
यमुना पंप नहर प्रणाली	1	1	1	1	1	1	1	1
योग	23	16	10	18	19	18	19	19
टेल फीड का प्रतिशत	23	रेज 10-19 ; 43 से 83 प्रतिशत						

(II) धसान नहर परियोजना के चयनित नहरों में टेल फीडिंग की स्थिति

नहर का नाम	अल्पिकाओं की संख्या	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मसूदपुर अल्पिका	1	0	0	0	0	0	0	0
गुगरवारा अल्पिका	1	1	1	1	1	1	1	1
बीरा अल्पिका	1	0	0	0	0	0	0	0
धनौरी अल्पिका	1	0	0	0	0	0	0	0
इटैलिया अल्पिका	1	0	0	0	0	1	1	0
बिलगांव अल्पिका	1	0	0	0	0	0	0	1
योग	6	1	1	1	1	2	2	2
टेल फीड का प्रतिशत	6	रेज एक से दो ; 17 से 33 प्रतिशत						

(चोत: खण्डों से एकत्र आंकड़े)

परिशिष्ट—4.3

बाणसागर नहर परियोजना में नहर प्रणालीवार लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई संधनता
(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 4.6.1)

नहर प्रणाली का नाम	वर्ष	नहर प्रणाली का सीसीए (हेक्टेयर में)	पीपीए (लक्ष्य)			वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
			खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
जिरगो नहर प्रणाली	2014-15	13791	9161	1815	10975	9530	9981	19511
	2015-16	13791	9161	1815	10975	9523	9281	18804
	2016-17	13791	9161	1815	10975	9428	8823	18251
	2017-18	13791	9161	1815	10975	9493	8603	18096
	2018-19	13791	13636	11149	24785	9673	9386	19059
	2019-20	13791	13636	11149	24785	9084	8255	17339
	2020-21	13791	13636	11149	24785	8983	8836	17819
गरई नहर प्रणाली	2014-15	17878	12198	6155	18353	12224	11111	23335
	2015-16	17878	12198	6155	18353	12024	1253	13277
	2016-17	17878	12198	6155	18353	12058	11354	23412
	2017-18	17878	12198	6155	18353	12068	10534	22602
	2018-19	17878	17663	12991	30654	11908	10508	22416
	2019-20	17878	17663	12991	30654	12060	11234	23294
	2020-21	17878	17663	12991	30654	11742	11096	22838
लोअर खजुरी नहर प्रणाली	2014-15	4547	3665	1778	5443	1163	29	1192
	2015-16	4547	3665	1778	5443	1382	28	1410
	2016-17	4547	3665	1778	5443	1742	901	2643
	2017-18	4547	3665	1778	5443	1537	28	1565
	2018-19	4547	4297	3719	8016	1449	26	1475
	2019-20	4547	4297	3719	8016	1428	804	2232
	2020-21	4547	4297	3719	8016	1615	170	1785
अदवा सुखरा नहर प्रणाली	2014-15	25003	6991	8591	15582	14510	14000	28510
	2015-16	25003	6991	8591	15582	12316	10580	22896
	2016-17	25003	6991	8591	15582	12926	13774	26700
	2017-18	25003	6991	8591	15582	12952	13805	26757
	2018-19	25003	14900	20606	35505	12975	14213	27188
	2019-20	25003	14900	20606	35505	11833	13534	25367
	2020-21	25003	14900	20606	35505	12965	13412	26377
बरोंधा रजवाहा कमांड	2014-15	29766	12811	12891	25702	8260	13839	22099
	2015-16	29766	12811	12891	25702	6297	1214	7511
	2016-17	29766	12811	12891	25702	10354	13453	23807
	2017-18	29766	12811	12891	25702	9930	14169	24099
	2018-19	29766	22453	28223	50677	10148	15295	25443
	2019-20	29766	22453	28223	50677	10582	14770	25352
	2020-21	29766	22453	28223	50677	10673	14566	25239
हरई नहर प्रणाली	2014-15	2615	1945	943	2888	160	175	335
	2015-16	2615	1945	943	2888	0	0	0
	2016-17	2615	1945	943	2888	184	216	400
	2017-18	2615	1945	943	2888	185	209	394
	2018-19	2615	2497	2119	4616	186	349	535
	2019-20	2615	2497	2119	4616	183	351	534

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

नहर प्रणाली का नाम	वर्ष	नहर प्रणाली का सीसीए (हेक्टेयर में)	पीपीए (लक्ष्य)			वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
			खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
	2020-21	2615	2497	2119	4616	185	355	540
बेलन नहर प्रणाली	2014-15	71048	14209	33748	47957	38595	37558	76153
	2015-16	71048	14209	33748	47957	39165	529	39694
	2016-17	71048	14209	33748	47957	40403	38680	79083
	2017-18	71048	14209	33748	47957	41148	38444	79592
	2018-19	71048	36801	60328	97129	41071	37402	78473
	2019-20	71048	36801	60328	97129	41956	39454	81410
	2020-21	71048	36801	60328	97129	41388	40711	82099
टोन्स पंप नहर प्रणाली	2014-15	34008	16154	17004	33158	13074	13176	26250
	2015-16	34008	16154	17004	33158	12046	13226	25272
	2016-17	34008	16154	17004	33158	13199	13364	26563
	2017-18	34008	16154	17004	33158	12955	13352	26307
	2018-19	34008	22633	28990	51623	13084	13429	26513
	2019-20	34008	22633	28990	51623	13171	13496	26667
	2020-21	34008	22633	28990	51623	13392	14169	27561
यमुना नहर प्रणाली	2014-15	33785	16893	20271	37164	4047	4351	8398
	2015-16	33785	16893	20271	37164	3022	4353	7375
	2016-17	33785	16893	20271	37164	3803	4417	8220
	2017-18	33785	16893	20271	37164	3835	4412	8247
	2018-19	33785	19962	24388	44350	3926	4445	8371
	2019-20	33785	19962	24388	44350	3928	4468	8396
	2020-21	33785	19962	24388	44350	4108	4411	8519
योग	2014-15	232441	94026	103196	197222	101563	104220	205783
	2015-16	232441	94026	103196	197222	95775	40464	136239
	2016-17	232441	94026	103196	197222	104097	104982	209079
	2017-18	232441	94026	103196	197222	104103	103556	207659
	2018-19	232441	154842	192512	347354	104420	105053	209473
	2019-20	232441	154842	192512	347354	104225	106366	210591
	2020-21	232441	154842	192512	347354	105051	107726	212777

(स्रोत: खण्डों से एकत्र आंकड़े)

परिशिष्ट-4.4 (अ)

जनपद स्तर पर प्रमाणित बीजों की आवश्यकता एवं आपूर्ति का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.7.1.1)

(कुन्तल में)

वर्ष	कुल आवश्यकता	सरकारी भण्डार पर कुल प्राप्ति (प्रतिशत में)	सरकारी भण्डार से कुल वितरण (प्रतिशत में)	सरकारी भण्डार के अतिरिक्त अन्य माध्यम से कुल वितरण (प्रतिशत में)	कुल वितरण (प्रतिशत में)
बाणसागर नहर परियोजना					
रबी					
2014-15	351785.47	34102.98(10)	34102.98(10)	106091(30)	140193.98(40)
2015-16	342679.59	19375.82(6)	19375.82(6)	109376.4(32)	128752.22(38)
2016-17	382804.94	13949.03(4)	13949.03(4)	127442.6(33)	141391.63(37)
2017-18	361942.30	13395(4)	13395(4)	156601(43)	169996(47)
2018-19	350536.70	22907(7)	22907(7)	139696(40)	162603(46)
2019-20	344831.64	21173.45(6)	21173.45(6)	147560(43)	168733.45(49)
2020-21	349891.32	20510.4(6)	20510.4(6)	138786(40)	159296.4(46)
योग	2484471.96	145413.68(6)	145413.7(6)	925553.0(37)	1070966.7(43)
खरीफ					
2014-15	41050.4	4986.18(12)	4708.46(11)	32341.43(79)	37049.89(90)
2015-16	42824.69	4421.98(10)	4421.98(10)	27103(63)	31524.98(74)
2016-17	45820.1	3804(8)	3793(8)	38948.1(85)	42741.1(93)
2017-18	45812.35	5149.48(11)	4364.48(10)	28627(62)	32991.48(72)
2018-19	47194.01	4798.6(10)	4798.6(10)	37040(78)	41838.6(86)
2019-20	44085.19	5097.67(12)	5097.67(12)	37371(85)	42468.67(96)
2020-21	48415.62	3733.65(8)	3733.65(8)	35306(73)	39039.65(81)
योग	315202.36	31991.56(10)	30917.84(10)	236736.53(75)	267654.37(85)
धसान नहर प्रणाली					
रबी					
2014-15	344075.14	17107(5)	17106.7(5)	91903.6(27)	109010.3(32)
2015-16	190010.79	13074.97(7)	13021.21(7)	45487.8(24)	58509.01(31)
2016-17	358775.01	9679.61(3)	9679.61(3)	120682.5(34)	130362.11(36)
2017-18	286578.97	7008.9(2)	7008.9(2)	76632(27)	83640.9(29)
2018-19	326563.02	12641.19(4)	12641.19(4)	90910.25(28)	103551.44(32)
2019-20	369955.81	11401.2(3)	11401.2(3)	113686.7(31)	125087.9(34)
2020-21	338309.18	8797.19(3)	8797.19(3)	113277.1(33)	122074.29(36)
योग	2214267.92	79710.06(4)	79656(4)	652579.95(29)	732235.95(33)
खरीफ					
2014-15	28783.53	1197.9(4)	775.91(3)	9820(34)	10595.91(37)
2015-16	33423.75	884.07(3)	771.51(2)	5530.86(17)	6302.37(19)
2016-17	25572.66	743.07(3)	685.91(3)	6728.9(26)	7414.81(29)
2017-18	30408.72	787.25(3)	730.12(2)	12324(41)	13054.12(43)
2018-19	26946.98	755.35(3)	755.35(3)	8549.98(32)	9305.33(35)
2019-20	34544.43	715.8(2)	715.8(2)	8642(25)	9357.8(27)
2020-21	30632.85	375.69(1)	375.69(1)	9929.6(32)	10305.29(34)
योग	210312.92	5459.13(3)	4810.29(2)	61525.34(29)	66335.63(32)

(चोत: कृषि विभाग से एकत्र आंकड़े)

परिशिष्ट-4.4 (ब)

चयनित ग्रामों के स्तर पर प्रमाणित बीजों की आवश्यकता एवं आपूर्ति का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.7.1.1)

फसल का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या	कुल आवश्यकता (कुन्तल में)	कुल वितरण (कुन्तल में) (प्रतिशत में)
बाणसागर नहर परियोजना			
गेहूं	90	63245	993.4 (2)
धान	90	9819	112.27 (1.14)
चना	90	1487	102.95 (6.92)
मटर	90	284	5.08 (1.8)
राई	90	30	1.49 (4.97)
अरहर	90	59	1.39 (2.35)
धसान नहर प्रणाली			
गेहूं	29	38518	739.00 (1.92)
धान	29	6.10	1.04 (17)
चना	29	4342	491.69 (11.3)
मटर	29	10376	488.17 (4.7)
राई/सरसों	29	45.8	7.62 (16.6)
अरहर	29	198	15.08 (7.6)

(स्रोत: कृषि विभाग से एकत्र आँकड़े)

परिशिष्ट—4.5 (अ)

वर्ष 2014–21 के मध्य केन्द्रीय बीज भण्डार पर बीजों की उपलब्धता में विलम्ब का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.7.1.1)

जनपद का नाम	बीज का नाम	केन्द्रीय भण्डार पर बीज प्राप्त होने की निर्धारित तिथि	बीज बोने की अन्तिम तिथि	2014–21	
				केन्द्रीय भण्डार में निर्धारित तिथि के बाद विलम्ब से प्राप्ति	केन्द्रीय भण्डार पर बुवाई की तारीख के बाद विलम्ब से प्राप्ति
बाणसागर नहर परियोजना					
मीरजापुर	गेहूं	20 अक्टूबर	25 दिसम्बर	5 से 64 दिन	0
				4 से 54 दिन	0
प्रयागराज	चना	20 सितम्बर	15 नवम्बर	10 से 50 दिन	0
				10 से 51 दिन	0
मीरजापुर	मटर	20 सितम्बर	15 नवम्बर	14 से 48 दिन	0
मीरजापुर	मसूर	20 सितम्बर	15 नवम्बर	20 से 43 दिन	0
				16 से 72 दिन	17 दिन
मीरजापुर	राई/सरसों	20 सितम्बर	15 अक्टूबर	16 से 40 दिन	15 दिन
				8 से 48 दिन	22 दिन
प्रयागराज	धान	25 अप्रैल	10 जुलाई	10 से 62 दिन	0
				12 से 57 दिन	0
मीरजापुर	अरहर	15 मई	15 जुलाई	43 से 56 दिन	0
				41 से 52 दिन	0
धसान नहर प्रणाली					
हमीरपुर	गेहूं	20 अक्टूबर	25 दिसम्बर	11 से 53 दिन	0
				3 से 76 दिन	10 दिन
महोबा	चना	20 सितम्बर	15 नवम्बर	8 से 45 दिन	0
				1 से 97 दिन	42 दिन
हमीरपुर	मटर	20 सितम्बर	15 नवम्बर	4 से 88 दिन	33 दिन
				1 से 97 दिन	42 दिन
महोबा	मसूर	20 सितम्बर	15 नवम्बर	14 से 72 दिन	16 दिन
				1 से 77 दिन	21 दिन
हमीरपुर	राई/सरसों	20 सितम्बर	15 अक्टूबर	11 से 58 दिन	33 दिन
				4 से 97 दिन	72 दिन
महोबा	राई/सरसों	20 सितम्बर	15 अक्टूबर	17 से 63 दिन	2 दिन
				12 से 59 दिन	0
हमीरपुर	मूँग	15 मई	10 अगस्त	19 से 49 दिन	0
				2 से 65 दिन	0
महोबा	उर्द	15 मई	30 अगस्त	17 से 56 दिन	0
				2 से 73 दिन	0
हमीरपुर	तिल	15 मई	15 जुलाई	50 से 63 दिन	3 दिन
				7 से 78 दिन	17 दिन

(स्रोत: कृषि विभाग से एकत्र आंकड़े)

परिशिष्ट-4.5 (ब)

नमूना जांच किये गये विकास खण्डों में बुवाई अवधि के पश्चात बीजों के वितरण में विलम्ब का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.7.1.1)

जनपद का नाम	चयनित विकास खण्डों की संख्या	बीज का नाम (बुवाई की अन्तिम तिथि)	वर्ष 2014–21 की अवधि में वितरण में विलम्ब
बाणसागर नहर परियोजना			
प्रयागराज	6	गेहूँ (25 दिसम्बर)	1 से 53 दिन
मीरजापुर	5		1 से 181 दिन
प्रयागराज	6	चना (15 नवम्बर)	1 से 61 दिन
मीरजापुर	5		1 से 64 दिन
प्रयागराज	6	मटर (15 नवम्बर)	1 से 62 दिन
मीरजापुर	5		3 से 70 दिन
प्रयागराज	6	मसूर (15 नवम्बर)	3 से 69 दिन
मीरजापुर	5		1 से 44 दिन
प्रयागराज	6	राई/सरसों (15 अक्टूबर)	9 से 130 दिन
मीरजापुर	5		1 से 250 दिन
प्रयागराज	6	धान (10 जुलाई)	1 से 94 दिन
मीरजापुर	5		1 से 41 दिन
प्रयागराज	6	अरहर (15 जुलाई)	5 से 80 दिन
मीरजापुर	5		2 से 80 दिन
धसान नहर प्रणाली			
हमीरपुर	2	गेहूँ (25 दिसम्बर)	3 से 15 दिन
महोबा	1		1 से 61 दिन
हमीरपुर	2	चना (15 नवम्बर)	1 से 45 दिन
महोबा	1		1 से 101 दिन
हमीरपुर	2	मटर (15 नवम्बर)	5 से 45 दिन
महोबा	1		1 से 101 दिन
हमीरपुर	2	मसूर (15 नवम्बर)	17 से 54 दिन
महोबा	1		1 से 72 दिन
हमीरपुर	2	राई/सरसों (15 अक्टूबर)	5 से 62 दिन
महोबा	1		2 से 131 दिन
हमीरपुर	2	धान (10 जुलाई)	5 से 40 दिन
महोबा	1		1 दिन
हमीरपुर	2	अरहर (15 जुलाई)	2 से 34 दिन
महोबा	1		1 से 46 दिन

(स्रोत: कृषि विभाग से एकत्र आँकड़े)

परिशिष्ट—4.6

अप्रमाणित किस्म के बीज एवं उनके वितरण का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 4.7.1.2)

(मात्रा कुंतल में)

बीज का नाम	वर्ष	बीजों की प्रमाणित किस्म	वितरित बीजों की कुल मात्रा	अप्रमाणित किस्म के बीजों का वितरण		
				अप्रमाणित किस्म (संख्या में)	मात्रा	
प्रयागराज (विन्ध्य क्षेत्र)						
गेहूँ	2014-15	के-8962, 9465 , 9351, 9107, 307, 9423, 9006, मालवीय-468, 234, एचडी-2888, 2643, पीबीडब्लू-343, 373, यूपी-2338, 2382, 2425, एचपी-1731, 1744, एनडब्लू-1012, 1014, 2036, 1076, 1067, डब्लूएच-542, एचयूडब्लू-533, 510, 468, केआरएल-19, 210, 213, (योग 30)	20439	पीबीडब्लू -502, पीबीडब्लू -550, डीबीडब्लू -17, सीबीडब्लू -38, डीएच -2967, डब्लू -711 (6)	17938	
	2015-16		3076	पीबीडब्लू -550, डीबीडब्लू -621, एचडी -2967, डीबीडब्लू -17 (4)	11446	
	2016-17		8790	एचडी -2967, डीबीडब्लू -17, पीबीडब्लू -550, पीबीडब्लू -509, पीबीडब्लू -644, डीबीडब्लू -39, आरएजे -4120, एचडी -3034 (8)	8781	
	2017-18		8624	डीबीडब्लू -621, पीबीडब्लू -550, एचडी -2967, डीबीडब्लू -107, एचडी -3086 (5)	8611	
	2018-19		15139	एचडी -2967, सीबीडब्लू -38, डब्लूएच -1105, एचडी -3086, के-1006, डीबीडब्लू -621, केआरएल -2, केआरएल -607, आरएजे -4120, एचडी -2059, डीबीडब्लू -590, एचडी -2985, के-402, पीबीडब्लू -644 (14)	14097	
	2019-20		13112	एचडी -2967, सीबीडब्लू -38, डब्लूएच -1105, एचडी -3086, के-1006, डब्लूबी-02, एचआई-1563, एएआईडब्लू-6, एचडी -3059, डीबीडब्लू -90, पीबीडब्लू -723 (11)	13123	
	2020-21		13408	के-422, डब्लूएच-1124, पीबीडब्लू -723, एचडी -2967, एचडी -3086 एएआईडब्लू -6, एएआईडब्लू -9, एएआईडब्लू -10, एएआईडब्लू -13 (9)	13229	
योग			92588		87225	
धान	2014-15	नरेन्द्र-97, 118, 80, 359, 3112, 2026, 2064, 2065, साकेत-4, वर्सी दीप नरेन्द्र लालमति, शुष्क सम्राट आईआर-36, टा-3, पन्त-12, 4 सरजू-52, पीएनआर-381, पूसा बासमती-1, बासमती-370, वल्लभ बासमती-22, मालवीय सुगन्धा-105, 4-3, नरेन्द्र सुगन्धा (योग 24)	2200	उपलब्ध नहीं		
	2015-16		2803	धन सहभागी, सम्भा मसूरी, सुगन्धा-4, स्वर्ण सब-1 (4)	1159	
	2016-17		2680	उपलब्ध नहीं	0	
	2017-18		3376	धन सहभागी, शुष्क सम्राट, डीआरआर-44, एमटीयू-7029, स्वर्ण सब-1, पीएयू-201 (6)	665	
	2018-19		4000	पन्त-24, स्वर्ण सब-1, सहभागी, सुयत (4)	833	
	2019-20		3884	सीओ-51, एचयूआर-4-3, सुयत -1, एसयूआर-105, सहभागी, साम्भा सब-1 (6)	881	
	2020-21		2735	साम्भा मसूरी, एमटीयू-7029, सुयत-1, 2, 3, 4, 5, सीएसआर-56, पीआर-121, सीएसआर-43, पन्त-24 (11)	940	
योग			21678		4478	
मीरजापुर (विन्ध्य क्षेत्र)						
गेहूँ	2014-15	के-8962, 9465 , 9351, 9107, 307, 9423, 9006, मालवीय-468, 234, एचडी-2888, 2643,	11798	पीबीडब्लू -502, पीबीडब्लू -550, डीबीडब्लू -17, सीबीडब्लू -38, के-9423, एचडी-2967, यूपी-2425, के-307 (8)	10983	
	2015-16		4907	पीबीडब्लू -550, पीबीडब्लू -502, डीबीडब्लू-621, एचडी-2967, यूपी-2572, डीबीडब्लू -17,	4397	

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

बीज का नाम	वर्ष	बीजों की प्रमाणित किस्म	वितरित बीजों की कुल मात्रा	अप्रमाणित किस्म के बीजों का वितरण	
				अप्रमाणित किस्म (संख्या में)	मात्रा
		पीबीडब्लू-343, 373, यूपी-2338, 2382, 2425, एचपी-1731, 1744, एनडब्लू-1012, 1014, 2036, 1076, 1067, डब्लूएच-542, एचयूडब्लू-533, 510, 468, केआरएल-19, 210, 213, (योग 30)	4226 3046 5669 6059 5130	सीबीडब्लू -38 (7) एचडी-2967, डीबीडब्लू-17, पीबीडब्लू -502, के-307, डीबीडब्लू -621 (5) के -307, डीबीडब्लू -110, एचडी -2967, एचआई-8737, डीबीडब्लू -17 (5) एचडी -2967, पीबीडब्लू -590, सीबीडब्लू -38, पीबीडब्लू -644, एचडी -3086, एचडी -2987, डीबीडब्लू -90, एचडी -3059, डीबीडब्लू -502, एचआई-8737 (10) एचडी-2967, आरएस-4120, डब्लूएच-3086, एचयूडब्लू-234, डब्लूबी-02, पीबीडब्लू -443, एचआई-8737 (7) पीबीडब्लू -723, डीबीडब्लू -17, एचडी -3086, एचडी -3059, डब्लूबी-02, एचडी-2967 (6)	4227 3046 5669 6059 5130
				40835	39541
धान	2014-15	नरेन्द्र-97, 118, 80, 359, 3112, 2026, 2064, 2065, साकेत-4, वरनी दीप, नरेन्द्र लालमती, शुष्क सप्राट,	1497	धन सहभागी, सम्भा मसूरी, सीएसआर-30, स्वर्ण सब-1, एचटीयू-7029 (5)	462
	2015-16	आईआर-36, टा-3, पंत-12, 4	971	एचटीयू -7029, धन सहभागी, दुगन्धा-4 (3)	228
	2016-17	आईआर-36, टा-3, पंत-12, 4	712	एचयूआर -105, धन सहभागी, एचटीयू-7029 (3)	430
	2017-18	सरजू-52, पीएनआर-381, पूषा बासमती-1, बासमती-370, वल्लभ बासमती-22, मालवीय सुगन्धा-105, 4-3, नरेन्द्र सुगन्धा (योग 24)	787	सुगन्धा -105, एचटीयू -7029, स्वर्ण सब-1, शुष्क सप्राट, सहभागी, डीआरआर-44, (6)	437
	2018-19		663	स्वर्ण सब -1, धन सहभागी, सुयत-1 (3)	147
	2019-20		1013	सुयत-1, धन सहभागी, एचटीयू -7029, एचडीआर-105, सीएसआर-43, (5)	661
	2020-21		931	सुयत-1, एचटीयू -7029, एचयूआर -105, सीएसआर-60, एचयूआर-917, बीपीटी-5204, पीआर-121, पन्त-24, सीओ-51, (9)	811
योग			6574		3176
हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र)					
गेहूँ	2014-15	के -9465, 9351, 8962, 9107, 9162, 9533, 7903, 9423 सी-306,	4888	पीबीडब्लू-502, पीबीडब्लू-550, डीबीडब्लू -17, सीबीडब्लू -38, एचडी-2967, आरएजे-3077, (6)	3959
	2015-16	मालवीय-234, एचडब्लू -2004, एचडी-2733, 2888, डीएल-803-3, 788-2, डब्लूएच -147,	5562	डीबीडब्लू -550, डीबीडब्लू -621, एचडी -2967, के-307, डीबीडब्लू -17, सीबीडब्लू-38, (6)	5549
	2016-17	यूपी-2338, 2425, आरएजे-1555, पीबीडब्लू-343, एचपी-1633, एचयूडब्लू-510	2808	एचडी -2967, डीबीडब्लू -17, पीबीडब्लू-550, डीपीडब्लू -621, (4)	2200
	2017-18	एचआई-8381, 8498, 784, जीडब्लू-273, 322, 173, (योग 28)	1706	एचडी-2967, डीबीडब्लू -17, सीबीडब्लू-38, आरएजे -4120, के-307, (5)	1667
	2018-19		4869	एचडी-2967, डीबीडब्लू -90, पीबीडब्लू-502, पीबीडब्लू-590, आरएजे-4120, डब्लूएच-1105, एचडी -3086, के-402, जेडब्लू-3336, एचडी -3043, (10)	4868
	2019-20		3480	एचडी-2967, आरएजे-4120, डब्लूएच-1105, एचडी-3086, पीबीडब्लू-107, डब्लूबी-02, पीबीडब्लू-725, (7)	3480
	2020-21		1939	एचडी-2967, डीबीडब्लू -107, डीबीडब्लू-110,	1940

बीज का नाम	वर्ष	बीजों की प्रमाणित किस्म	वितरित बीजों की कुल मात्रा	अप्रमाणित किस्म के बीजों का वितरण	
				अप्रमाणित किस्म (संख्या में)	मात्रा
				पीबीडब्लू-723, , आरएजे-4238, डब्लूएच-1124, एचडी-3086, के-402, (8)	
धान	2014-15	नरेन्द्र-97, 80, 359, 2026, 2064, 3112, 2065,	3	पन्त-12 (1)	3
	2015-16	साकेत-4, मालवीय सुगन्धा-105,	3	पन्त -12 (1)	3
	2016-17	सरजू-52, बल्लभ बासमती-22,	5	पूसा बासमती (1)	5
	2017-18	गोविन्द, पूसा बासमती-1,	5	शून्य	0
	2018-19	टा-3, मालवीय सुगन्धा 4-3,	5	धान नरेन्द्र (1)	5
	2019-20	बासमती-370,	15	सुगन्धा-4 (1)	15
	2020-21	शुष्क सप्राट (योग 17)	32	पूसा बासमती, पन्त -24 (2)	32
		योग	68		63
महोबा (बुन्देलखण्ड क्षेत्र)					
गेहूँ	2014-15	के-9465, 9351, 8962, 9107, 9162, 9533, 7903, 9423	2022	पीबीडब्लू-502, पीबीडब्लू-550, डीबीडब्लू-17, एचडी-2967, आरएजे-3077, (5)	1514
	2015-16	सी-306, मालवीय-234, एचडब्लू-2004, एचडी-2733, 2888,	1814	पीबीडब्लू-550, यूपी-2572, एचडी-2967, हलना, डीबीडब्लू-17, सीबीडब्लू-38, (6)	1626
	2016-17	डीएल-803-3, 788-2, डब्लूएच-147,	3069	एचडी-2967, डीबीडब्लू-17, पीबीडब्लू-550, डीपीडब्लू -621, डब्लूएच-1105, आरएजे-4120, डब्लूएडी-943, (7)	2952
	2017-18	यूपी-2338, 2425, आरएजे-1555, पीबीडब्लू -343,	797	पीबीडब्लू-550, एचडी-2967, सीबीडब्लू-38, डीबीडब्लू-17, आरएजे-4120, (5)	797
	2018-19	एचपी-1633, एचयूडब्लू-510 एचआई-8381, 8498, 784, जीडब्लू-273, 322, 173, (योग 28)	1636	एचडी-2967, पीबीडब्लू-590, पीबीडब्लू-3086, डब्लूएच-1105, एचडी-3086, सीबीडब्लू-38, डीबीडब्लू-90, (7)	1636
	2019-20		1578	एचडी-2967, डीबीडब्लू-110, एचडी-3043, एचडी-3086, डब्लूएच-1105, आरएजे-4120, डब्लूएचडी-943, एचडी-2967, डीबीडब्लू-107, डब्लूएच-1105, (10)	1578
	2020-21		1406	डीबीडब्लू-107, डीबीडब्लू-110, एचडी-2967, एचडी-2967, एचडी -3086, डब्लूबी-02, पीबीडब्लू -343, डीबीडब्लू-107, (8)	1406
		योग	12322		11509
धान	2014-15	नरेन्द्र-97, 80, 359, 2026, 2064, 3112, 2065,	10	पन्त (1)	10
	2015-16	साकेत-4, मालवीय सुगन्धा-105,	7	पन्त (1)	7
	2016-17	सरजू-52, बल्लभ बासमती-22,	0	0	0
	2017-18	गोविन्द, पूसा बासमती-1,	0	0	0
	2018-19	टा-3, मालवीय सुगन्धा 4-3,	0	0	0
	2019-20	बासमती-370,	0	0	0
	2020-21	शुष्क सप्राट (योग 17)	0	0	0
		योग	17		17

(स्रोत: कृषि विभाग से एकत्र अंकड़े)

परिशिष्ट-4.7 (अ)

नमूना जांच किये गये ग्रामों में उत्पादकता का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.8)

(कुन्तल / हेक्टेयर में)

ग्रामों की संख्या	फसल का नाम	प्रस्तावित उत्पादकता	वर्ष 2015–21 की अवधि में वास्तविक उत्पादकता (प्रतिशत)
बाणसागर नहर परियोजना			
79	गेहूँ	40	5.49 से 46.29 (14 से 116)
15	चना	18	2.44 से 18.69(14 से 104)
01	मटर	15	5.92 से 16.47(39 से 110)
0	सरसों	15	आकड़े उपलब्ध नहीं
0	मक्का	23	आकड़े उपलब्ध नहीं
0	अरहर	16	आकड़े उपलब्ध नहीं
धसान नहर प्रणाली			
19	गेहूँ	35	5.8 से 46.59 (17 से 133)
16	चना	20	0.31 से 19.2 (2 से 96)
0	धान	40	आकड़े उपलब्ध नहीं

(स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े)

परिशिष्ट—4.7 (ब)
नमूना जांच किये गये ग्रामों में उत्पादकता का विवरण (ग्रामवार)
(संदर्भ: प्रस्तर सं 4.8)

(कुन्तल / हेक्टेयर में)

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बाणसागर नहर परियोजना							
चना	गढ़ैयाकला	6.51	11.38	11.72	13.8	10.36	12.18
	कुंडी	7.65	9.39	10.88	14.6	9.74	12.04
	गढ़ैयाखुर्द	उपलब्ध नहीं					
	गौहानी	उपलब्ध नहीं					
	जरिहा अत्री	उपलब्ध नहीं					
	खूझी	उपलब्ध नहीं					
	खेरहटखुर्द	उपलब्ध नहीं					
	डॉडो	उपलब्ध नहीं					
	पथरताल	4.87	8.72	4.87	12.5	9.12	13.48
	महुली	3.74	6.68	17.14	12.2	7.62	10.36
	पसना	3.6	5.44	9.91	12.2	8.1	11.43
	बरहुला कला	5.41	8.3	16.2	12.9	7.28	12.35
	बेलहट	5.3	5.44	8.78	13.6	9.52	12.18
	बेलवनिया	4.16	9.39	10.39	12.4	10.2	10.93
	लतीफपुर	4.16	9.39	10.39	12.4	10.2	10.93
	जमोहरा	4.16	9.39	10.39	12.4	10.2	10.93
	सिपौवा	4.93	7.48	6.97	11.9	5.95	12.03
	सैमहा	उपलब्ध नहीं					
	पारा	उपलब्ध नहीं					
	बढ़वारी कला	उपलब्ध नहीं					
	खीरी	उपलब्ध नहीं					
	डीहीपटखा	उपलब्ध नहीं					
	गरन	उपलब्ध नहीं					
	जादीपुर	उपलब्ध नहीं					
	पथरताल	उपलब्ध नहीं					
	सलैया	उपलब्ध नहीं					
	बरहुला खुर्द	उपलब्ध नहीं					
	कपूरी बढ़ैया	उपलब्ध नहीं					
	सिरयारी	उपलब्ध नहीं					
	सींकीकलां	उपलब्ध नहीं					
	सींकीखुर्द	उपलब्ध नहीं					
	बखार	उपलब्ध नहीं					
	रामपुर तुलापुर	उपलब्ध नहीं					
	सलैयाकला	2.44	8.8	14.09	10.6	11.67	उपलब्ध नहीं
	सिरहिर	उपलब्ध नहीं					
	बसहरा	उपलब्ध नहीं					
	दसौती	उपलब्ध नहीं					
	सिद्धिटिकट	5.89	9.69	9.56	14.0	18.69	13.82
	तेलघना	उपलब्ध नहीं					
	बौसी	उपलब्ध नहीं					
	कोलकम कला	5.87	13.48	9.7	9.6	10.21	12.82
	कोलकम खुर्द	5.87	13.48	9.7	9.6	10.21	12.82

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
दौलताबाद		उपलब्ध नहीं					
रामपुर		उपलब्ध नहीं					
शिकारपुर		उपलब्ध नहीं					
ग्रामों की संख्या		15	15	15	15	15	14
गढ़ैयाकला	गेहूँ	13.39	31.58	25.05	32.6	34.46	28.22
कुड़ी		12.83	30.93	25.38	37.5	21.52	26.27
दटुरा		22.41	33.23	27.00	32.4	21.29	26.83
जरिहा अत्री		22.41	33.23	27.00	32.4	21.29	26.83
गढ़ैया खुर्द		13.39	31.43	25.05	27.8	36.87	26.92
खूझी		15.91	32.22	27.40	29.6	22.08	24.8
लोटाढ़		22.41	28.63	27.28	31.4	24.26	26.57
गौहानी		उपलब्ध नहीं					
धरवारा		25.1	24.33	37.12	46.3	30.93	33.14
निरिया		26.84	28.28	40.9	41.5	30.99	32.56
रिठैया		20.23	26.9	29.65	43.7	32.55	NA
बढ़वारी कलां		14.62	25.77	19.59	32.2	36.13	26.39
गरन		14.71	24.63	23.52	34.8	25.38	25.21
जादीपुर		13.34	23.09	16.17	30.2	10.98	27.23
पथरताल		13	23.25	19.33	27.2	23.51	22.08
सैमहा		10.17	22.3	19	33.0	16.94	21.79
सिपौवा		16.59	23.15	19.84	26.1	9.03	21.35
दिहीपटखा		17.62	17.2	19.09	33.6	35.96	25.49
पैठकपुर		15.24	22.8	19.67	40.3	25.86	उपलब्ध नहीं
खीरी		15.61	21.35	19.91	27.6	18.99	22.1
कौंदी		8.63	24.12	16.76	38.3	26.28	24.09
महुली		11.82	29.96	21.96	46.0	22.19	27.4
पूरारुचई		14.18	24.54	28.46	37.3	8.29	25.21
पसना		16.22	24.32	32.48	33.1	14.51	25.74
बरहुला कलां		10.48	23.25	22.3	26.4	25.27	28.18
घूँघौ		19.12	20.62	21.57	18.9	18.88	20.19
बरहुला खुर्द		13.81	21.29	21.35	34.8	13.95	23.37
सलैया		15.07	22.62	31.66	26.4	23.8	37.65
बेलहट		17.09	24.65	32.44	33.1	8.4	39.17
बेलवनिया		9.13	20.12	20.73	32.6	22.13	15.18
लतीफपुर		9.13	20.12	20.73	32.6	22.13	15.18
जमोहरा		9.13	20.12	20.73	32.6	22.13	15.18
पारा		19.12	23.37	14.54	25.8	29.14	22.76
बभनपट्टी		14.18	24.54	28.46	37.3	8.29	25.21
कपूरी बढ़ैया		उपलब्ध नहीं					
सिरयारी		उपलब्ध नहीं					
सींकीकला		उपलब्ध नहीं					
रामपुर तुलापुर		उपलब्ध नहीं					
बखार		5.49	20.28	11.84	35.4	26.25	24.71
सींकीखुर्द		15.35	29.64	27.9	33.3	33.9	29.98
सिरहिर		13.45	30.09	24.71	31.8	23.42	25.77
दसोती		13.45	30.09	24.71	31.8	23.42	25.77
सलैया कलां		19.12	30.82	15.69	33.4	25.19	26.83

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बसहरा		उपलब्ध नहीं					
बॉसी		18.10	35.02	26.13	33.1	22.08	उपलब्ध नहीं
सिद्धटिकट		18.43	31.77	25.38	32.8	20.73	उपलब्ध नहीं
तेलघना		16.87	28.21	23.98	24.1	20.62	उपलब्ध नहीं
खेरहटकला		16.87	28.21	23.98	24.1	20.62	उपलब्ध नहीं
खेरहटखुर्द		16.87	28.21	23.98	24.1	20.62	उपलब्ध नहीं
डिहवा		16.81	28.61	28.76	43.0	24.26	उपलब्ध नहीं
डॉडो		16.81	28.61	28.76	43.0	24.26	उपलब्ध नहीं
बनवा		11.32	24.77	25.1	23.3	13.95	27.85
नौगवाँ		14.57	21.29	26.67	25.3	5.66	32.57
हरसद		21.24	33.4	25.1	24.7	12.92	उपलब्ध नहीं
चककोतार		12.55	17.01	22.64	25.1	14.82	29.03
कसिहर		21.29	28.69	36.14	36.4	27.68	34.14
ककरही		17.73	31.5	38.27	38.1	32.67	40.01
दौलताबाद		29.25	27.85	39.5	37.9	38.1	उपलब्ध नहीं
गडबड़		13.5	11.93	13.22	24.7	25.47	उपलब्ध नहीं
कोलकम कलां		13.78	27.94	24.32	24.9	21.8	33.84
कोलकम खुर्द		13.78	27.94	24.32	24.9	21.8	33.84
कपर बथुआ		13.78	27.94	24.32	24.9	21.8	उपलब्ध नहीं
महुलार		9.75	27.94	24.04	29.7	27.96	28.35
झिंगहा		9.75	27.94	24.04	29.7	27.96	28.35
नया गाँव		9.75	27.94	24.04	29.7	27.96	28.35
धुराकान्दा		17.73	25.21	23.81	27.8	23.45	28.36
अमोई		20.48	20.73	36.42	38.7	17.71	33.45
टेढवा		20.48	20.73	36.42	38.7	17.71	उपलब्ध नहीं
भोरसर		22.58	24.04	33.84	30.0	15.18	उपलब्ध नहीं
बिकना		21.46	20.06	35.86	39.5	17.76	उपलब्ध नहीं
बीरपुर		20	20.28	35.75	36.8	16.92	उपलब्ध नहीं
कतरन		18.99	19.89	33.06	34.8	29.08	उपलब्ध नहीं
जयापुर		18.99	19.89	33.06	34.8	29.08	उपलब्ध नहीं
चन्दईपुर		19.11	27.94	33.79	30.1	17.51	उपलब्ध नहीं
अनन्तपुर		19.11	27.94	33.79	30.1	17.51	उपलब्ध नहीं
इटवा		19.11	27.94	33.79	30.1	17.51	उपलब्ध नहीं
धौरूपुर		20.28	30.93	23.98	30.2	16.25	उपलब्ध नहीं
राजपुर		18.63	29.92	36.59	43.3	12.21	उपलब्ध नहीं
टाड		उपलब्ध नहीं					
भरुहना		उपलब्ध नहीं					
बरौंधा		उपलब्ध नहीं					
रामपुर		25.49	35.69	36.34	36.5	34.85	उपलब्ध नहीं
शिकारपुर		24.12	32.22	35.75	37.3	32.83	उपलब्ध नहीं
घरवासपुर		24.12	32.22	35.75	37.3	32.83	उपलब्ध नहीं
नोहरीपुर		24.09	32.44	35.8	36.8	32.05	उपलब्ध नहीं
गौराही		25.1	29.64	40.46	38.6	34.91	उपलब्ध नहीं
हौसापुर		19.14	21.24	36.53	36.8	29.47	उपलब्ध नहीं
पुरादुर्वासा		23.2	28.63	33.2	33.4	21.88	उपलब्ध नहीं
ग्रामों की संख्या		79	79	79	79	79	48
महुलार	मटर	5.92	6.79	8.78	12.79	16.47	10.63

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
धसान नहर प्रणाली							
ग्रामों का नाम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बागीपुरा		7.62	13.93	16.11	12.89	8.59	12.55
इटौरागंग		7.62	13.93	16.11	12.89	8.59	12.55
मुसाही		उपलब्ध नहीं					
सिकरौदा राठ		4.36	10.39	12.26	12.35	15.53	8.44
गुगरवारा		4.36	10.39	12.26	12.35	15.53	8.44
धनौरा		5.44	12.97	13.03	15.75	15.93	10.25
धनौरी		5.44	12.97	13.03	15.75	15.93	10.25
अकौनी		उपलब्ध नहीं					
धगवाँ		7.93	10.30	10.42	8.13	15.18	15.18
टोलारावत		4.87	10.96	12.21	14.80	5.98	12.12
जिगनी		उपलब्ध नहीं					
अमरपुरापट्टी		उपलब्ध नहीं					
इटेलियाराजा		उपलब्ध नहीं					
सिरसा		उपलब्ध नहीं					
टोलाखगारन		उपलब्ध नहीं					
खजुरी		0.31	11.62	19.20	16.31	12.91	15.04
कछुवाकला		0.31	11.62	19.20	16.31	12.91	15.04
बीरा		1.47	11.33	5.03	5.07	15.97	11.35
पवई		4.93	8.26	8.33	7.76	12.53	उपलब्ध नहीं
बिलगाँव		उपलब्ध नहीं					
इटेलियाबाजा		उपलब्ध नहीं					
जमनगवाँ		उपलब्ध नहीं					
मसूदपुर		1.33	9.91	10.42	15.80	18.97	14.7
लिधौराखुर्द		उपलब्ध नहीं					
नगरारघाट		2.97	8.84	7.93	13.20	18.01	14.05
अलीपुरा		उपलब्ध नहीं					
नेकपुरा		उपलब्ध नहीं					
पठा		2.97	8.84	7.93	13.20	18.01	14.05
बरानो		2.97	8.84	7.93	13.20	18.01	14.05
ग्रामों की संख्या		16 ग्राम	15 ग्राम				
बागीपुरा	गेहूँ	23.98	34.07	40.10	37.51	31.13	35.97
इटौरागंग		23.98	34.07	40.10	37.51	31.13	35.97
मुसाही		उपलब्ध नहीं					
सिकरौदा राठ		24.21	36.11	36.48	35.47	36.70	उपलब्ध नहीं
गुगरवारा		24.21	36.11	36.48	35.47	36.70	उपलब्ध नहीं
धनौरा		19.72	28.91	36.36	36.14	40.90	29.91
धनौरी		19.72	28.91	36.36	36.14	40.90	29.91
अकौनी		उपलब्ध नहीं					
धगवाँ		19.22	21.07	34.07	39.29	34.74	44.6
टोलारावत		24.88	35.33	35.69	35.30	26.14	उपलब्ध नहीं
टोलाखगारन		उपलब्ध नहीं					
खजुरी		22.52	41.83	42.19	41.10	41.16	32.36
कछुवाकला		22.52	41.83	42.19	41.10	41.16	32.36
जिगनी		उपलब्ध नहीं					
अमरपुरापट्टी		उपलब्ध नहीं					

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
इटेलियाराजा		उपलब्ध नहीं					
सिरसा		उपलब्ध नहीं					
बीरा		25.44	34.24	24.71	15.30	37.54	35.89
पवई		17.93	34.24	46.59	40.96	36.19	32.27
बिलगॉव		उपलब्ध नहीं					
इटेलियाबाजा		उपलब्ध नहीं					
जमनगवॉ		उपलब्ध नहीं					
लिधौराखुर्द		10.79	37.09	19.89	32.10	44.04	उपलब्ध नहीं
अलीपुरा		10.79	37.09	19.89	32.10	44.04	उपलब्ध नहीं
मसूदपुर		5.80	36.98	29.08	31.20	44.10	उपलब्ध नहीं
नगाराघाट		7.40	28.69	19.92	34.40	35.80	उपलब्ध नहीं
पठा		7.40	28.69	19.92	34.40	35.80	उपलब्ध नहीं
बरानो		7.40	28.69	19.92	34.40	35.80	उपलब्ध नहीं
नेकपुरा		10.00	34.85	19.05	33.70	43.87	उपलब्ध नहीं
ग्रामों की संख्या		19 ग्राम	9 ग्राम				

(झोतः निदेशक, कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट-4.8

बाणसागर नहर परियोजना में चयनित ग्रामों में उत्पादन का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.9)

(कुन्तल में)

जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	फसल	क्षेत्रफल (हेक्टेक्टर)	उत्पादकता (कुन्तल/हेक्टेक्टर)	उत्पादन (कुन्तल)	क्षेत्रफल (हेक्टेक्टर)	उत्पादकता (कुन्तल/हेक्टेक्टर)	उत्पादन (कुन्तल)	2018-19 की तुलना में उत्पादन में कमी	उत्पादकता में कमी (प्रतिशत)	
2018-19													
प्रयागराज	कोरांव	पथरताल	पथरताल	चना	4	12.5	50	3	13.48	40.44	-10	-19	
प्रयागराज	कोरांव	महुली	महुली	चना	126	12.2	1537.2	118	10.36	1222.48	-315	-20	
प्रयागराज	कोरांव	पसना	पसना	चना	17	12.2	207.4	9	11.43	102.87	-105	-50	
प्रयागराज	कोरांव	बरहुला कलां	बरहुला कलां	चना	13	12.9	167.7	11	12.35	135.85	-32	-19	
प्रयागराज	कोरांव	बेलहट	बेलहट	चना	11	13.6	149.6	10	12.18	121.8	-28	-19	
प्रयागराज	कोरांव	बेलवनिया	बेलवनिया	चना	21	12.4	260.4	18	10.93	196.74	-64	-24	
प्रयागराज	कोरांव	बेलवनिया	लतीफपुर	चना	9	12.4	111.6	10	10.93	109.3	-2	-2	
प्रयागराज	कोरांव	बेलवनिया	जमोहरा	चना	13	12.4	161.2	11	10.93	120.23	-41	-25	
प्रयागराज	कोरांव	सिपौवा	सिपौवा	चना	81	11.9	963.9	78	12.03	938.34	-26	-3	
योग				9	295.00	12.50	3609.00	268.00	11.62	2988.05			
प्रयागराज	कोरांव	बढ़वारी कलां	बढ़वारी कलां	गेहूँ	504	32.2	16228.8	502	26.39	13247.78	-2981	-18	
प्रयागराज	कोरांव	उल्दा	गरन	गेहूँ	66	34.8	2296.8	65	25.21	1638.65	-658	-29	
प्रयागराज	कोरांव	जादीपुर	जादीपुर	गेहूँ	287	30.2	8667.4	286	27.23	7787.78	-880	-10	
प्रयागराज	कोरांव	पथरताल	पथरताल	गेहूँ	434	27.2	11804.8	435	22.08	9604.8	-2200	-19	
प्रयागराज	कोरांव	सैमहा	सैमहा	गेहूँ	123	33.0	4059	139	21.79	3028.81	-1030	-25	
प्रयागराज	कोरांव	सिपौवा	सिपौवा	गेहूँ	282	26.1	7360.2	281	21.35	5999.35	-1361	-18	
प्रयागराज	कोरांव	बसगढ़ी	डिहीपटखा	गेहूँ	169	33.6	5678.4	169	25.49	4307.81	-1371	-24	
प्रयागराज	कोरांव	खीरी	खीरी	गेहूँ	451	27.6	12447.6	448	22.1	9900.8	-2547	-20	
प्रयागराज	कोरांव	कौंदी	कौंदी	गेहूँ	381	38.3	14592.3	380	24.09	9154.2	-5438	-37	
प्रयागराज	कोरांव	महुली	महुली	गेहूँ	237	46.0	10902	238	27.4	6521.2	-4381	-40	
प्रयागराज	कोरांव	बभनपट्टी	पूरारुचई	गेहूँ	6	37.3	223.8	6	25.21	151.26	-73	-32	
प्रयागराज	कोरांव	पसना	पसना	गेहूँ	324	33.1	10724.4	349	25.74	8983.26	-1741	-16	

जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	फसल	क्षेत्रफल (हेक्टेन)	उत्पादकता (कुण्ड/हेक्टेन)	उत्पादन (कुण्ड)	क्षेत्रफल (हेक्टेन)	उत्पादकता (कुण्ड/हेक्टेन)	उत्पादन (कुण्ड)	2018–19 की तुलना में उत्पादन में कमी (प्रतिशत)	उत्पादकता में कमी (प्रतिशत)
प्रयागराज	कोरांव	बरहुला कलां	बरहुला कलां	गेहूँ	429	26.4	11325.6	424	28.18	11948.32	623	5
प्रयागराज	कोरांव	धौंधा	धौंधा	गेहूँ	215	18.9	4072.1	215	20.19	4340.85	269	7
प्रयागराज	कोरांव	गोहानी	बरहुलाखुर्द	गेहूँ	126	34.8	4384.8	124	23.37	2897.88	-1487	-34
प्रयागराज	कोरांव	सलैया	सलैया	गेहूँ	238	26.4	6285.58	238	37.65	8960.7	2675	43
प्रयागराज	कोरांव	बेलहट	बेलहट	गेहूँ	222	33.1	7350.42	224	39.17	8774.08	1424	19
प्रयागराज	कोरांव	बेलवनिया	बेलवनिया	गेहूँ	374	32.6	12173.7	372	15.18	5646.96	-6527	-54
प्रयागराज	कोरांव	बेलवनिया	लतीफपुर	गेहूँ	33	32.6	1074.15	33	15.18	500.94	-573	-53
प्रयागराज	कोरांव	बेलवनिया	जमोहरा	गेहूँ	39	32.6	1269.45	38	15.18	576.84	-693	-55
प्रयागराज	कोरांव	पारा	पारा	गेहूँ	68	25.8	1751	69	22.76	1570.44	-181	-10
प्रयागराज	कोरांव	बभनपट्टी	बभनपट्टी	गेहूँ	195	37.3	7273.5	193	25.21	4865.53	-2408	-33
प्रयागराज	मांडा	पियरी	बखार	गेहूँ	38	35.4	1346.72	36	24.71	889.56	-457	-34
मिर्जापुर	जमालपुर	जफराबाद	कसिहर	गेहूँ	15	36.4	546.3	15	34.14	512.1	-34	-6
मिर्जापुर	जमालपुर	ढेलवासपुर	ककरही	गेहूँ	119	38.1	4533.9	109	40.01	4361.09	-173	-4
			योग	25	5375.00	32.39	168372.72	5388.00	25.40	136170.99		

धसान नहर प्रणाली के चयनित ग्रामों में उत्पादन का विवरण

(कुन्तल)

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
धसान नहर प्रणाली							
बागीपुर	चना	53.24	208.95	322.20	335.40	111.67	200.80
झटौरागंग		15.24	83.58	128.88	206.40	85.90	37.65
मुसाही		उपलब्ध नहीं					
सिकरौद्धा राठ		187.48	342.87	588.48	358.15	419.31	211.00
गुगरवारा		65.40	62.34	171.64	209.95	232.95	211.00
धनौरा		43.52	116.73	104.24	393.75	430.11	194.75
धनौरी		163.20	648.50	534.23	693.00	684.99	492.00
अकौनी		उपलब्ध नहीं					
धगवॉ		666.12	267.80	239.66	170.73	394.68	667.92

बाणसागर नहर परियोजना एवं लहचुरा डैम के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
टोलारावत		107.14	416.48	512.82	488.40	125.58	290.88
जिगनी		उपलब्ध नहीं					
अमरपुरापट्टी		उपलब्ध नहीं					
इटेलियाराजा		उपलब्ध नहीं					
सिरसा		उपलब्ध नहीं					
टोलाखगारन		उपलब्ध नहीं					
खजुरी		5.95	167.35	333.89	499.95	306.35	192.21
कछुवाकला		10.49	377.36	1623.51	1020.52	491.87	434.51
बीरा		199.07	599.45	271.13	268.30	881.06	601.66
पर्वई		72.14	105.91	106.81	122.79	186.70	उपलब्ध नहीं
बिलगाँव		उपलब्ध नहीं					
इटेलियाबाजा		उपलब्ध नहीं					
जमनगवाँ		उपलब्ध नहीं					
मसूदपुर		11.04	262.05	571.13	277.01	223.94	173.53
लिधौराखुर्द		उपलब्ध नहीं					
नगाराघाट		208.76	533.23	239.33	120.99	203.91	131.59
अलीपरा		उपलब्ध नहीं					
नेकपुरा		उपलब्ध नहीं					
पठा		18.26	16.31	26.17	23.76	9.01	11.24
बरानो		27.59	84.70	77.24	9.53	9.71	3.41
योग		1854.75	4293.61	5851.35	5198.63	4797.74	3854.16
ग्रामों की संख्या		16	16	16	16	16	15
बागीपुरा	गेहूँ	3812.82	5996.32	7258.10	6789.31	6755.21	6042.96
इटौरागंग		863.28	1226.52	1523.80	1387.87	1463.11	1079.10
मुसाही		उपलब्ध नहीं					
सिकरीथा राठ		1864.17	3105.46	2407.68	2482.90	3816.80	उपलब्ध नहीं
गुगरवारा		532.62	1661.06	1276.80	1241.45	1321.20	उपलब्ध नहीं
धनौरा		2819.96	2977.73	3817.80	6902.74	8180.00	5473.53
धनौरी		8874.00	18502.40	24361.20	27502.54	32106.50	16988.88
अकौनी		उपलब्ध नहीं					

ग्राम	फसल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
धगवाँ		5535.36	5541.41	9130.76	10647.59	9796.68	6868.40
टोलारावत		11992.16	18265.61	20271.92	18567.80	14324.72	उपलब्ध नहीं
टोलाखगारन		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
खजुरी		5858.65	8586.95	9771.50	11020.76	9892.81	6413.10
कछुवाकला		11320.80	19389.33	21859.69	22757.89	22069.58	14805.02
जिगनी		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
अमरपुरापट्टी		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
इटैलियाराजा		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सिरसा		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
बीरा		11621.12	11069.86	9147.72	5405.52	13244.49	12819.19
पवई		6895.93	13439.34	18714.83	17276.11	15224.41	10042.75
बिलगाँव		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
इटैलियाबाजा		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जमनगाँव		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लिधौराखुर्द		1315.94	4944.17	2651.38	4250.68	4919.58	उपलब्ध नहीं
अलीपुरा		873.72	3081.21	1652.34	2666.55	3970.21	उपलब्ध नहीं
मसूदपुर		757.71	4818.72	3358.19	4048.26	6740.73	उपलब्ध नहीं
नगाराघाट		552.60	6036.09	3402.54	15423.55	15871.29	उपलब्ध नहीं
पठा		53.39	279.81	242.78	354.32	554.90	उपलब्ध नहीं
बरानो		241.80	1672.91	1199.76	2301.08	2524.11	उपलब्ध नहीं
नेकपुरा		503.20	1218.74	704.28	1221.69	2177.71	उपलब्ध नहीं
योग		76289.24	131813.65	142753.07	162248.62	174954.02	80532.9
लिधौराखुर्द	धान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नगाराघाट		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
ग्रामों की संख्या		19	19	19	19	19	19

(प्रोत: निदेशक, कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं मुख्य राजस्व अधिकारी और चयनित जिलों के उप-जिला अधिकारी से एकत्र किये गये आंकड़े)।